RNI No. :BIHHIN/2013/53084

संपादक
अभिजीत कुमार, 9431006107
समाचार संपादक
अखिलेश कुमार, 9431089053
विशेष संपादक
मुकेश कुमार सिंह
सहायक संपादक
कोमल सुल्तानिया
राजनीतिक संपादक
प्रो. नीरज कुमार सिंह, 9431049337
संपादकीय सलाहकार
राजीव कुमार सिंह 9431210181
कॉन्सेप्ट एडिटर
अनूप कुमार शर्मा, 7004821433
राजनीतिक ब्यूरो
अमरेंद्र शर्मा 9899360011
प्रभाकर कुमार राय
प्रबंधक
अविनाश कुमार 8287266244
विधि सलाहकार
वीणा कुमारी जयसवाल, पटना हाई कोर्ट
बिहार ब्यूरो
अनूप नारायण सिंह 9546224277
क्राइम ब्यूरो
एसएन श्याम
मुख्य संवाददाता
सोनू सिन्हा,9431006189
आशीष कुमार
जिला ब्यूरो
बेगूसराय : विरेश कुमार सिंह, 9430415316
अमित सिंह, 9430595995
भागलपुर प्रमंडल : राजेश पंजिकार, (ब्यूरो चीफ), 9334114515
समस्तीपुर : राजेश कुमार
चांदन : अमोद कुमार दूबे : 8578934993
मुंगेर : सिद्धांत
कटोरिया : दीपक चौधरी, विशेष संवाददाता 9973077043
सुईया : चन्द्रशेखर मिश्र (संवाददाता)
बिहार-झारखंड : अभिनव कुमार 7903292877
दिल्ली : नवल वत्स, 9818901841
स्वाति, रंजीत कुमार
ग्रेटर नोएडा : गौरीशंकर, 8920215318
प्रधान कार्यालय
गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7, पटना - 800 020 (बिहार)
मो.- 9431006107, 9939815347
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक : अभिजीत कुमार गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7 पटना - 800 020 (बिहार) से प्रकाशित व एस. एम. ऑफसेट पंडुईकोठी लंगर टोली, डीएन दास लेन, पटना-800 004,से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित किसी भी रचना के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके लिए संपादक से सहमति जरूरी नहीं। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निबटारा पटना उच्च न्यायालय से होगा।

संरक्षक

डॉ. संजय मयूख
राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी भाजपा

जय जयराम सिंह
JJRS CONSTRUCTION PVT. LTD.

चर्चित बिहार

वर्ष : 9, अंक : 11, जुलाई 2022, मूल्य : 25/- राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

05 भारत विरोधी तत्वों में भरा जहर है दंगों की वजह

वन्य जीवों और पेड़ों के लिए ... 07

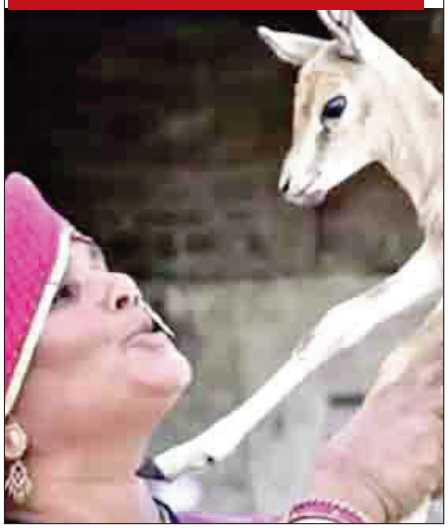

संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनी हिंदी... 11

सिर्फ सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी .. 09

असम की बाढ़ : कारण और... 14

एयरपोर्ट की दुकानों पर भी मूल्य नियंत्रण की जरूरत

अभिजीत कुमार
संपादक
9431006107
cbhindi.news@gmail.com

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के आदेशानुसार अब होटल या रेस्तरां के खान-पान के बिल पर सेवा शुल्क नहीं वसूला जा सकेगा । अगर वह ऐसा करता है तो यह गैरकानूनी होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्राधिकरण का यह फैसला होटल और रेस्तरां में जाने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है। अभी तक ऐसे सख्त दिशानिर्देश के अभाव में रोजाना बड़ी संख्या में सेवा शुल्क से जुड़े विवाद सामने आ रहे थे। लेकिन समस्या का हल नहीं निकल पा रहा था। लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ मसला एयरपोर्ट का है। वहां की दुकानों में जो सामान मिलता है, खासकर खाने की सामग्री उसकी कीमत बाजार की कीमत का कई गुना रहती है। इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। यह यात्रियों को लूटने की छूट देने के समान है। इसपर कई बार मंत्रियों के बयान आये लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसे भी नियंत्रित करने की जरूरत है। खान -पान के बिल पर सेवा शुल्क लेने की मनाही के आदेश के बाद अब जरूरत इस बात की है कि होटल और रेस्तरां मालिक ईमानदारी के साथ सीसीपीए के दिशानिदेर्शों पर अमल करें। सीसीपीए ने साफ कहा है कि होटल या रेस्तरां में अगर कोई ग्राहक सेवक के काम और व्यवहार से खुश होकर उसे अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे तो वह दे सकता है, लेकिन इसके लिए उसे होटल प्रबंधन या सेवक किसी भी रूप से उसे बाध्य नहीं कर सकता। यह भी कि होटल और रेस्तरां प्रबंधन किसी अन्य तरीके से या किसी मद में पैसा बढ़ा कर भी सेवा शुल्क की भरपाई नहीं कर सकेंगे। गौरतलब है कि अभी तक होटलों और रेस्त्रां में खाने के बिल के साथ ही सेवा शुल्क लगाया जा रहा था और फिर उस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी। अच्छा होता होता की इसी के साथ सीसीपीए एयरपोर्ट के रेस्तरां के बारे में भी निर्देश जारी करता। अब नए निर्देश के मुताबिक कोई होटल प्रबंधन ऐसा करता भी है तो ग्राहक उस बिल में से सेवा शुल्क की राशि हटाने के लिए कह सकेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह संबंधित होटल के खिलाफ तत्काल शिकायत कर सकेगा। सेवा शुल्क को लेकर सीसीपीए ने जो व्याख्या की है, उसमें साफ कहा गया है ह्यटिपह्ल ग्राहक और होटल प्रबंधन के बीच अनुबंधित बुनियादी न्यूनतम सेवा से अलग सेवा के लिए है और ग्राहक भोजन करने के बाद ही उसकी गुणवत्ता के साथ सेवा का भी आकलन करने की स्थिति में आता है कि वह सेवक को खुश होकर कुछ देना चाहता है या नहीं। दरअसल होटलों और रेस्त्रां में मनमाने तरीके से सेवा शुल्क वसूलने का मामला कई सालों से चल रहा था। लेकिन सरकार ने इस पर शायद ही गंभीरता दिखाई होगी। न ही इसे गैरकानूनी घोषित किया गया था। मामले उपभोक्ता अदालतों में जाते रहे। होटल और रेस्तरां मालिक इसका फायदा उठाते रहे और सेवा शुल्क के नाम पर पैसा वसूलते रहे। आमजन से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर सरकार ने जो रुख अब दिखाया है और सीसीपीए ने अब जाकर दिशानिर्देश जारी किए हैं, अगर यही पहले हो गया होता तो यह अवैध वसूली पहले ही रोकी जा सकती थी। वैसे भी उपभोक्ता संरक्षण के मामले में दुनिया में भारत की स्थिति कोई बहुत संतोषजनक नहीं है। उपभोक्ता मामलों की अदालतें किन हालात में काम कर रही हैं, यह छिपा नहीं है। लंबित मुकदमों की संख्या करोड़ों में है। जाहिर है, इन सबकी कीमत तो उपभोक्ता को ही चुकानी है।

भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की जरूरत

सिंगल यूज प्लास्टिक से तात्पर्य उन प्लास्टिक वस्तुओं से है जो एक बार उपयोग की जाती हैं और त्याग दी जाती हैं। एकल-उपयोग प्लास्टिक में निर्मित और उपयोग किए गए प्लास्टिक के उच्चतम प्रयोग में वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, पॉलिथीन बैग, खाद्य पैकेजिंग आदि शामिल है। यह विश्व स्तर पर उत्पादित सभी प्लास्टिक का एक तिहाई हिस्सा है, जिसमें 98% जीवाश्म से निर्मित है। भारत कूड़े वाले सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए स्पष्ट आह्वान के साथ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 को अधिसूचित किया, जो 2022 तक कम उपयोगिता और उच्च कूड़े की क्षमता वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाता है। सरकार की अधिसूचना 1 जुलाई, 2022 से प्लेट, कप, स्ट्रॉ, ट्रे और पॉलीस्टाइनिन जैसी पहचान की गई एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में केंद्र द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग, वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाएगा। दिसंबर से 120 माइक्रोन से कम के पॉलीथिन बैग पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। जबकि निमार्ता 50- और 75-माइक्रोन बैग के लिए एक ही मशीन का उपयोग कर सकते हैं, मशीनरी को 120 माइक्रोन के लिए अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। मांग पक्ष पर, ई-कॉमर्स कंपनियों, प्रमुख एकल उपयोग वाले प्लास्टिक विक्रेताओं / उपयोगकताओं और प्लास्टिक कच्चे माल के निमार्ताओं को चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

चिन्हित वस्तुओं की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं। उदाहरण के लिए, सभी प्रमुख पेट्रोकेमिकल उद्योग प्रतिबंधित एसयूपी उत्पादन में लगे उद्योगों को प्लास्टिक के कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करते हैं।

प्लास्टिक बैग भूमि और पानी को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि वे हल्के होते हैं, प्लास्टिक सामग्री हवा और पानी से लंबी दूरी की यात्रा कर सकती है। जब प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है और सड़ता नहीं है, तो यह माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है झ पहले हमारे खाद्य स्रोतों और फिर मानव शरीर में प्रवेश करता है।

प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन बहुत ऊर्जा गहन है। उन्हें

अपने उत्पादन के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गैर-पुनः उपयोग योग्य होने के कारण, प्लास्टिक की थैलियां महासागरों में समाप्त हो जाती हैं। जब वे पहुंचते हैं, तो वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और वन्यजीवों द्वारा खा जाते हैं। जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या मृत्यु भी हो सकती है। कई जानवर प्लास्टिक की थैलियों में भी फंस जाते हैं।

मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्लास्टिक की थैलियों से निकलने वाले जहरीले रसायन रक्त और ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बार-बार एक्सपोजर से कैंसर, जन्म दोष, बिगड़ा हुआ प्रतिरक्षा, हार्मोन परिवर्तन, अंतःस्रावी व्यवधान और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।

गैर-पुनः उपयोग योग्य होने के कारण, प्लास्टिक की थैलियां महासागरों में समाप्त हो जाती हैं। जब वे पहुंचते हैं, तो वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और वन्यजीवों द्वारा खा जाते हैं। जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या मृत्यु भी हो सकती है। कई जानवर प्लास्टिक की थैलियों में भी फंस जाते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्लास्टिक की थैलियों से निकलने वाले जहरीले रसायन रक्त और ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बार-बार एक्सपोजर से कैंसर, जन्म दोष, बिगड़ा हुआ प्रतिरक्षा, हार्मोन परिवर्तन, अंत:स्रावी व्यवधान और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।जबकि प्लास्टिक का उत्पादन मॉडल बहुत बड़ा और अनियंत्रित है, पुनर्चक्रण संयंत्रों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से मदद मिलेगी। सरकार को प्रतिबंध के लाभों को प्राप्त करने के लिए जनता और व्यापार निकायों को शिक्षित करना चाहिए।

जबकि प्लास्टिक का उत्पादन मॉडल बहुत बड़ा और अनियंत्रित है, पुनर्चक्रण संयंत्रों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से मदद मिलेगी। सरकार को प्रतिबंध के लाभों को प्राप्त करने के लिए जनता और व्यापार निकायों को शिक्षित करना चाहिए।

वर्तमान में, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के कचरे के नकारात्मक प्रभावों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता अभी भी सीमित है। संचार, रणनीतिक योजना और उपभोक्ता जागरूकता अभियानों के माध्यम से इसे और मजबूत करने की जरूरत है। इससे न केवल नागरिकों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता में सुधार होगा बल्कि व्यापक कार्यों को सशक्त और प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

नरेन्द्र मोदी के खिलाफ शरारतों का हश्र

कांग्रेसियों, वामपंथियों और कट्टरवादियों की ओर से नरेन्द्र मोदी के खिलाफ लगातार किये जा रहे उद्देश्यहीन, उच्छृंखल, विध्वंसात्मक विरोध एवं नीति ने एक बार फिर घुटने टेके हैं, एक बार फिर परास्त हुई है। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल की ओर से मिली क्लीनचिट को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, वे मोदी के खिलाफ सक्रिय शरारती तत्वों को एक करारा तमाचा है। यह सर्वविदित है कि पिछले दो दशकों से किस तरह मोदी को आरोपित एवं लांछित करने का एक शरारत भरा कुत्सित एवं विडम्बनापूर्ण अभियान छेड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस

शरारती अभियान को रेखांकित किया कि ऐसा लगता है कि विशेष जांच दल की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी किसी और के इशारे पर काम कर रही थी। यह एक यथार्थ भी है। नरेन्द्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार बताने के लिए छद्म धर्मनिरपेक्ष तत्वों के साथ संदिग्ध किस्म की तथाकथित मानवाधिकारवादी जमात सक्रिय थी। इसका साथ कुछ राजनीतिक दल, नौकरशाह, पत्रकार और नेता भी दे रहे थे। यह महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि जाकिया जाफरी की याचिका में कई झूठी एवं बेबुनियादी बातें दर्ज की गई। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं, जो उजालों का स्वागत करने के लिए तत्पर रहे हैं व रहते हैं। दूसरी श्रेणी की रचना उन लोगों ने की है, जो अंधेरे सायों से प्यार करते हैं। ऐसे लोगों की आंखों में किरणें आंज दी जाएं तो भी वे यथार्थ को नहीं देख सकते। क्योंकि ऐसे देश तोड़क तत्वों को उजाले के नाम से ही एलर्जी है। तरस आता है उन लोगों की बुद्धि पर, जो सूरज के उजाले पर कालिख पोतने का असफल प्रयास करते हैं, आकाश के पैबंद लगाना चाहते हैं और सछिद्र नाव पर सवार होकर सागर की यात्रा करना चाहते हैं। मोदी भारत के अकेले ऐसे राष्ट्रनायक हैं जिन्हें कोई गोली या गाली नहीं मार सकती, कोई विकृत सोच उनकी महानता को दबा नहीं सकती, कोई झूठ या भ्रामकता उनकी राष्ट्रवादी छवि को धुंधला नहीं सकती। देखना यह है कि देश की महान् विभूति की छवि को धुंधलाने का जो दुस्साहस किया गया है या किया जा रहा है, उसका हम कितना करारा जबाव देते

नरेन्द्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार बताने के लिए छद्म धर्मनिरपेक्ष तत्वों के साथ संदिग्ध किस्म की तथाकथित मानवाधिकारवादी जमात सक्रिय थी। इसका साथ कुछ राजनीतिक दल, नौकरशाह, पत्रकार और नेता भी दे रहे थे। यह महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि जाकिया जाफरी की याचिका में कई झूठी एवं बेबुनियादी बातें दर्ज की गई। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं, जो उजालों का स्वागत करने के लिए तत्पर रहे हैं व रहते हैं। दूसरी श्रेणी की रचना उन लोगों ने की है।

हैं। आज जैसे बुद्धिमानी एक 'वैल्यू' है, वैसे बेवकूफी भी एक 'वैल्यू' है और मूल्यहीनता के दौर में यह मूल्य काफी प्रचलित है। आज के माहौल में यह 'वैल्यू' ज्यादा फायदेमंद है लेकिन इसका नुकसान भी बड़ा है, यही बात दुनिया को समझाने की जरूरत है, मोदी विरोधियों के गले उतारने की जरूरत है। क्योंकि इस प्रकार की उद्देश्यहीन, उच्छृंखल, विध्वंसात्मक नीति के द्वारा किसी का भी हित सधता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता तथा न ही उससे उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिनकी ऐसी आलोचना की जाती है। यह तो समय, शक्ति एवं अर्थ का अपव्यय है तथा बुद्धि का दिवालियापन है। अयोध्या से लौट रहे कारसेवकों को टेज्न में जिंदा जलाने वाले गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों को राज्य प्रशासन के षडयंत्र का हिस्सा बताने के लिए किस हद तक झूठ, फरेब एवं भ्रामकता का सहारा लिया गया, इसे इससे समझा जा सकता है कि कुछ अधिकारियों ने यह फर्जी दावा किया कि वे मुख्यमंत्री की उस बैठक में उपस्थित थे, जिसमें कथित तौर पर दंगों की साजिश रची गई। विशेष जांच दल ने प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया कि इन अधिकारियों का यह दावा कोरा झूठ था। इसी तरह का एक झूठ यह भी था कि बतौर मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दंगों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। जबकि मोदी एवं उनकी सरकार ने जिस जागरूकता का परिचय दिया, उसी से जितनी व्यापक हिंसा एवं जनहानि की संभावना थी, वह नहीं हुई। असामाजिक तत्वों एवं गुण्डों को सक्रिय कर गोधराकांड कराया गया। निहत्थे कारसेवकों की बोगी बंद कर उसमें आग लगाई। गुजरात में दंगे कराए गए। लेकिन नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की जानी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने गोधराकांड में क्रूरतापूर्वक जलाकर मार डाले गए निहत्थे कारसेवकों के परिवारों के आंसू पोंछे और दंगाइयों पर नियंत्रण किया, यह केवल उनके और उनके ही साहस और समझ की बात है। पूरे देश में अकेला गुजरात है जहां हिंदू और मुसलमान भाईचारे से कंधे से कंधा मिलाकर विकास की गति को तेज करते रहे हैं, सहजीवन की आदर्श मिसाल कायम करते रहे हैं।

वन्य जीवों और पेड़ों के लिए अपनी जान पर खेलता बिश्नोई समाज

बिश्नोई आंदोलन पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और हरित जीवन के पहले संगठित समर्थकों में से एक है। बिश्नोइयों को भारत का पहला पर्यावरणविद माना जाता है। ये जन्मजात प्रकृति प्रेमी होते हैं। पर्यावरण आंदोलनों के इतिहास में, यह वह आंदोलन था जिसने पहली बार पेड़ों को अपनी सुरक्षा के लिए गले लगाने और गले लगाने की रणनीति का इस्तेमाल किया। बिश्नोई समाज के लिए हिरण का मतलब भगवान है। बिश्नोई समाज के लिए हिरण भगवान श्रीकृष्ण के अवतार की तरह हैं वो उनको पूजते हैं। साथ ही बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण के बच्चों को अपने बच्चों की तरह स्तनपान करवाती हैं। इसी तरह बिश्नोई समाज पेड़ों के लिए प्रतिबद्ध रहता है। वो कहते हैं हम पेड़ और जीव-जन्तुओं के लिए जान तक दे सकते हैं।

मां हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने में अपनी जान लगा देती है। आज हम आपको ऐसी माओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिरण को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालती हैं और बचपन से लेकर बड़े होने तक उनकी हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखती है।

मां हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने में अपनी जान लगा देती है। आज हम आपको ऐसी माओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिरण को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालती हैं और बचपन से लेकर बड़े होने तक उनकी हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखती है। सुनने में ये आपको अजीब-सा लगेगा पर ये बिल्कुल सच है। राजस्थान के बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण के बच्चों को बिल्कुल मां की तरह पालती है, यहां तक की उन्हें अपना दूध भी पिलाती है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में करीब 500 साल से प्रथा चली आ रही है जहां महिलाएं बिल्कुल बच्चों की तरह जानवरों को पालती हैं।

सुनने में ये आपको अजीब-सा लगेगा पर ये बिल्कुल सच है। राजस्थान के बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण के बच्चों को बिल्कुल मां की तरह पालती है, यहां तक की उन्हें अपना दूध भी पिलाती है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में करीब 500 साल से प्रथा चली आ रही है जहां महिलाएं बिल्कुल बच्चों की तरह जानवरों को पालती हैं।

बिश्नोई समाज की महिलाएं जानवरों को अपने बच्चों की तरह पालती हैं, उनकी देखभाल करती हैं यहां तक की अपना दूध भी पिलाती हैं। न सिर्फ महिलाएं बल्कि, इस समाज के पुरुष भी लावारिस और अनाथ हो चुके हिरण के बच्चों को अपने घरों में परिवार की तरह पालते हैं। इस समाज की महिलाएं खुद को हिरण के इन बच्चों की मां कहती हैं। बिश्नोई समाज को अपना नाम भगवान विष्णु के नाम से मिला है। बिश्नोई समाज के लोग पर्यावरण को पूजते हैं। बिश्नोई समाज के लोग ज्यादातर जंगल और थार रेगिस्तान के समीप रहते हैं। इस समाज के बच्चे जानवरों के साथ खेल-कूद कर बड़े होते हैं। बिश्नोई समाज के लोग हिंदू गुरु श्री जम्भेश्वर भगवान को मानते हैं जो कि बीकानेर से थे। इस समाज के लोग अपने बनाए नियमों का सख्ती से पालन करते हैं।

बिश्नोई अथवा विश्नोई उत्तर पश्चिमी भारत के पश्चिमी राजस्थान की एक पर्यावरण प्रेमी पंथ(संप्रदाय) है। इस पंथ के संस्थापक जाम्भोजी महाराज है। जाम्भोजी महाराज द्वारा बताये 29 नियमों का पालन करने वाला बिश्नोई है। 'बिश्नोई' शब्द की उत्पति 20(बीस)+9(नौ) = बिश्नोई से हुई है। कई मान्यताओं के अनुसार श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान विष्णु के अवतार माने गए है इनसे बना 'विष्णोई' शब्द कालातंर में परिवर्तित होकर विश्नोई या बिश्नोई हो गया। बिश्नोई विशुद्ध शाकाहारी होते हैं। बिश्नोई एक जाति हैं जो विशुद्ध शाकाहारी हैं वन एवं वन्यजीवों पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। बिश्नोई समाज के लोग ज्यादातर किसान खेती पशुपालन करते हैं। बड़े मेहनती एवं निडर साहसी बहादुर होते हैं। प्रसिद्ध अमृता देवी का आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के अग्रणी प्रयासों में से एक माना जाता है। खेजड़ी के हरे वृक्षों की रक्षा करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोईयों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिये थे। जोधपुर के राजा अभय सिंह ने 1730 के दशक में अपना नया महल बनवाते समय अपने सैनिकों को खेजड़ली गांव में लकड़ी के लिए पेड़ों को काटने का आदेश दिया। विरोध के प्रतीक के रूप में अमृता देवी सैनिकों के खिलाफ खड़ी हो गईं और पेड़ों से लिपटकर उनके जीवन के लिए संघर्ष किया। उनकी तीन बेटियाँ, आसु, रत्नी और भागू भी अपनी माँ के साथ खड़ी थीं। उनका समर्थन करते हुए, इस समुदाय के अन्य लोग भी पेड़ों के लिए खड़े हो गए और अपनी बाहों को ट्रंक के चारों ओर लपेट लिया। सैनिकों ने लोगों के अनुरोधों पर ध्यान दिए बिना पेड़ों को काटना जारी रखा। पेड़ों की कटाई का विरोध करने का मुख्य कारण बिश्नोई समुदाय की सांस्कृतिक मान्यता में निहित था।

बिश्नोई समाज की महिलाएं जानवरों को अपने बच्चों की तरह पालती हैं, उनकी देखभाल करती हैं यहां तक की अपना दूध भी पिलाती हैं। न सिर्फ महिलाएं बल्कि, इस समाज के पुरुष भी लावारिस और अनाथ हो चुके हिरण के बच्चों को अपने घरों में परिवार की तरह पालते हैं। इस समाज की महिलाएं खुद को हिरण के इन बच्चों की मां कहती हैं। बिश्नोई समाज को अपना नाम भगवान विष्णु के नाम से मिला है। बिश्नोई समाज के लोग पर्यावरण को पूजते हैं। बिश्नोई समाज के लोग ज्यादातर जंगल और थार रेगिस्तान के समीप रहते हैं। इस समाज के बच्चे जानवरों के साथ खेल-कूद कर बड़े होते हैं।

सिर्फ सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या

अभी हाल ही में दवअऊ देशों का शिखर सम्मलेन जापान की राजधानी टोक्यो में सम्पन्न हुआ जिसमें भारतीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आलावा जापान के प्रधान मंत्री फुमिओ किशिदा, अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अन्थोनी अल्बान्सी ने हिस्सा लिया। दवअऊ (क्वादिलाटेरल सिक्योरिटी डायलाग) जो कि एक सिक्योरिटी डायलाग हैं। जिसकी पहल सन 2007 जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने की थी। किन्तु चीन के दबाब में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हट जाने के कारण दवअऊ के आईडिया को वास्तविकता का रूप नहीं दिया जा सका। किन्तु जब 2017 पुनः शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री बने और भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के सहयोग से क्वाड की स्थापना की। जिसक का मूल उद्देश्य चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को रोकना और सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग स्थापित करना था। इस पहले मार्च 2021 में प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें क्वाड नेताओं ने डिजिटल रूप से मुलाकात की। जिसमें मुख्यतौर पर कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन, साइबर स्पेस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन सम्बंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी थी। और साथ ही साथ क्वाड नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि क्वाड सैन्य गठबंधन नहीं है। और ना ही चीन विरोधी मंच। इन नेताओं ने जोर देकर कहा कि क्वाड एक समावेशी और समान विचारधारा वाले राष्ट्रों का एक मंच है। जो एक समान दृष्टि विकसित करने, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणा ह्लद स्पिरिट ऑफ द क्वाडह्व में लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता, रूल बेस्ड आर्डर, और इंडो-पसिफिक रीजन की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करना बताया गया। क्वाड देशों के पिछले महीने टोक्यो में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्बोषण में कहा कि क्वाड ने अपने छोटे से इतिहास में जो परस्पर विश्वास और सहयोग हासिल किया हैं। वह इन देशों के लोकतान्त्रिक मूल्यों को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ह्यक्वाडह्व के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से मुक्त, खुले और समावेशीह्व इंडो पसिफिक का निर्माण होगा। इसके साथ साथ एक आर्थिक फोरम बनाने की भी घोषणा की गयी। क्वाड देशों के साथ भारत के रिश्ते कई मायनों में महत्वपूर्ण माने जा रहे है। सबसे पहले, चीन के सैनिक और आर्थिक उदय ने जो एशिया में हलचल पैदा की हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय सीमा पर चीन का बढ़ता सैन्य प्रभाव और चीन का भारत के प्रति आक्रामक रवैया हैं। इसलिए, चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से सहयोग महत्वपूर्ण होजाता हैं। दूसरा, आतंकवाद के मुद्दे के पर

अमेरिकी सरकार के पाकिस्तान पर लगातार दबाब डालने के बावजूद भी चीन ने हमेशा इस्लामाबाद का समर्थन किया हैं। कश्मीर मुद्दे पर भी चीन हमेशा पाकिस्तान साथ खड़ा नजर आया हैं। जबकि अमेरिका ने यूएनएससी में हमेशा भारतीय स्थिति का समर्थन किया है। एक अन्य क्षेत्र जिसमें क्वाड भारत के लिए हितकर हो सकता हैं। वह है चीन का ह्यवन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिवह्ल जो भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को चुनौती देता है। इसी दिशा में ह्यमालाबार नेवलह्ल एक्सरसाइज का विस्तार कर जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना भारत की रणनीतिक और विदेश नीति एक अहम् हिस्सा माना जारहा हैं। भारत क्वाड को एक ऐसे मंच के रूप में देखता हैं जो ना केवल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा, अपितु भारत को अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का विस्तार करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है।

कश्मीर मुद्दे पर भी चीन हमेशा पाकिस्तान साथ खड़ा नजर आया हैं। जबकि अमेरिका ने यूएनएससी में हमेशा भारतीय स्थिति का समर्थन किया है। एक अन्य क्षेत्र जिसमें क्वाड भारत के लिए हितकर हो सकता हैं। वह है चीन का वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव जो भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को चुनौती देता है। इसी दिशा में मालाबार नेवल एक्सरसाइज का विस्तार कर जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना भारत की रणनीतिक और विदेश नीति एक अहम हिस्सा माना जारहा हैं।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जासकता हैं। आने वाले समय में इंडो-पसिफिक रीजन की शांति और सुरक्षा भारत क्वाड साझेदारी पर काफी निर्भर करेगी। न केवल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बल्कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सरकारें भी इस स्थिति को भलीभांति समझती हैं। जिसका उदाहरण दो साल में क्वाड के चार शिखर सम्मेलनों का आयोजन करना हैं। जहाँ पर ये देश राजनितिक, रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों पर सहयोग करने के साथ साथ चीन पर दबाब बनाना भी हैं। यही कारण हैं कि चीन ने इसे एशिया का नाटो (मिलिट्री संगठन) मानता हैं। जबकि भारत और दूसरे क्वाड देशो का मानना हैं कि क्वाड अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतराष्ट्रीय कानून पर आधारित एक गैर सैनिक संगठन हैं। जिसका मकसद एशिया पसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता तथा आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाना हैं।

संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनी हिंदी

आखिरकार दीर्घकालिक प्रयासों के बाद भारत की राजभाषा हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बन गई है। भारत की ओर से लाए गए हिंदी के प्रस्ताव को महासभा ने मंजूरी दे दी। इसके साथ बांग्ला और उर्दु को भी इस श्रेणी में लिया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र में सभी कामकाज और जरूरी संदेश व समाचार इन तीनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। इन भाषाओं के अलावा मंदारिन, अंग्रेजी, अरबी, रूसी, फ्रेंच और स्पेनिश पहले से ही संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। संरा में भारत के स्थाई प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरूमती ने बताया कि हिंदी को 2018 से ही एक परियोजना के अंतर्गत संघ में बढ़ावा देने के लिए शुरूआत कर दी गई थी। इसी समय से हिंदी में संरा ने हिंदी में ट्विटर खाता और न्यूज पॉर्टल शुरू कर दिया था।

इस पर प्रत्येक सप्ताह हिंदी श्रब्य समाचार (ऑडियो बुलेटिन) सेवा शुरू कर दी गई थी। हिंदी की सेवाएं संरा के मंच से प्रसारित होना इसलिए आवश्यक थीं, जिससे संरा के महत्व को दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी भाषा जानने वाले लोगों को जानकारी हो सके। इसे सुविधाजनक बनाना इसलिए जरूरी था, जिससे संरा से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति से जुड़े मुद्दों को लोग जान सके। इस संस्था की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को पचास देशों के एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। वर्तमान में संरा के 193 देश सदस्य हैं। हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संरा को भारत सरकार ने आठ लाख डॉलर की मदद भी की थी।

यह वह समय है, जब हिंदी के पक्ष में अनेक अनुकूलताएं हैं। केंद्र की सत्ता में वह भारतीय जनता पार्टी है, जिसके दृष्टि -पत्र में हिंदी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का मुद्दा हमेशा रहा है। इसी दल के नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी दक्षेस नेताओं से हिंदी में द्विपक्षीय वाताएं करके और संयुक्त राष्ट्रसंघ समेत दुनिया के अनेक देशों में हिंदी में दिए उद्बोधनों में तालियां बटोरकर दुनिया को जता चुके थे, विश्व में हिंदी को बोलने और समझने वालों की संख्या करोड़ों में है।

मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जिस भाषा में वोट मांगे, उसी भाषा को देश-विदेश में संवाद की भाषा बनाए हुए हैं। अतएव योग दिवस को संरा में मान्यता मिल जाने के बाद जनता की यह उम्मीद बढ़ गई थी कि अब जल्दी ही हिंदी को संरा की मान्यता मिल जाएगी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार संरा की 4 अक्टूबर 1977 को संपन्न हुई बैठक में हिंदी में भाषण देने का श्रेय जाता है। तब वे विदेश मंत्री थे। इसके बाद वे सितंबर 2002 में संरा की सभा में हिंदी में बोले थे। लेकिन ये भाषणमूल रूप से अंग्रेजी में लिखे हुए अनुवाद थे। चंद्रषेखर भी प्रधानमंत्री रहते हुए मालदीव में आयोजित हुए दक्षेस-सम्मेलन में हिंदी में बोले थे। उनका यह भाषणमूलतः हिंदी में होने के साथ मौलिक भी था। पीवी नरसिंह राव कई देशी-विदेशी भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन विदेशी धरती पर हिंदी में बोलने का साहस नहीं दिखा पाए थे। मनमोहन सिंह भी हिंदी जानने के बावजूद परदेश में कभी हिंदी नहीं बोले। मोदी ही है, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक पूरी ठसक के साथ अलिखित भाषण देकर हिंदी का गौरव बढ़ा रहे हैं। गोया, हिंदी को संरा की भाषा बनाने के संकल्प का मुद्दा उनमें अन्य नेताओं की तुलना में कहीं ज्यादा रहा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी पांच भाषाएं विश्व की 16 प्रमुख भाषाओं की सूची में शामिल हैं। 160 देशों के लोग भारतीय भाषाएं बोलते हैं। विश्वके 93 देश ऐसे हैं, जिनमें हिंदी जीवन के बहुआयामों से जुड़ी होने के साथ, विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है। चीनी भाषा मंदारिन बोलने वालों की संख्या हिंदी बोलने वालों से ज्यादा जरूर है, किंतु अपनी चित्रात्मक जटिलता के कारण, इसे बोलने वालों का क्षेत्र चीन तक ही सीमित है। शासकों की भाषा रही आंग्रेजी का शासकीय व तकनीक क्षेत्रों में प्रयोग तो अधिक है, किंतु उसके बोलने वाले हिंदी भाषियों से कम हैं। 1945 में संरा की आधिकारिक भाषाएं 4 थीं, अंग्रेजी, रशियन, फ्रांसीसी और चीनी। ये भाषाएं अपनी विलक्षण्ता या ज्यादा बोली जाने के वनस्वित, संरा की भाषाएं इसलिए बन पाई थीं, क्योंकि ये विजेता महाशक्तियों की भाषाएं थीं। बाद में इनमें अरबी और स्पेनिश शामिल कर ली गई। विश्व-पटल पर हिंदी बोलने वालों की संख्या दूसरे स्थान पर होने के बावजूद इसे संरा में अब जाकर शामिल किया गया है। यही नहीं भारतीय और अनिवासी भारतीयों को जोड़ दिया जाए तो हिंदी पहले स्थान पर आकर खड़ी हो जाती है। भाषाई आंकड़ों की दृष्टि से जो सर्वाधिक प्रमाणित जानकारियां सामने आई हैं, उनके आधार पर संरा की छह आधिकारिक भाषाओं की तुलना में हिंदी बोलने वालों की स्थिति निम्न है, मंदारिन 80 करोड़, हिंदी 55 करोड़, स्पेनिश 40 करोड़, आंग्रेजी 40 करोड़, अरबी 20 करोड़, रूसी 17 करोड़ और फ्रेंच 9 करोड़ लोग बोलते हैं।

असम की बाढ़ : कारण और निवारण के बीच फंसे लोग

असम में बाढ़ कोई नई घटना नहीं है. किन्तु मानसून के पहले ही चरण में बाढ़ का इतना ज्यादा टिक जाना और इसके लिए सरकार के मुखिया द्वारा लोगों पर दोषारोपण असम के लिए नई घटना है।गौर फरमाइए कि असम के मुख्यमंत्री ने सिल्चर नगर की बाढ़ के लिए बराक नदी के तटबंध के क्षतिग्रस्त हो जाने को जिम्मेदार ठहराया है। किन्तु किसी एक तटबंध के क्षतिग्रस्त हो जाने के लिए कुछ लोगों को दोषी ठहराकर श्रीमान हिमंत बिस्वा अपनी सरकारी जवाबदेही से बच नहीं सकते। रिपोतार्ज कह रहे हैं कि अब तक एक नहीं, 297 तटबंध क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सैंड्रप नामक प्रख्यात अध्ययन केंद्र के मुताबिक, रखरखाव और सतत निगरानी के अभाव में ऐसा हुआ है। क्या मुख्यमंत्री महोदय इसके लिए भी लोगों को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे?

यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि तटबंध यहाँ न दरकते तो क्या नदी उफनती ही न? क्या नदी यूं ही सहज बह जाती? विशेषज्ञ कहते हैं कि जंगलों के कटान, मलबे की डंपिंग तथा नदी व अन्य जल ढांचों की जमीन पर बढ़े कब्जे ने बाढ़ के रूप को विकराल किया है। बांधों के निर्माण और प्रबंधन को लेकर सवाल हैं ही। जाहिर है कि नदी यहां न उफनती, तो कहीं और कहर ढहाती। यदि तटबंध नदी के बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन एरिया) के भीतर बनेंगे तो एक न एक दिन दरकेंगे ही। क्या नदी के वेग को आवेग में बदलने में तटबंधों की कोई भूमिका नहीं? तटबंधों के बीच नदी और उसके किनारे बसी बसावटों के फंसने के कष्ट को कोसी नदी के बाशिंदों से ज्यादा कौन जानता है? बावजूद इसके यदि यमुना नदी की भूमि पर अक्षरधाम, खेलगांव, मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा के लिए नया तटबंध बनाते वक़्त जब राजधानी ने ही इस तथ्य की अनदेखी की है; गोमती, साबरमती समेत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की सारी परियोजनएं यही कर रही है तो लोगों को दोष क्यों? मेरी राय है किसी भी राज्य में आने वाली बाढ़ों की विकरालता में अब ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस-वे जैसे उन सभी महामार्गों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, जो नदी किनारे अक्खड़ तटबंधों की तरह खड़े हैं। इस बारे में इंजीनियरों, मुख्यमंत्रियों और भारत सरकार के सड़क मंत्रियों का आंखें मूंद लेना, तारीफ के काबिल कतई नहीं।

जरुरत किस भी बाढ़ के कारण और निवारण पर विस्तार से चर्चा करने की है। किन्तु चर्चा के शुरू में यह सवाल पूछ लेना जरुरी है कि क्या बाढ़ सचमुच इतनी बुरी घटना है कि हम इससे बचने के उपाय तलाशें?

जवाब यह है कि है कि बाढ़ हमेशा बुरी नहीं होती; बुरी होती है एक सीमा से अधिक उसकी तीव्रता तथा उसका जरूरत से ज्यादा दिनों तक टिक जाना। मिट्टी, पानी और खेती के लिहाज से बाढ़ वरदान होती है। प्राकृतिक बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी, मछलियां और अगली फसल में अधिक उत्पादन लाती है। यह बाढ़ ही होती है कि जो नदी और उसके बाढ़ क्षेत्र के जल व मिट्टी का शोधन करती है। बाढ़ ही भूजल भण्डारों को उपयोगी जल से भर देती है। इस नाते बाढ़, जलचक्र के संतुलन की एक प्राकृतिक और जरूरी प्रक्रिया है। इसे आना ही चाहिए। बाढ़ के कारण ही आज गंगा का उपजाऊ मैदान है। बंगाल का माछ-भात है। बिहार के कितने इलाकों में बिना सिंचाई के खेती है। जाहिर है कि हमें बाढ़ नहीं, बाढ़ के वेग और टिकने के दिनों के कारणों की तलाश करनी चाहिए। बारिश के दिनों में नगरों में जलभराव के कारण, तलाश का एक भिन्न विषय है।

गौरतलब तथ्य

इस दिशा में सबसे गौरतलब तथ्य यह है कि इस वर्ष जिन तारीखों में बाढ़ व

नगरों में जलभराव के समाचार सबसे ज्यादा आये, उन तारीखों में लगभग सभी संबधित राज्यों के वर्षा औसत में बढ़ोत्तरी की बजाय, कमी के आंकडे.हैं। इससे स्पष्ट है कि बाढ़ का कारण वर्षा औसत की अधिकता तो कतई नहीं है। साधारणतया बाढ़ में आई अप्रत्याशित तीव्रता के असल कारण पांच ही हैंः बादलों का फटना, नदियों में अधिक कटाव, अधिक गाद जमाव, नदी भूमि पर अतिक्रमण तथा बांध-बैराज व उनका कुप्रबंधन।

बाढ़ के अधिक टिक जाने के दो कारण हैः मानव द्वारा नदियों को रास्ता बदलने को विवश करना तथा जलनिकासी मार्गों को अवरुद्ध किया जाना।

आइये समझें कि कैसे?

कायदा यह है कि बारिश से पहले हर बांध के जलाश्य को खाली कर दिया जाना चाहिए। बारिश के दौरान लगातार थोड़ा-थोड़ा पानी छोड़ते रहना चाहिए। वर्ष 2016 में गंगा में आई बाढ़ को याद कीजिए कि आखिरकार हुआ क्या था । जून तक मध्य प्रदेश के लोग जलापूर्ति ने होने से परेशान थे। जलाश्य खाली कर उन्हे पानी पहुंचाया जा सकता था। म. प्र. के बाणसागर बांध प्रबंधकों ने ऐसा नहीं किया। जलाश्य में 33.3 प्रतिशत से अधिक पानी को रोक कर रखा। 19 अगस्त की सुबह तक बाणसागर बांध में उसकी क्षमता का 96 प्रतिशत भरने की गलती की। फिर 19 अगस्त के दिन में दो घंटे में इतना पानी छोड़ दिया कि उसने उ.प्र.-बिहार तक को दुष्प्रभावित किया।

ऐसी गलतियों के उदाहरण कई हैं। एक समय बनबासा बैराज से एक साथ पानी छोड़ने से उत्तराखण्ड में आई बाढ़ को भला हम कैसे भूल सकते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हथिनीकुण्ड बैराज, नरोरा बैराज, अरैल बांध, रिहंद बांध आदि से छोडे. गये पानी को मुख्य कारण के तौर पर चिन्हित किया गया है। यही स्थिति टोंक ज़िले में स्थित बीसलपुर बांध आदि से एक साथ छोड़े पानी के कारण राजस्थान जैसे कम पानी के इलाके भी देख चुके हैं।बाढ़ के दुष्प्रभाव बढ़ाने में बांध-बैराजों की और क्या भूमिका है ?होता यह है कि बांध-बैराजों से पानी धीरे-धीरे छोड़ने की स्थिति में पानी आगे बढ़ जाता है और उसमें मौजूद गाद नीचे बैठकर पीछे छूट जाती है। छूटी गाद, जगह-जगह एकत्र होकर नदी के बीच टापू का रूप ले लेती है। ये टापू, नदी का मार्ग बदलकर उसे विवश कर देते हैं कि पीछे से अधिक पानी आने पर वह नये क्षेत्र की यात्रा पर निकल जाये। हिमालयी नदियां अपने साथ ज्यादा गाद लेकर चलती हैं; लिहाजा, कुछ वर्ष पूर्व कोसी ने अपना रास्ता 200 किलोमीटर तक बदला। नया मार्ग इसके लिए तैयार नहीं होता। नया इलाका होने के कारण जलनिकासी में वक्त लगता है। जलनिकासी मार्गों में अवरोधों के कारण भी बाढ़ टिकाऊ हो जाती है। यही कारण है कि पहले तीन दिन टिकने वाली बाढ़, अब पूरे पखवाडे.कहर बरपाती है; संपत्ति विनाश के अलावा बीमारी का कारण बनती है। दूसरी तरफ बांध-बैराजों से एक साथ छोड़ा पानी नदी किनारों के कटान का कारण बनता है। अचानक और बिना सूचना छोड़े अधिक पानी के लिए लोग तैयार नहीं होते। वे अनायास बाढ़ का शिकार बन जाते हैं। मध्य प्रदेश के तवा बांध ने भी कुछ वर्ष पूर्व यही किया था।

कभी कोलकोता बंदरगाह को गाद भराव से बचाने के नाम पर फरक्का बांध और बाढ़ मुक्ति के नाम पर कोसी तटंबध का निर्माण किया गया था। आज ये दोनो

ही निर्माण बाढ़ की तीव्रता बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। जिस गाद को समुद्र के करीब पहुंचकर डेल्टा बनाने थे, बांध-बैराजों में फंसने के कारण वह डेल्टा क्षेत्र में कमी और उनके डूब का कारण बन रही है। इसीलिए कोसी के तटबंध में फंसे गांव आज भी दुआ करते हैं कि तटबंध टूटे और उन्हे राहत मिले। इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कभी खुद फरक्का बांध को तोड़े जाने की मांग कर चुके हैं। इसीलिए नदी के निचले तट की ओर औद्योगिक कॉरीडोर, एक्सप्रेस-वे आदि निर्माण परियोजनाओं का विरोध किया जाता रहा है। इसीलिए अब बांध, बैराज और गाद को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की जा रही है। इससे एक बात और स्पष्ट है कि बांध, बैराज, तटबंध और नहरों का निर्माण बाढ़ मुक्ति का उपाय नहीं है। नदी को नहर या नाले का स्वरूप देने की गलती भी नहीं की जानी चाहिए। 'रिवर फ्रंट डेवल्पमेंट' के नाम पर कुछ दीवारें और चमकदार इमारतें खडी कर लेना, बाढ़ को विनाश के लिए खुद आमंत्रित करना है। बांध-बैराजों की उपस्थिति तथा नदी को उसके प्राकृतिक मार्ग से अलग कृत्रिम मार्ग पर ले जाने के कारण राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना भी इसका उपाय नहीं है। उपाय है यह है किबरसे पानी को नदी में आने से पहले ही अधिक से अधिक संचित कर धरती के पेट में बिठा देना। मिट्टी कटान को नियंत्रित करना और जलनिकासी मार्गों को अवरोधमुक्त बनाये रखना अन्य जरूरी सावधानियां हैं। खाली भूमि, उबड़-खाबड़-ढालदार भूमि, जंगल, छोटी वनस्पतियां, खेतों की ऊंची मजबूत मेड़बंदियां, तालाब-झील जैसे जल संचयन ढांचे यही काम करते हैं। बादल फटे या कम समय में ढेर सारा पानी बरस जाये, बाढ़ की तीव्रता कम करने की तकनीक भी यही है और सूखे से संकट से निजात पाने की तकनीक भी यही। हमें यह सदैव याद रखना होगा।

आइये, अब जरा नगरों के बाढ़ व जलजमाव की चपेट में आने के कारणों पर गौर करें।

इसका एक कारण यह है कि नगरों के जलनिकासी तंत्र पहले एक बार में अधिकतम 12 से 20 मिलीमीटर वर्षा के हिसाब से डिजाइन किए जाते रहे हैं; जबकि पिछले पांच दशक के दौरान मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे नगरों में एक बार में 125 मिलीमीटर से अधिक तक वर्षा दर्ज करने के मौके देखने को मिले। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्वयं मानता है कि भारतीय नगरों की जलनिकासी क्षमता औसत वर्षा से बहुत अधिक कम है। देखरेख में कमी से यह क्षमता और कम हुई है। ठोस व पॉली कचरे के निष्पादन तथा मलबे को डंप करने के अवैज्ञानिक चाल-चलन तथा नदियों-तालाबों-झीलों के बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण भी भूमि के ऊपर व नीचे के जलनिकासी मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। दूसरी तरफ हर इंच को पक्का करने की बढ़ती प्रवृति के कारण बरसे पानी को सोखने की नगरीय क्षमता घटी है। मार्गदर्शी निर्देश हैं कि नगरों के निचले इलाकों को पार्कों, पार्किंग क्षेत्रों तथा अन्य खुले क्षेत्र के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। हमने इससे उलट श्रीनगर की डल व वूलर झील के बाढ़ क्षेत्र में कॉलोनियां बसा दी हैं। चेन्नई के 5000 हेक्टेयर से अधिक के मार्शलैंड को सिकोड़कर 500 हेक्टेयर में समेट दिया गया ? मुंबई के सिवरी के निकट स्थित दलदली क्षेत्र को ठोस कचरे से भर दिया गया। गौर कीजिए कि जयपुर का अमानीशाह नाला, कभी एक नदी थी। हमने पहले उसका नाम बदला और फिर उसके भीतर तक पक्की बसावट होने दी है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने खुद इस नदी भूमि में आवंटन किया। अलवर से निकलने वाली साबी नदी के साथ हरियाणा और दिल्ली ने यही किया।

गुडगाँव का संकट

गुडगांव की भू-आकार देखिए। गुड़गांव एक ऐसा कटोरा है, जिसकी जलनिकासी को सबसे ज्यादा साबी नदी का सहारा था। हरियाणा ने साबी का नाम बदलकर बादशाहपुर नाला और दिल्ली ने नजफगढ़ नाला लिखकर नदी को नदी रूप में बनाये रखने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तिस पर गलती यह कि बादशाहपुर नाले को कंक्रीट का बना दिया गया है।

मदरसों में पढ़ाया जा रहा है ईशनिंदा का पाठ

आखिकार उदयपुर में आंतकवादियों द्वारा की गई दर्जी कन्हैयालाल की बर्बर हत्या से जुड़ी जो शंकाएं थीं,वे सही साबित होती लग रही हैं।इस तालिबानी वारदात के तार पाकिस्तान परस्त आंतकी संगठन 'दावत-ए-इस्लामी' से तो जुड़े पाए ही गए हैं, हत्यारों में से एक गौस मोहम्मद 2014 में कराची (पाकिस्तान) जाकर आंतक का पाठ भी पढ़कर भारत आया। कराची से लौटने के बाद इसने धर्म के नाम पर मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम किया। इसी ने रियाज अख्तरी के साथ मिलकर कन्हैयालाल साहू की दुकान में घुसकर दिनदहाड़े निर्मम हत्या की।इस कराची कनेक्शन का खुलासा राजस्थान पुलिस ने इन दोनों की नामजद हत्यारों समेत साजिश में शामिल एक अन्य की राजसमंद से गिरफ्तारी और फिर पूछताछ के बाद किया है।केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पाक स्थित सुन्नी इस्लामी इस आंतकी संगठन का गठन 1981 में कराची में किया गया था। इस जघन्य हत्या के बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसा शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ईशनिंदा की सजा गला काटना है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नाबालिगों को ईशनिंदा करने वालों का सिर कलम करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है? यह मुस्लिम कानून कुरान से नहीं आया है, मुस्लिम शासकों के समय इसे व्यक्तियों ने लिखा है।खुदा का कानून मानकर नादान बच्चे इससे प्रभावित हो जाते हैं और उसी के मुताबिक व्यवहार करने लगते हैं।अतएव कोई पढ़ाई जब धर्म और आस्था से जोड़ दी जाती है तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए इस बीमारी से निपटने का प्रयास होना चाहिए। यह अच्छी बात है कि इस हत्या पर मुस्लिम धर्मगुरूओं ने बड़ी संख्या में इस बर्बर हत्या की कड़ी निंदा की है।

ईषनिंदा के बहाने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया जैसे देशों में दूसरे धर्म के लोगों की बर्बर हत्याएं करना आम बात है। यहां तक की बच्चों तक को बेरहमी से मार दिया जाता है। कन्हैया के भी आठ साल के पुत्र ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट की थी, न कि कन्हैया ने। यानी ये हत्यारे इतने बौराए हुए हैं कि इन्हें बालक की नासमझी पर भी तरस नहीं आता है। इनका दुस्साहस इस वारदात में इस हद तक दिखा कि आरोपी रियाज ने कन्हैया पर धारदार हथियार से हमला किया और गला रेता। गौस मोहम्मद ने इस घटना की वीडियो बनाई। घटना को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया। इन हत्यारों ने मंजूर भी किया कि उन्होंने कन्हैया की हत्या इसलिए कि क्योंकि वह पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा का समर्थक था। इस हत्या के बाद रियाज ने 17 जून को बनाया एक अन्य वीडियो भी अपलोड किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

धमकाया गया है। इसी किस्म की वारदात को अंजाम 2019 में लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या करके दिया गया था। फेसबुक, वाट्सअप और ट्विटर जैसे प्लेटफार्म पर हिंसक वीडियो नहीं दिखाने के दावे तो बहुत करते हैं, बावजूद भड़काऊ आडियो-वीडियो दिखाने से बाज नहीं आते हैं। रियाज के वीडियो भी घटना के बाद लगातार वायरल होते रहे। अर्थात इनका किसी देश के सांप्रदायिक सद्भाव से कोई वास्ता नहीं है? जम्मू-कश्मीर में जब धारा-370 और 35-ए के खात्मे के बाद हालात सामान्य होने के साथ, जन-जीवन मुख्य धारा से जुड़ रहा है, तब कुछ पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन मासूमों को आतंक की राह पर धकेलने का क्रूर खेल, खेल रहे हैं। पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने बच्चों से लेकर किशोरों एवं युवाओ को गुमराह करने वाले जैष-ए-मोहम्मद के जमीनी कार्यकताओं के नेटवर्क को कुछ समय पहले ध्वस्त किया था। इसके लिए दक्षिण और मध्य कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में छापे मारकर दस ओवरग्राउंड वर्करों को हिरासत में लिया है। इन साजिशकताओं के साथ कुछ स्कूली छात्र भी शामिल थे। ये आतंकी पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन चलाने वाले सरगनाओं के संपर्क में थे। ये लोग किशोर उम्र के मासूमों को आतंकी संगठन के लिए भर्ती में जुटे थे। जिससे जिहाद कश्मीर की सीमाओं से बाहर निकालकर देश के शांत इलाकों में फैला दिया जाए। कुछ समय पहले भी दक्षिण-कश्मीर के शोपियां जिले में एक धार्मिक मदरसे के तेरह छात्रों के आतंकवादी समूहों में शामिल होने की खबर मिली थी। इस सिलसिले में जामिया-सिराज-उल-उलूम नाम के मदरसे के तीन अध्यापकों को जन-सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। इसे कश्मीर के नामी मदरसों में गिना जाता है। इसके पहले भी यह मदरसा हिंसक घटनाओं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और छात्रों के आतंकी वारदातों में शुमार होने के कारण जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है। हैरानी है कि पिछले कुछ सालों में जो छात्र दक्षिण-कश्मीर में मारे गए हैं, उनमें से 13 ने इसी मदरसे से आतंकी इबारत का पाठ पढ़ा था।

पुलवामा हमले में शामिल रहे सज्जाद बट ने भी यहीं से पढ़ाई की थी। अल-बदर का आतंकी जुबैर नेंगरू, हिजबुल का आतंकी नाजमीन डार और एजाज अहमद पाल भी जिहाद की इसी पाठशाला से निकले थे। यह मदरसा जमात-ए-इस्लामी से जुड़ा हैं। इस मदरसे में जम्मू-कश्मीर के अलावा उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, केरल, और तेलंगाना के छात्र भी पढ़ने आते हैं। संभव है । इस खुलासे से साफ हुआ था कि सेना, सुरक्षाबलों और स्थानीय पुलिस का शिकंजा घाटी में कस रहा है। इसलिए आतंकी संगठन मदरसों में छात्रों को आतंक का पाठ पढ़ाकर देश में उत्पात मचाने को आतुर हैं। दरअसल बच्चों का मन निर्दोष और मस्तिश्क कोरा होता है, इसलिए उन्हें धार्मिक कट्टरता के बहाने आतंक का पाठ पढ़ाना आसान होता है। चूंकि धारा-370 और 35-ए के खात्मे के बाद घाटी की आम जनता खुले रूप में न केवल मुख्यधारा में शामिल हो रही है, बल्कि शासन-प्रशासन की योजनाओं में बढ़-चढ़कर भागीदारी कर लाभ भी उठा रही है। पुलिस और सुरक्षाबलों के लिए मुखबिरी का काम भी आम लोग करने लग गए हैं। इसलिए आतंकी संगठन जनता में घुसपैठ बनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं।

नतीजतन ये मासूमों को आतंक का पाठ पढ़ाने की कवायद में लगे हैं। श्रीनगर में सात लाख पर्यटकों के पहुंचने से भी आतंकी गुट परेशान हैं।उनकी परेशानी अमरनाथ यात्रा को लेकर भी रहती है। घाटी की आतंकी दौर में यह हकीकत रही है कि पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैष-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद्दिन ने जम्मू-कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों पर जो भी आत्मघाती हमले कराए हैं, उनमें बड़ी संख्या में मासूम बच्चों और किशोरों का इस्तेमाल किया गया था। इस सत्य का खुलासा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद् की 'बच्चे एवं सशस्त्र संघर्ष' नाम से आई रिपोर्ट में भी किया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे आतंकी संगठनों में शामिल किए जाने वाले बच्चे और किशोरों को आतंक का पाठ मदरसों में पढ़ाया गया है। साल 2017 में कश्मीर में हुए तीन आतंकी हमलों में बच्चों के शामिल होने के तथ्य की पुष्टि हुई थी। पुलवामा जिले में मुठभेड़ के दौरान 15 साल का एक नाबालिग मारा गया था और सज्जाद बट शामिल था।

सावधान! बिटॅक्वाइन - एक काल्पनिक मायावी मुद्रा ?

आर्थिक जगत में आजकल बिटॅक्वाइन बहुत ही चर्चित है, आखिर बिटॅक्वाइन है क्या? बिटॅक्वाइन को समझने से पहले यहां यह समझ लेना जरूरी है कि किसी भी देश की मुद्रा का चलन और उसकी कुल कीमत उस देश के पास कितना स्वर्ण भण्डार है इस पर निश्चित होता है। अधिकतर देश इसी परिपाटी को अपनाते रहे हैं लेकिन आज जिस प्रकार बिटॅक्वाइन नामक मुद्रा का चलन शुरू हुआ है जिसमें न किसी संस्था की जवाबदेही है न ही यह मान्यता प्राप्त है और न ही उसमें मुद्रा नियमों के चलन का अनुशरण किया गया है इसीलिए यह मुद्रा एक मायावी काल्पनिक मुद्रा बनकर रह गयी है। यह कहने से पहले या इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें निम्नलिखित कुछ बातों को ध्यान में लाना होगा।

बिटॅक्वाइन सन 2008 में विश्व भर में मंदी के बाद श्री नाकामोटो द्वारा इजाद की गयी परिकल्पना के आधार पर किया गया एक विचार है जिसका कि आज के समय में या इसके चलन में कोई हस्तक्षेप नहीं है। बिटॅक्वाइन मुद्रा की संख्या केवल 2 करोड़ 10 लाख तक हो सकती है, यह भी निश्चित है क्योंकि जिस कंप्यूटर प्रणाली से एक-एक बिटॅक्वाइन की उत्पत्ति हुई है यह उस सीमा की संख्या के बराबर है। एक आंकलन के अनुसार अब तक मात्रा विश्व में एक करोड़ 60 लाख बिटॅक्वाइन चलन में आ चुके हैं अभी लगभग 50 लाख बिटॅक्वाइन की उत्पत्ति होनी बाकी है।

बिटॅक्वाइन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग इसको अपने पास रखने की चाहत रखते हैं और अपना पंजीकरण बिटॅक्वाइन एक्सचेंजों में कराया हुआ है और भारत में केवल 5 लाख लोगों के पास या तो बिटॅक्वाइन हैं या उन्होंने इस मुद्रा को पाने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। बिटॅक्वाइन ठीक इसी प्रकार से अपनी कीमतों में उतार-चढ़ाव देखता है जिस प्रकार किसी कंपनी का कोई शेयर जिससे उसकी कीमत की निर्धारण मांग और आपूर्ति के हिसाब से हो जाता है।

बिटॅक्वाइन की देखा-देखी दुनिया में रिप्पल, इथेरियम, लाइट कॉइन, डेश, निओ जैसी दूसरी मुद्रायें भी अन्य कम्प्यूटरों की टैक्नोलोजी के माध्यम से प्रचलन में हैं किंतु बिटॅक्वाइन के भागीदार और प्रशंसक अधिक होने के कारण बाकी इन सभी ई-करंसियों को पछाड़ा हुआ है।

बिटॅक्वाइन की दुनिया भर में खनन हो रही है जिनके लिए मशीन भी बाजार में उपलब्ध है और दुनियाभर के काफी संख्या में लोग बिटॅक्वाइन बनाने में लगे हुए हैं। खासकर जो लोग कंप्यूटर्स में महारत हासिल किए हुए हैं। हिन्दुस्तान में नोटबंदी के बाद आए रियल एस्टेट की मंदी का कारण इस उद्योग के काफी लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए हैं।

बिटॅक्वाइन की बढ़ती हुई लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कई वर्ष पहले एक बिटॅक्वाइन की कीमत लगभग 7,000 रुपये हुआ करती थी जो आज लगभग 11 लाख रुपये प्रति बिटॅक्वाइन पर पहुंच चुकी है। भारत के एक गणमान्य व्यक्ति व उनके परिवार ने लगभग ढाई वर्ष पहले 16 हजार रुपये प्रति बिटॅक्वाइन के हिसाब से 1,000 बिटॅक्वाइन के स्टॉक लगभग 1.6 करोड़ रुपये के खरीदे थे जिनकी कीमत आज 110 करोड़ रुपये हो चुकी है और अगले वर्ष यह कभी भी 550 करोड़ तक पहुंच जायेगी, ऐसा दुनिया के जाने-माने कई अर्थ विश्लेषकों का कहना है और बिटॅक्वाइन के अंतिम चरण में पहुंचने से पहले प्रत्येक बिटॅक्वाइन की कीमत 1.8 करोड़ रुपये से 2.4 रुपये करोड़ के बीच हो सकती है। इन्हीं सब कारणें से दुनिया भर के लोग इसकी ओर आकर्षित होकर खरीद-फरोख्त करते हैं और रातों-रात करोड़पति बनने का

ख्वाब देख रहे हैं किंतु यह करंसी मायावी, काल्पनिक मुद्रा है और कंप्यूटरों के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है तो दुनिया भर के हैकर्स, जालसाज, सब इसमें निगाहे रखे हुए हैं। अगर सच मानें तो कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि बिटॅक्वाइन की संख्या अगर किसी भी व्यक्ति के पास बड़ी हो जाती है तो वह हैकर्स के टारगेट पर जल्दी आ जाती है। खासकर नार्थ कोरिया के बड़े-बड़े हैकर्स, इंजीनियर्स इसको हैक करने में लगे हुए हैं क्योंकि न तो बिटॅक्वाइन की लिखा-पढ़ी है, न ही यह मान्यता प्राप्त है। यह तो मात्रा एक सुविधा है जिसके माध्यम से अधिकतर गैरकानूनी मुद्रा सैकड़ों-करोड़ों में आदान-प्रदान की जा सकती है और की जा रही है। यही कारण है कि गैर कानूनी कार्यों में, ड्रग्स माफियाओं में, सोने के तस्करों में बड़ी-बड़ी रिश्वत इत्यादि में इसका चलन अविश्वसनीय तरीके से बेलगाम विश्व भर में चल रहा है और बढ़ रहा है।

इसी बात का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयकर विभाग ने ऐसी ही कानूनी-गैर कानूनी लेन-देन की खोज करने के लिए 5 लाख लोगों को नोटिस जारी किये हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों में बिटॅक्वाइन का लेन-देन किया है और बहुत पैसा कमाया है, जिस पर टैक्स वसूला जा सके और अब तो भारत सरकार ने ऐसी मायावी, काल्पनिक मुद्रा में आदान-प्रदान करने वाले लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस देने के पश्चात भारत में चल रहे नौ बड़े बिटॅक्वाइन एक्सचेंजों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड कर छानबीन शुरू कर दी है। भारत में हुई नोटबंदी के कारण देश भर के मध्यम वर्गीय लोगों ने म्युचुअल फंड्स के माध्यम से अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है लेकिन शायद जिन लोगों ने किन्हीं भी तरीकों से अपने नोटों को तो बदलवा लिया मगर उनको ठिकाने वह शायद बिटॅक्वाइन के माध्यम से ही लगाकर अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं यह भी एक बड़ा कारण है।

दुनिया भर के निवेश सलाहकार बिटॅक्वाइन को बब्बल करेंसी, चमड़े के सिक्के जैसा, ह्यहवा में किले सामान बनानाह्व जैसे मृग तृष्णामयी भ्रम मुद्रा कहते हैं और इसमें निवेश करने वालों को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यह कभी भी फट सकता है, फूट सकता है और भारत का रिजर्व बैंक भी इस निमित्त इस शंका की समय-समय पर चेतावनियां देता रहा है। ऐसे षड़यंत्रों से भारत को और भारतवासियों को बचाकर रखना होगा क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि मेहनत से कमाई गयी पूंजी विश्व के दूसरे बाजारों में जाकर स्थांतरित होकर डूब जाये और देश के नागरिकों पर आघात हो जाये। बिटॅक्वाइन की अस्थिरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन दिनांक 20 दिसंबर 2017 को बिटॅक्वाइन का रेट 13 लाख से गिरकर 10.5 लाख प्रति हुआ और अंत में संभलकर 12.45 लाख पर बंद हुआ। एक वर्ष में 20 गुना होने वाली मुद्रा ने 23 दिसंबर 2017 को 30 से 40 प्रतिशत मात्रा 24 घंटे में गिरकर अपना इतिहास बनाया।

बिटॅक्वाइन की उत्पत्ति वैसे तो एक ही प्रकार की कंप्यूटर टैक्नोलोजी और बड़े लोगों के हस्तक्षेप के बाद ही हुई है परंतु ऐसा भी महसूस होता है इसकी बचाने और चलाने में समय-समय पर इन बिटॅक्वाइन का अपहरण करना या हो जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि कई बड़े सरमायेदार और कई बड़ी आतंकवादी संस्थाएं

बिटॅक्वाइन एक्सचेंज के माध्यम से आदान-प्रदान कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खिला रहे हैं या खेलने के लिए हालात बना रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी जानकारी मिली है कि उत्तर कोरिया की अपहरणकताओं की टीम ने दक्षिण कोरिया की बिटॅक्वाइन एक्सचेंज को बंद होने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि उस एक्सचेंज की 17 प्रतिशत बिटॅक्वाइन पूंजी लगभग अपहर्त हो गयी थी। यह सब नार्थ कोरिया की तरफ से अपने ऊपर अन्य देशों द्वारा लगाये गये आर्थिक प्रतिबंधों के हुए नुकसान की भरपाई और आपूर्ति करने के लिए किया गया एक कदम है।

बिटॅक्वाइन को खरीदने, आदान-प्रदान करने में या यूं कहिए इसमें फंसने से इंसान पर मनौवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता रहता है वह लालचवश या यह कहिए कि उसका यह भाव कि मैं इस अवसर से छूट न जाऊं उसको मजबूर कर देता है और वह फिर फैलता चला जाता है। इतिहास साक्षी है कि हर 50-100 साल में बिटॅक्वाइन जैसे प्रकार के स्कैंडल होते रहते हैं जिसमें चंद पैसे वाले लोग कमाते हैं और अन्य सभी डूब जाते हैं या दिवालिया हो जाते हैं। बिटॅक्वाइन प्रकार के होने वाले स्कैंडल में प्रमुखता ज्नसपच डंदपं, म्डन कांड, हर्षद मेहता कांड, छेंकुं प्दकमग कांड, क्वूं वदमेए ॅसस ैजतममज कांड इत्यादि रहे हैं।

बिटॅक्वाइन उसी प्रकार की मुद्रा है जैसे किसी जमाने में विश्वसनीयता व विश्वास पर आधारित हुंडियां, रुक्का, प्रोनोट इत्यादि बगैर किसी मुद्रा के चलन में हुआ करते थे उसी प्रकार से यह बिटॅक्वाइन भी सिर्फ अपनी छद्म विश्वसनीयता को बनाते और बढ़ाते हुए योजनाबद्ध षड़यंत्रा के तहत चलन में चल रहे हैं जिसका अंततः गिरना और मटियामेट होना लगभग तय है। अतः लालचवश या रातोरात अमीर बनने का स्वप्न देखने वालों को ऐसे मायाजालों से बचना चाहिए और औरों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं योजनाबद्ध षड्यंत्रा के अलावा अन्ततः और कुछ नहीं होतीं, वैसे भी एक पुरानी प्रचलित कहावत है कि लालच बुरी बला है। यानी कि लालच बहुत ही बुरी बला समस्या है।

विकास के पथ पर बड़ी मजबूती के साथ टिकी हुई है देश की अर्थव्यवस्था

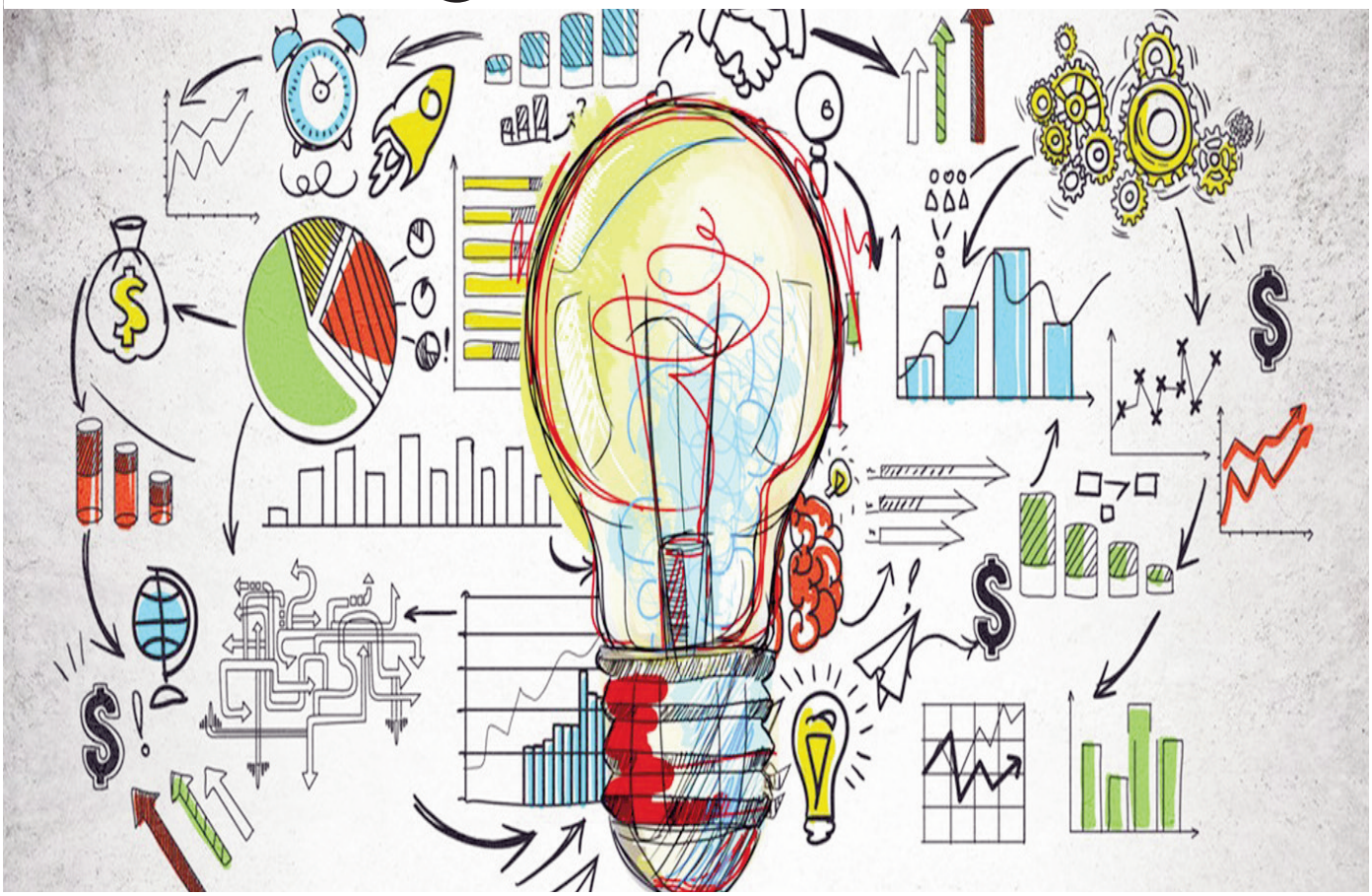

आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की स्थिति (एसओई) 2020-21 -व्यापक नजरिया शीर्षक वाले विशेष अध्याय में कोविड काल की भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यंत सहज विवरण पेश किया गया है। इसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा समय पर उठाए गए प्रभावकारी नीतिगत कदमों की मदद से सबसे पहले तो देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में दर्ज की गई तेज ऋणात्मक गिरावट को सफलतापूर्वक अत्यंत सीमित किया गया और फिर ठीक इसके बाद ही जीडीपी में 'वी' आकार में निरंतर बेहतरी हासिल की गई। इसके साथ ही इस अध्याय में उन सरकारी नीतियों से मिलने वाले अभिनव मजबूत सहारे का भी उल्लेख किया गया है जिनका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को महामारी से पहले के तेज विकास वाले पथ पर फिर से अग्रसर करना है। एसओई में महामारी का प्रकोप शुरू होने के समय पूरी दुनिया के सामने उत्पन्न हुई जीवन बनाम आजीविका की उस नीतिगत दुविधा का भी उल्लेख किया गया है जिसके तहत समस्त देश इन दोनों में से किसी एक का चयन करने पर विवश हो गए थे। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, इसने महामारी को नियंत्रण में रखने की रणनीति को अपनाते हुए सबसे पहले लोगों की जिंदगियां बचाने पर ही फोकस किया, लेकिन महामारी से निपटने की कारगर व्यवस्था हो जाने के बाद इसने जल्द ही लोगों की आजीविकाओं को बनाए रखने पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने की प्रक्रिया में तेजी लाना था। इसके अत्यंत अच्छे नतीजे देखने को मिले। इसकी बानगी आपके सामने है। वित्त वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही में जीडीपी में सालाना आधार पर 23.9 प्रतिशत की तेज ऋणात्मक गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी तिमाही में यह गिरावट काफी कम होकर 7.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। यही नहीं, इसके बाद महामारी से जुड़े संक्रमण के मामले भी निरंतर घटते चले गए। यह सब कुछ लॉकडाउन को बिल्कुल सही समय पर लागू करने और अनलॉकिंग की प्रक्रिया को क्रमिक रूप से धीरे-धीरे आगे बढ़ाने से ही संभव हो पाया। इतना ही नहीं, इसकी बदौलत भारत अन्य देशों की तुलना में काफी पहले ही उपर्युक्त नीतिगत दुविधा से बाहर निकल पाया। एसओई में जिस मौद्रिक रणनीति की चर्चा की गई है वह उधारी लागत कम करके और तरलता या नकदी प्रवाह बढ़ाकर कारोबारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से जुड़ी हुई है। आरबीआई ने नीतिगत दरों में कटौती की, खुले बाजार एवं दीर्घकालिक रेपो परिचालन की शुरूआत की, बैंकों के सीआरआर को कम किया, बैंकों की उधारी सीमाएं बढ़ाईं, सावधि ऋणों पर मोहलत दी एवं ब्याज अदायगी को स्थगन किया, सरकारों के अथोर्पाय अग्रिम को बढ़ाया, इत्यादि। नीतिगत दरों में उल्लेखनीय कटौती दरअसल इस रणनीति की खासियत प्रतीत होती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पूंजी के देश से बाहर जाने का खतरा था। हालांकि, महामारी से उत्पन्न आर्थिक सुस्ती से स्वयं को बाहर निकालने के लिए विकसित देशों द्वारा वैश्विक स्तर पर तरलता या नकदी प्रवाह की भरमार कर देने से पूंजी के भारत से बाहर जाने का खतरा टल गया। दरअसल, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में दिख रही तेज विकास की संभावनाओं के मद्देनजर विशेषकर भारत अपने यहां पूंजी को निरंतर आकर्षित करता रहा है।

महामारी से निपटने के लिए अपनाई गई राजकोषीय रणनीति के तहत शुरूआत में देश की आबादी के कमजोर वर्गों को एक सुरक्षा कवर प्रदान किया गया जिसमें

स्वास्थ्य संबंधी सहायता, खाद्य आपूर्ति, नकदी का हस्तांतरण, ऋण गारंटी, ब्याज संबंधी सब्सिडी और कर स्थगन, इत्यादि शामिल थे। राजकोषीय रणनीति के तहत किए जा रहे फोकस को वर्ष के उत्तरार्द्ध में बदल कर उपभोग या खपत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जैसा कि एसओई में विस्तार से बताया गया है, राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का आकार बढ़ाने की जरूरत इसलिए महसूस की गई, ताकि बढ़ती निजी उपभोग मांग के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। अनिश्चितता के प्रारंभिक दौर में निजी उपभोग मांग कम थी और यह मुख्यतः आवश्यक खर्चों तक ही सीमित थी क्योंकि लोग सावधानी बरतते हुए अपनी बचत राशि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तदनुसार, आवश्यक खपत या उपभोग को पूरा करने के लिए ही राजकोषीय व्यय सुनिश्चित किया गया। जैसे ही लॉकडाउन में ढील देने से अनिश्चितता दूर हुई, लोगों ने गैर-आवश्यक उपभोग पर खुलकर खर्च करना शुरू कर दिया। आर्थिक विकास की गति तेज होने पर अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता महसूस होने लगी, ताकि अर्थव्यवस्था में दिख रही बेहतरी के शुरूआती लक्षण को मजबूती प्रदान की जा सके। अतः निजी उपभोग में बदलाव के अनुरूप ही आवश्यक राजकोषीय उपाय करने से राजकोषीय संसाधनों की बबार्दी को रोकना सुनिश्चित किया जा सका।

जहां तक भारत सरकार का सवाल है, इसने महामारी को नियंत्रण में रखने की रणनीति को अपनाते हुए सबसे पहले लोगों की जिंदगियां बचाने पर ही फोकस किया, लेकिन महामारी से निपटने की कारगर व्यवस्था हो जाने के बाद इसने जल्द ही लोगों की आजीविकाओं को बनाए रखने पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने की प्रक्रिया में तेजी लाना था। इसके अत्यंत अच्छे नतीजे देखने को मिले। इसकी बानगी आपके सामने है। वित्त वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही में जीडीपी में सालाना आधार पर 23.9 प्रतिशत की तेज ऋणात्मक गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी तिमाही में यह गिरावट काफी कम होकर 7.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। यही नहीं, इसके बाद महामारी से जुड़े संक्रमण के मामले भी निरंतर घटते चले गए। यह सब कुछ लॉकडाउन को बिल्कुल सही समय पर लागू करने और अनलॉकिंग की प्रक्रिया को क्रमिक रूप से धीरे-धीरे आगे बढ़ाने से ही संभव हो पाया। इतना ही नहीं, इसकी बदौलत भारत अन्य देशों की तुलना में काफी पहले ही उपर्युक्त नीतिगत दुविधा से बाहर निकल पाया। एसओई में जिस मौद्रिक रणनीति की चर्चा की गई है वह उधारी लागत कम करके और तरलता या नकदी प्रवाह बढ़ाकर कारोबारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से जुड़ी हुई है। आरबीआई ने नीतिगत दरों में कटौती की, खुले बाजार एवं दीर्घकालिक रेपो परिचालन की शुरूआत की, बैंकों के सीआरआर को कम किया(।

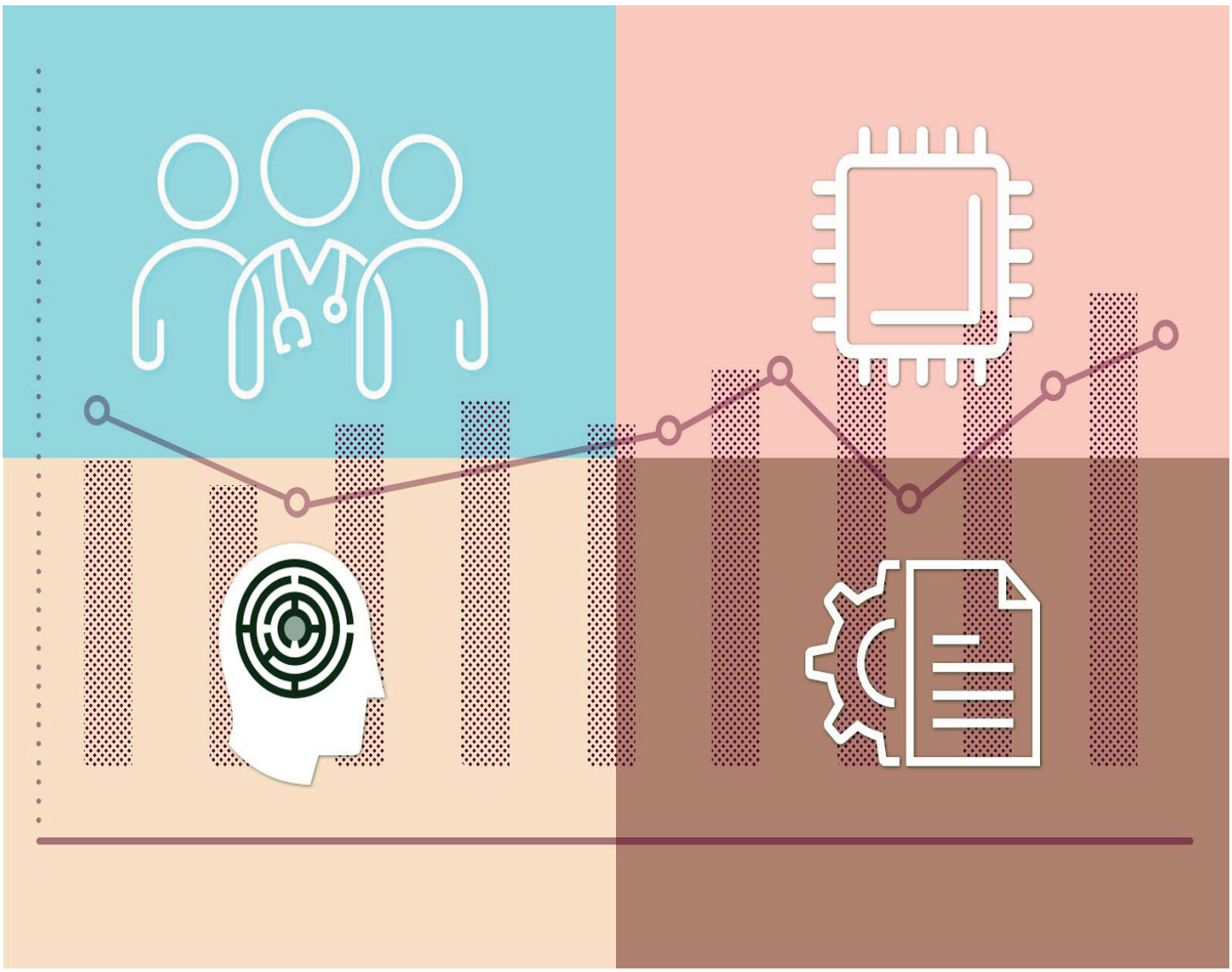

सबके बराबर, कम किसी से नहीं, सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए समान अवसर

वैसे तो, भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं का प्रवेश ब्रिटिश भारत के समय से ही अलग-अलग स्तर पर रहा है, उनकी भूमिका नर्सिंग और चिकित्सा अधिकारियों से संबंधित ज्यादा थी या तैनाती के दौरान सैनिकों, परिवार और जनता की देखभाल करने की जिम्मेदारी होती थी। हालांकि, शारीरिक विशेषताओं और मातृत्व को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों के कुछ वर्गों की चिंताओं के कारण महिलाओं को समान अधिकारनहीं मिले थे।

सरकार ने महिलाओं को भारतीय रक्षा बलों के गौरवान्वित और आवश्यक सदस्यों के रूप में मान्यता दी है और सामर्थ्य, जो उनके भीतर मौजूद होती है। इस प्रकार से पिछले छह वर्षों में सरकार ने भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं को ज्यादा अवसर देने के साथ-साथ महिलाओं और पुरुषों के लिए सेवा की शर्तों में समानता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज भारतीय रक्षा बलों के भीतर महिलाएं काफी सशक्त हैं, चाहे वह भारतीय सेना हो, भारतीय नौसेना या भारतीय वायु सेना। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के शब्दों में सरकार का यह दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, 'भारत सरकार हमारे सशस्त्र बलों में 'स्त्री शक्ति' को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

स्वतंत्रता मिलने के बाद, 1992 में महिला विशेष प्रवेश योजना (डब्ल्यूएसईएस) के माध्यम से भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती शुरू हुई। फरवरी 2019 में, सेना ने आठ वर्गों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया, जो हैं सिग्नल्स इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस। इससे पहले जेएजी और एईसी स्ट्रीमों के लिए 2008 में मंजूरी दी गई थी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि महिलाओं अधिकारियों और उनके पुरुष समकक्षों के लिए सेवा की अलग-अलग शर्तें हटा दी जाएं। भारतीय सेना में महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं।

यहां तक कि भारतीय नौसना में, 2008 से ही शिक्षा शाखा, कानून और नौसेना कंस्ट्रक्टर्स कैडर्स में महिलाओं के लिए स्थायी आयोग को मंजूरी दे दी गई थी, पर

अदालतों में कुछ मुकदमों के कारण इसे अक्टूबर 2020 में लागू किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, पहली बार 41 महिलाओं को योग्यता के आधार पर स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। वास्तव में, भारतीय नौसेना में स्थायी कमीशन अब व्यावहारिक रूप से सभी शाखाओं के लिए उपलब्ध है। न केवल स्थायी कमीशन बल्कि सरकार ने महिला अधिकारियों के लिए अवसरों को भी बढ़ाया है जैसे- दिसंबर 2019 में डोर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए नौसेना पायलट के तौर पर पहली महिला अधिकारी का चयन हुआ, सितंबर 2020 में पहली बार सी किंग हेलिकॉप्टर्स में दो महिला पर्यवेक्षक अधिकारियों को शामिल किया गया, नौसना के जहाजों पर सेवा देने के लिए चार महिला अधिकारियों को तैनात किया गया, पहली बार रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के लिए किसी महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया और नविका सागर परिक्रमा, पहली ऐसी परियोजना, जिसमें भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों की एक टीम ने 2017-18 में भारत नौसेना की नौका आईएनएसवी तारिनी से दुनिया का भ्रमण किया। अभियान ने नौसेना में नारी शक्ति का प्रदर्शन किया।

भारतीय वायु सेना में महिला अधिकारियों का पहला बैच 1993 में शामिल किया गया था। परिवहन और हेलिकॉप्टर स्ट्रीमों में महिला पायलटों का पहला बैच दिसंबर 1994 में भर्ती किया गया। हालांकि भारतीय वायु सेना ने महिलाओं के लिए सभी शाखाओं को 2016 में खोला। इसके परिणामस्वरूप, भारत को जून 2016 में पहली महिला फाइटर पायलट मिली। सितंबर 2020 तक भारतीय वायु सेना में 1875 महिला अधिकारी हैं, जिनमें 10 फाइटर पायलट और 18 नेविगेटर शामिल हैं। भारतीय वायु सेना में कई महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया है। 29 मई 2019 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत दिन और रात में ऑपरेशन करने वालीं पहली महिला फाइटर बनीं। सारंग फॉर्मेशन ऐरोबैटिक डिस्प्ले टीम में पहली महिला पायलट के तौर पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीपिका मिश्रा शामिल हुईं।

स्वतंत्रता मिलने के बाद, 1992 में महिला विशेष प्रवेश योजना (डब्ल्यूएसईएस) के माध्यम से भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती शुरू हुई। फरवरी 2019 में, सेना ने आठ वर्गों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया, जो हैं सिग्नल्स इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस। इससे पहले जेएजी और एईसी स्ट्रीमों के लिए 2008 में मंजूरी दी गई थी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि महिलाओं अधिकारियों और उनके पुरुष समकक्षों के लिए सेवा की अलग-अलग शर्तें हटा दी जाएं। भारतीय सेना में महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। यहां तक कि भारतीय नौसना में, 2008 से ही शिक्षा शाखा, कानून और नौसेना कंस्ट्रक्टर्स कैडर्स में महिलाओं के लिए स्थायी आयोग को मंजूरी दे दी गई थी, पर अदालतों में कुछ मुकदमों के कारण इसे अक्टूबर 2020 में लागू किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, पहली बार 41 महिलाओं को योग्यता के आधार पर स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। वास्तव में, भारतीय नौसेना में स्थायी कमीशन अब व्यावहारिक रूप से सभी शाखाओं के लिए उपलब्ध है। न केवल स्थायी कमीशन बल्कि सरकार ने महिला अधिकारियों के लिए अवसरों को भी बढ़ाया है जैसे- दिसंबर 2019 में डोर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए नौसेना पायलट के तौर पर पहली महिला अधिकारी का चयन हुआ।

मई 2019 में, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुल भारद्वाज, फ्लाइंग ऑफिसर अमन निधि और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल भारतीय वायु सेना का विमान उड़ाने वाली पहली 'सभी महिला' क्रू बनीं। फाइटर कंट्रोलर के तौर पर स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को 2019 में कश्मीर के आसमान में दुश्मन की हरकत को नाकाम करने के लिए युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। विंग कमांडर आशा ज्योतिर्मय के पास देश में सबसे ज्यादा पैरा जंप का रिकॉर्ड है।

सरकार ने 2017 में सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए प्रवेश शुरू किया। सैनिक स्कूल, छिंगछिप मिजोरम पहला सैनिक स्कूल बना, जहां शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए लड़कियों को प्रवेश दिया गया। बालिका कैडेटों ने सक्रिय रूप से सभी गतिविधियों में हिस्सा लिया, चाहे वह खेल हो या अकादमिक और उन्होंने सभी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पांच अन्य स्कूलों, जिनमें सैनिक स्कूल बीजापुर और सैनिक स्कूल कोडागु, कर्नाटक में; महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल चंद्रपुर; उत्तराखंड में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल और आंध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल कलिकिरी को शैक्षणिक सत्र 2020-21 और बाकी सैनिक स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लड़कियों को प्रवेश देने के लिए कहा गया था। सरकार के इन कदमों के परिणामस्वरूप, भारतीय रक्षा बलों में महिला अधिकारियों को लेकर लैंगिक पूर्वाग्रह समाप्त हो रहा है। आज ज्यादा महिलाएं रक्षा बलों में शामिल हो रही हैं और देश की सेवा कर रही हैं और देश को गौरवान्वित कर रही हैं।

रेरा रियल एस्टेट क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन

शहरी भारत और रियल एस्टे ट क्षेत्र का इतिहास हमेशा दो चरणों में याद किया जाएगा- रेरा पूर्व और रेरा के बाद उपभोक्ता संरक्षण मोदी सरकार के लिए विश्वास का एक विषय है। उपभोक्ता किसी भी उद्योग का आधार होते हैं, जिसके वृद्धि और विकास के केन्द्र में उसके हितों की रक्षा होती है।पदभार संभालने के डेढ़ साल के भीतर, मोदी सरकार ने मार्च 2016 में रेरा लागू किया, जो एक दशक से अधिक समय से तैयार होने में लगा हुआ था।

रेरा ने अब तक अनियंत्रित एक क्षेत्र में शासन प्रणाली को प्रभावित किया है। विमुद्रीकरण और वस्तु और सेवा कर कानूनों के साथ, इसने काफी हद तक रियल एस्ट्टे क्षेत्र से काले धन का सफाया किया है।

रेरा में परिवर्तनकारी प्रावधान हैं, जो बड़ी ईमानदारी से उन लोगों पर निशाना साधते हैं जो लगातार रियल एस्टेट क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि किसी भी परियोजना को सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर परियोजना के नक्शेप के बिना बेचान हीं जा सकता है और नियामक प्राधिकरण में पंजीकृत परियोजना को झूठे विज्ञापनों के आधार पर बेचने की प्रथा को समाप्त किया जा सकता है।

जिस काम के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, उनके अलावा अन्य उद्देश्यों / गतिविधियों के लिए धनराशि लगाने (फंड डायवर्जन) को रोकने के लिए प्रमोटरों को' परियोजना आधारित अलग बैंक खाता' रखना आवश्यक है।ह्यकारपेट एरियाह्ल के आधार पर यूनिट के आकार की अनिवार्य जानकारी देना चालबाजी और बेईमानी से उपभोक्ताय को नुकसान पहुंचाने वाली व्यह्लवस्थार की जड़ पर वार करती है। अगर प्रमोटर या खरीदार भुगतान नहीं कर पाता है तो ब्याज का समान दर पर भुगतान करने का प्रावधान है।कानून के अंतर्गत ऐसे कई अन्य प्रावधानों ने क्षेत्र में व्यातप्तश अधिकार की असमानता में सुधार करते हुए उपभोक्ताओं को अधिकार सम्पअन्नऐ बना दिया है।

इस कानून पर समझौता बातचीत के इतिहास का तकाजा है कि किसी उचित समय में, इस कानून को पटरी से उतारने और इसे बनाने के लिए किए गए सभी असफल निर्लज्जे प्रयासों को सूची बद्ध किया जाना चाहिए।

वर्षों के विचार-विमर्श के बाद, इस विधेयक को 2013 में यूपीए के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था। 2013 के विधेयक और 2016 के कानून के बीच के स्पाष्टय अंतर को उजागर करना आवश्यक है। इस से देश के घर खरीदारों के हितों की रक्षा में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को समझने में मदद मिलेगी। 2013 के विधेयक में न तो 'चालू परियोजनाओं' और न ही 'वाणिज्यिकरियल एस्टेचट ' को शामिल किया गया था। परियोजनाओं के पंजीकरण की सीमा इतनी अधिक थी कि अधिकांश परियोजनाएं कानून के अंतर्गत आने से बच जाती थीं।इन अपवादों ने 2013 के विधेयक को निरर्थक बना दिया और यह वास्तव में घर खरीदारों के हितों के लिए अहितकर था।

वर्ष 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद, अनेक हितधारकों के बीच परामर्श के साथ-सा थ सम्पूजर्ण रूप से एक समीक्षा की गई और उसके बाद ह्यचालू परियोजनाओंह्ल और ह्यवाणिज्यिक परियोजनाओंह्ल दोनों को विधेयक में शामिल किया गया। अधिकतर परियोजनाओं को कानून के दायरे में लाने के लिए परियोजनाओं के पंजीकरण की सीमा को भी कम कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍ द्र मोदी जी की दृढ़ता और धैर्य के बिना, रेरा कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता था। जब 2013 का विधेयक संसद में लंबित था, महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस सरकार ने 2012 में विधान सभा में चुपचाप अपना कानून बना लिया था, वर्ष

2014 के आम चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले उसने फरवरी 2014 में संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत राष्ट्रपति की सहमति ली। महाराष्ट्र में इसलिए रेरा लागू नहीं हुआ।

केन्द्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यों की निंदा का सार्थक और स्पेष्ट प्रभाव पड़ा और केन् द्र में तत्कालीन यूपीए सरकार की शासन कार्य प्रणाली की कड़ी निंदा हुई। संदेह उस समय और बढ़ गया जब दिखाई दिया कि राज्य कानून निश्चित रूप से उपभोक्ता के अनुकूल नहीं था।ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपीए की रेरा को लागू करने की वास्तव में गंभीर इच्छा नहीं थी।

राजनीतिक लाभ के लिए, यूपीए ने संविधान के अनुच्छेद 254 के अंतर्गत मंजूरी देकर आम चुनावों से पहले, एक अधूरे और असम्बवद्ध कानून को लटका दिया। पार्टी का राज्यच विधेयक जिससे महाराष्ट्र के घर खरीदारों को स्थायी नुकसान हुआ होगा।

मोदी सरकार ने रेरा की धारा 92 के राज्य कानून को रद्द कर के इस विसंगति को ठीक किया।यह संविधान के उसी अनुच्छेद 254 के अंतर्गत नियम की सहायता लेकर किया गया था जो निरस्त करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।यह इस तथ्य के बावजूद किया गया था कि महाराष्ट्र में अक्टूबर 2014 में सरकार बदल गई, जो अब भाजपा के नेतृत्व में थी।

रेरा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मार्च, 2016 में संसद द्वारा कानून बनाने के साथ समाप्त नहीं हुई। हम ने रेरा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्चन्यायालयों में दायर रिट याचिकाओं की झड़ी का सामना किया।दिसंबर, 2017 में, लगभग 2 सप्ताह तक प्रतिदिन चलने वाली सुनवाई के बाद, माननीय बंबई उच्चन्यायालय ने कानून की संपूर्णता को बरकरार रखा, और रेरा की वैधता, आवश्यकता और महत्व के बारे में किसी भी दुविधा को समाप्तक कर दिया। रेरा सहकारी संघवाद में एक अत्यबन्तम लाभदायक प्रयास है।हालांकि कानून का मार्ग दर्शन केन् द्र सरकार ने किया है, लेकिन नियमों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाना है, और नियामक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण भी उनके द्वारा नियुक्त किए जाने हैं।दूसरी ओर, विनियामक प्राधिकरणों को विवादों का निपटारा और परियोजना की जानकारी देने के लिए सूचनाप्रद वेबसाइट चलाने सहित रोजमर्रा के कार्यों को देखना जरूरी है। दूसरी तरफ, संवैधानिक अनुचित कार्य और खराब शासन के एक प्रत्यकक्ष उदाहरण में, पश्चिम बंगाल राज्य ने रेरा की अनदेखी करके और 2017 में अपना राज्य कानून झ्र वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशनएक्ट (डब्यूंवै बीएचआईआरए) बना कर संसद के महत्वअ को रौंद दिया। क्भारत सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद, पश्चिम बंगाल राज्य ने रेरा को लागू करने से इनकार कर दिया, जिससे पश्चिम बंगाल के घर खरीदारों को अपूरणीयक्षति हुई। यह जानते हुए कि इस विषय पर पहले से ही एक केन् द्रीय कानून मौजूद है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 2017 में डब्यूारत बीएचआईआरए बनाया, और संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत राज्य विधेयक के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी की भी परवाह नहीं की।

सादगी परम विशेषज्ञता है

सादगी एक महान गुण है जो व्यक्ति जीवन में पालन कर सकता है। हमें बुद्धिमानों द्वारा सरल जीवन और उच्च विचार में विश्वास करने के लिए सही सलाह दी जाती है। सादगी एक ऐसा गुण है जो हमें कुछ समझने या करने में आसान बनाता है। दूसरी ओर समाजवाद, सभ्य प्रकृति, लालित्य और / या जीवन और चीजों के प्रति एक परिष्कृत दृष्टिकोण को दशार्ता है। एक गुणवत्ता के रूप में सादगी, विचार, उपस्थिति और जीवन शैली पर भी लागू हो सकती है। महापुरुष हमेशा सरल पुरुष होते हैं। विश्व के अधिकांश महान नेताओं ने सादा जीवन व्यतीत किया और अपनी सादगी से बहुत कुछ हासिल किया।

सरलता हमारे जीवन को सरल बनाना गैर-जरूरी चीजों को खत्म करने, अनावश्यक अराजकता को दूर करने और एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और उन चीजों को करता है जो संतुष्टि देते हैं। सरलता लाना कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। यह एक यात्रा है खुशी और शोधन की. सादगी एक महान गुण है जिसका महान नेताओं और हमारे पूर्वजों ने हमेशा अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करने के लिए सरल जीवन जीने पर जोर दिया। सादगी एक ऐसा गुण है जो समझने में कुछ आसान बनाता है। दूसरी ओर, परिष्कार चीजों और जीवन की ओर परिष्कृत रूप दिखाता है। सादगी का विचार, जीवन शैली, उपस्थिति, शिक्षाओं आदि पर लागू किया जा सकता है।

हृदय की पवित्रता, मानसिक सरलता और आंतरिक संवेदनशीलता हमारी यात्रा के अंतिम साधन बन सकते हैं। मौलिक रूप से, सादगी एक मानसिक स्थिति को इंगित करती है, जिसे फिर जीवन के भौतिक पहलुओं पर अनुमानित किया जाता है। जब गांधी का निधन हुआ, तो उनके पास दस से भी कम वस्तुएँ थीं, और उनके पास अपना घर नहीं था। गांधी एक समृद्ध परिवार में पले-बढ़े, लेकिन भौतिक भटकाव से नहीं चूके, क्योंकि वे गैर-आधिपत्य के व्यक्ति थे।

सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, ने भी एक सरल और आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक राजा के भौतिक गुणों को दूर कर दिया। लेकिन हमें सरल होने के लिए ऐसे न्यूनतम जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। हमें भी सरल होने के लिए सांसारिक अर्थों में अनभिज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, गांधी ने खुद इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया था और एक शिक्षित व्यक्ति थे, और सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे और महल और इसकी सुख-सुविधाओं के दायरे में काफी संरक्षित थे। इतिहास हमें सरल व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, मदर थेरेसा, स्वामी विवेकानंद इत्यादि के कई उदाहरण प्रदान करता है। अगर हम उनके जीवन पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि वे एक साधारण जीवन जीते थे। महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी पर जोर दिया और ऐसा होने के लिए उन्होंने स्वयं केवल लुंगी पहनी और विभिन्न सत्याग्रह और अन्य बैठकों के दौरान देश की यात्रा की। ठीक उसी तरह मदर थेरेसा ने भी सादा जीवन व्यतीत किया और जीवन भर कई रोगियों की मदद की। स्वामी विवेकानंद एक अन्य महान आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने लाखों युवाओं को अपनी बुद्धिमत्ता और सादगी से प्रेरित किया।

सादा जीवन हमेशा मानसिक शांति देता है, दूसरी ओर जो पैसे के लालच में पीछे चलता है, वह कई मनोवैज्ञानिक मुद्दों का अनुभव करता है जैसे कि अवसाद, जीवन में किसी भी चीज पर एकाग्रता की कमी, असंतोष और कभी-कभी कई अन्य बड़ी समस्याएं भी। सरल जीवन के साथ हम भौतिकवादी संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं रखेंगे और एक शांतिपूर्ण दिमाग रखने में सक्षम होंगे। यही बातें गौतम बुद्ध ने सिखाई हैं और वे अपनी सरल विचार प्रक्रिया से भी अंगुली मां की विचार प्रक्रिया को बदल सकते हैं। सादगी पैसे के अश्लील प्रदर्शन के बजाय परिष्कार का सामना करती है। साधारण उपस्थिति एक मानवीय स्तर पर अधिक लोगों से जुड़ने का एक तरीका है, क्योंकि साधारण उपस्थिति लगभग मन को मन से संदेश भेजती है। सरल उपस्थिति भौतिकवादी लाभ पर एक जुनून के बजाय जीवन के प्रति एक परिष्कृत दृष्टिकोण दिखाती है। दूसरी ओर, हाल के दिनों में एक व्यक्ति महामारी के समय एक सोने का मुखौटा लाया, जो स्पष्ट रूप से धन शक्ति के अपने अशिष्ट प्रदर्शन को दशार्ता है। आइए हम राजनीति और राजनीतिक जीवन में लोगों के डोमेन पर ध्यान दें। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कई भ्रष्टाचार घोटालों में दोषी ठहराया गया है और उसी के लिए जेल में डाल दिया गया है। दूसरी ओर, तेलंगाना राज्य के पूर्व राज्य विधान सदस्य गुम्मदी नरसैया जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया और लोक कल्याण के लिए समर्पित रहे।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्ट्र एपीजे अब्दुल कलाम एक सादा जीवन दिखाने और लोगों का दिल जीतने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने आधिकारिक वाहन का इस्तेमाल निजी उद्देश्यों के लिए भी नहीं किया था, साथ ही उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लाभ के लिए अपनी शक्ति और अधिकार का उपयोग नहीं किया था, जो उनके भाई के सरल जीवन से भी स्पष्ट है। साथ ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सादा जीवन प्रदर्शित करने के लिए एक उदाहरण हैं। वह अपनी सादगी के साथ लाखों अमेरिकियों के साथ-साथ अन्य नेताओं के दिलों में भी जगह बना सके।

हरियाणा में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

हरियाणा में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा खिलाडियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। सुखद बात यह है कि इसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी विभिन्न प्रतिस्पधाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखा रही हैं और अपने अपने राज्यों के लिए पदकों की झाड़ियां लगा रही हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से केंद्र सरकार का युवाओं को अपने खेल प्रदर्शन के लिए मंच उपलब्ध करवाना एक सराहनीय प्रयास है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पधाओं में भाग लेने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। वास्तव में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जीवन का अमूल्य हिस्सा है। जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से विकास होता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार जगह जगह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्पोर्ट्स सेंटर बना रही है ताकि खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले बच्चे और युवाओं को अभ्यास की सभी सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रतिभाएं शहरों की अपेक्षाकृत गांवों से अधिक उभरती हैं। गांवों की मिट्टी से ही निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी देश का सम्मान बढ़ाते हैं क्योंकि शहरों की अपेक्षा गांवों में खेल के मैदान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के और लड़कियां खेलों में बाजी मार लेते हैं। लेकिन उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां खेल के मैदान की कमी है। जिसके कारण युवाओं विशेषकर लड़कियों को खेलने और उसमें अपना कैरियर बनाने में काफी दिक्कतें आती हैं। गांव में पर्याप्त खेल के मैदान नहीं होने के कारण वह अपना हुनर नहीं दिखा पाती हैं, क्योंकि उन्हें न तो अवसर मिलता है और ना ही वह माहौल मिला करता है, जिसके सहारे वह अपने अंदर छुपी प्रतिभा को निखार सके। मैदान के अभाव में उनकी प्रतिभा और करियर का दम घुट जाता है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला से 25 किमी दूर कपकोट ब्लॉक का गांव धूरकुट, सरयू नदी के तट पर बसा है। इस गांव की आबादी तकरीबन 5 हजार है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण गांव में मैदान की कमी है। जिसके कारण वहां के बच्चों को खेलने और युवाओं को अभ्यास करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी कमी के कारण उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में मात खानी पड़ती है। गांव के खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण अपने को ठगा महसूस करते हैं। मैदान की कमी का सबसे अधिक नुकसान लड़कियों को होता है, जो न केवल अपने रुचिकर खेल से वंचित हो जाती हैं, बल्कि इसकी वजह से उनका शारीरिक विकास भी रुक जाता है। फुटबॉल हो या वॉलीबॉल, हॉकी हो या क्रिकेट, उन्हें अभ्यास करने के लिए न तो सुविधा मिल पाती है और न ही मैदान मिल पाता है। इस संबंध में गांव की किशोरियों ममता और पूजा का कहना है कि खेल के माध्यम से वह स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ पाती हैं। लेकिन इसके लिए मैदान का होना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि गांव में लड़कियों के लिए भी खेल के मैदान होने चाहिए लेकिन स्थानीय समाज इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। यहां लड़कियों के खेलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए जाता है। जिससे वह अपने अंदर की प्रतिभा को निखारने से वंचित रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि गांव की ऐसी कई लड़कियां हैं, जिन्हें यदि मैदान की समुचित व्यवस्था मिले तो वह भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का नाम रौशन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि गांव में स्कूल का मैदान तो है, लेकिन स्कूल बंद हो जाने के बाद वह लोग वहां भी नहीं जा पाती हैं। गांव की आशा वर्कर दीपा देवी का कहना है कि लड़कियों के लिए खेल का मैदान नहीं होने के कारण उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। जिसका सीधा असर उनकी स्वास्थ्य पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि गांव से करीब तीन किमी दूर मैदान उपलब्ध है, जहां लड़के आसानी से खेलने चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए प्रतिदिन वहां जाना आसान नहीं है। कई बार जो किशोरी खेलने जाती भी है तो वह देरी से घर लौट पाती है। जिससे उन्हें रास्ते में हिंसक जानवर मिलने या किसी अनहोनी का डर सताता रहता है। यही कारण है कि शायद ही कोई लड़की इतनी दूर खेलने या अभ्यास करने का हिम्मत जुटा पाती है।

यदि गांव में ही खेल का मैदान होगा तो लड़कियों को भी खेलने का भरपूर मौका मिलेगा जिससे खेल में उनका भविष्य भी बन सकता है। वहीं गांव की एक महिला भावना आर्य का मानना है कि गांव के बच्चों में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अच्छी काबिलियत है, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस के लिए मैदान उपलब्ध नहीं है। इसी संबंध में गांव की प्रधान सीता देवी भी स्वीकार करती हैं कि गांव में खेल के मैदान का न होना बहुत बड़ी कमी है।

इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव लड़कियों पर पड़ता है जिनका न केवल शारीरिक प्रभाव रुक जाता है बल्कि उनकी प्रतिभा भी दब कर रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बार कोशिश करने के बाद भी हमारा यह प्रयास सफल नहीं हो पाया है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में खेल के लिए एक मैदान जरुर हो, जहां लड़कियां भी खेल सके।

मनुष्य की मृत्यु का कारण पुनर्जन्म लेकर कर्मफल प्राप्त करना है

मनुष्य अपनी माता से इस संसार में जन्म लेता है। आरम्भ में शैशव अवस्था होती है। समय के साथ उसके शरीर व ज्ञान में वृद्धि होती है। वह माता की बोली को सुनकर उसे समझने लगता है व कुछ समय बाद बोलने भी लगता है। शैशव अवस्था बीतने पर किशोर व कुमार अवस्था आरम्भ होती है। समय के साथ यह भी बीतती है। इस अवस्था में शरीर और बड़ा व बलवान हो जाता है। उसका ज्ञान भी अपनी माता व आचार्यों की शिक्षा से वृद्धि को प्राप्त होता है। इसके बाद युवावस्था आती है और मनुष्य इस अवस्था में रहते हुए अपनी शिक्षा व विद्या पूरी करता है। शरीर यौवनावस्था में पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद शरीर की वृद्धि प्रायः नहीं होती। इस अवस्था में वह विवाह कर सृष्टि क्रम को जारी रखने में सहायक बनता है। जैसे उसके माता-पिता ने उसे जन्म दिया था, उसी प्रकार वह भी संसार में विद्यमान आत्माओं को अपनी धर्मपत्नी के द्वारा जन्म देकर उनका पालन व पोषण करता है। अपना पोषण करते हुए तथा माता-पिता एवं सन्तानों के पोषण के साथ वह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। वृद्धावस्था मुनष्य जीवन की अन्तिम अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में दिन प्रतिदिन उसके शरीर में बल की न्यूनता होती जाती है। वह युवावस्था की तरह से काम नहीं कर सकता। अधिक आयु होने पर उसे कुछ रोग भी हो जाते हैं। उनका उपचार कराना होता है। 60 से 80 या 85 वर्ष की आयु के मध्य अधिकांश स्त्री व पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। परिवार के लोग व इष्ट-मित्र अपने स्वजन व मित्र आदि की मृत्यु पर दुःख व्यक्त करते हैं और कुछ दिनों बाद स्थिति सामान्य हो जाती है।

हमने यह एक मनुष्य के जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया है। मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है? यह प्रश्न प्रायः सभी के मन में उठता है। लोग इस प्रश्न को टाल जाते हैं और इस पर विचार करना निरर्थक माना जाता है। हमारे देश में ऋषि दयानन्द हुए जिन्होंने अपने घर में अपनी बड़ी बहिन व चाचा की मृत्यु देखी तो उन्हें वैराग्य हो गया था। मृत्यु के भय से वह इतने व्याकुल हुए थे कि मृत्यु की औषधि की तलाश करने के लिये वह अपनी आयु के 22 वें वर्ष में घर से चले गये और साधु, सन्तो, योगियों व विद्वानों की सगति कर ईश्वर के सच्चे स्वरूप और मृत्यु की औषधि की खोज करते रहे। उनसे पूर्व महात्मा बुद्ध को वृद्धावस्था की समस्याओं व मृत्यु की घटना देखकर वैराग्य हुआ था और उन्होंने भी अपना घर त्याग दिया था तथा ज्ञान की प्राप्ति के लिये वह वनों में चले गये थे।

मृत्यु क्यों होती है, इसका उत्तर महाभारत के एक अंग गीता नामक ग्रन्थ में मिलता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह ज्ञान वेद व योग आदि ग्रन्थों में उपलब्ध है एवं इससे जन्म व मृत्यु पर प्रकाश पड़ता है। मृत्यु का मुख्य कारण मनुष्य का अपना जन्म होता है। यदि जन्म न हुआ होता तो उसकी मृत्यु भी न होती। जन्म क्यों होता है? इसका उत्तर है कि क्योंकि मनुष्य की उसके जन्म से पूर्व कहीं मृत्यु हुई होती है। मृत्यु से पूर्व भी मनुष्य अनेक प्राणी योनियों में से किसी एक योनि में जीवन निर्वाह कर रहा होता है। वहां भी उसे शैशव, किशोर, युवा, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वृद्धावस्था में वह युवावस्था की भांति कर्म करने में वह स्वतन्त्रता नहीं पाता जिसकी उसे आवश्यकता होती है। वृद्ध शरीर प्रायः रोगों का घर भी बन जाता है। अतः जीवात्मा को अपने पूर्व व वर्तमान जन्म के कर्मों का भोग कराने के लिये परमात्मा नया जीवन प्रदान करते हैं जिसके लिए उसे मृत्यु की प्रक्रिया से गुजर कर जन्म प्राप्त होता है। जन्म प्राप्त होने पर वह अपने पूर्वजन्म के संस्कारों के आधार पर जीवन आरम्भ कर अपने परिवेश के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर अपना जीवन व्यतीत करता है। मृत्यु का कारण जन्म और जन्म का कारण कर्म वा पाप-पुण्य हुआ करते हैं। यह जन्म मरण का चक्र अनादि काल से चल रहा है और अनन्त काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा। परमात्मा अनादि काल से बार-बार इसी निमित्त प्रकृति से इस सृष्टि का निर्माण करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। सृष्टि 4.32 अरब वर्षों की अपनी आयु तक कार्यरत रहने के बाद प्रलय को प्राप्त होगी। 4.32 अरब वर्ष की प्रलय वा रात्रि होगी जिसके बाद ईश्वर पुनः सृष्टि की रचना करेंगे और यह जन्म व मरण अथवा बन्धन व मोक्ष का चक्र अनन्त काल तक चलता रहेगा अर्थात इसका अन्त कभी नहीं होगा। अतः मृत्यु का कारण जन्म होता है, यह वेद, दर्शन, उपनिषद व गीता आदि ग्रन्थों से समझ में आ जाता है। मनुष्य की आत्मा चेतन तत्व है। यह अनादि, अनन्त, अविनाशी, सूक्ष्म, अल्पज्ञ, ससीम, निराकार एवं एकदेशी है। यह सुख व दुःख का अनुभव करती है। सुख का मुख्य कारण मनुष्य के शुभ व श्रेष्ठ कर्म हुआ करते हैं और दुःख का कारण मनुष्य के पाप कर्म वा अशुभ कर्म हुआ करते हैं। शास्त्रों का अध्ययन, ऋषि-मुनियों व सच्चे ज्ञानियों की संगति से सुख व दुःख के कारण वा बन्धन-मोक्ष के सिद्धान्त को समझ लेने पर मनुष्य पाप करने से स्वयं को रोकता है। वह ईश्वरोपासना, अग्निहोत्र-यज्ञ एवं परोपकार आदि शुभ व पुण्य कर्मों को करता है जिससे उसे सुख प्राप्त होने सहित परजन्म में भी उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि जीवात्मा को मिलने वाले जन्म की सभी योनियों में उत्तम व श्रेष्ठ है। यह मोक्ष अर्थात स्वर्ग तथा दुःखरूपी नरक का द्वार भी है। शास्त्रों में वर्णन है कि मनुष्य योनि में जन्म से भी श्रेष्ठ अवस्था मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य का 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक जन्म नहीं होता। यही कारण है कि प्राचीन काल से हमारे ऋषि-मुनि व विद्वान मोक्ष की प्राप्ति के लिये योगाभ्यास, समाधि की सिद्धि व परोपकार आदि कर्म किया करते थे। आज भी बहुत से लोग हैं जो इन तथ्यों से परिचित हैं, वह वैदिक रीति से ईश्वरोपासना, अहिंसायुक्त जीवनयापन, अग्निहोत्र यज्ञ का अनुष्ठान, परोपकार, निर्धन व निर्बलों की सेवा आदि कार्य करते हैं। वह वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते व दूसरों को कराते हैं। यह कार्य मोक्ष प्रदान कराने वाले होते हैं। इनसे मोक्ष प्राप्त हो जाने पर मनुष्य जन्म व मरण के बन्धनों से बहुत लम्बी अवधि तक मुक्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ जीवात्मा के सभी दुःखों की निवृत्ति का होना है। मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा आनन्दस्वरूप ईश्वर के सान्निध्य में रहता है और पूरे ब्रह्माण्ड का विचरण कर सकता है। परमात्मा के सान्निध्य में उसे किसी प्रकार दुःख नहीं होता अपितु वह सब प्रकार से सुखों व आनन्द से युक्त रहता है। यही जीवों व मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जिसने इसे प्राप्त कर लिया वह भाग्यशाली है और जिसने मांसाहार व दूसरों के प्रति अन्याय आदि के द्वारा अपना परजन्म बिगाड़ लिया, वह अभागा है।

बीहड़ में स्त्री स्वाभिमान की जागरूकता

भारतीय समाज में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं पीरियड्स को लेकर कई मिथकों और संकोचों में अपना जीवन गुजार रही हैं। ह्लपीरियड्सह्व महिलाओं की जिंदगी से जुड़ा एक अहम विषय है, जिस पर खुलकर बात नहीं होती है। देश के बड़े शहरों में हालात जरूर थोड़े बदले हैं, लेकिन गांव और कस्बों में अभी भी ये चुप्पी का मुद्दा है, जिसे शर्म और संकोच की नजर से देखा जाता है। गांव की महिलाएं इस पर चर्चा न घर में कर पाती हैं और न ही अपनी किशोर बेटियों को इस बारे विस्तार से बता पाती हैं, जिस कारण साफ-सफाई के अभाव में गंभीर बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा उनमें लगातार बना रहता है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति जस की तस है। टीवी-अखबारों में सैनिटरी पैड्स के विज्ञापनों की गूंज गांवों तक तो है, परंतु उपयोग नही के बराबर है। आज भी ग्रामीण महिलाएं और किशोरियां के लिए घर के फटे-पुराने कपडे.ही पीरियड्स के लिए एकमात्र उपाय हैं, नतीजा उन्हें संक्रमण के रूप में झेलना पड़ता है। हालांकि अब इसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और ग्रामीण महिलाएं भी न केवल पैड्स का इस्तेमाल करने लगी हैं बल्कि ग्रामीण स्तर पर इसे तैयार भी किया जा रहा है।

ऐसी ही जागरूकता छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला स्थित दुगूकोंदल ब्लॉक मुख्यालय के करीब ग्राम खुटगांव में देखने को मिली है। जहां कुछ शिक्षित गृहिणी व नौकरीपेशा महिलाएं अपने क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कपड़े का उपयोग और उससे होने वाली समस्याओं को विगत कई सालों से देखती आ रही थीं, जिसके बाद उन्होंने स्वयं क्षेत्र में जागरूकता लाने की पहल की। इसके लिए उन्होंने शक्ति स्व-सहायता समूह का गठन कर सेनेट्री नैपकिन बनाने का काम शुरू किया। इस समूह में दस महिलाएं संगठित होकर गांव में ही स्त्री स्वाभिमान नाम से सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं, ताकि अपने क्षेत्र की लड़कियों और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड्स उपयोग करने के लिए जागरूक कर सकें। केन्द्र सरकार के स्त्री स्वाभिमान योजना के तहत सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से समूह ने स्वयं से पैसे एकत्रित कर मशीन और रॉ-मटेरियल खरीदा है। समूह की महिलाएं कामकाजी होने के कारण उन्होंने गांव व आस-पास की अन्य महिलाओं को रोजगार दिया है, जो रोजाना पैड बनाने का कार्य करती हैं। तैयार सैनिटरी पैड्स को समूह के सदस्य गांव व आस-पास की महिलाओं को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवा रही हैं ताकि उन्हें महंगे दामों पर बाजार में मिलने वाले सैनिटरी पैड्स नहीं खरीदना पडे.। पेशे से स्कूल शिक्षिका और समूह की सदस्या उतरा वस्त्रकार ने बताया कि शुरूआत में पैड बनाने के लिए हमें प्रशिक्षण दिया गया। एक सैनिटरी पैड को पूरी तरह तैयार करने में तकरीबन चार घंटे का समय लगता है, जिसमें सबसे पहले उसके रॉ-मटेरियल को मशीन की सहायता से काटकर, जेल पेपर व अलग-अलग शीट को गोंद की सहायता से चिपकाया जाता है, फिर हम उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। पूरी तरह सूखने के बाद उसे मशीन के माध्यम से डिसइंफेक्शन किया जाता है, फिर अंत में रैपर में पैकिंग होती है। अपने पैड की गुणवत्ता पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि बनाने के बाद सबसे पहले हमने स्वयं इसे उपयोग करके देखा है उसके बाद अब हम इसे दूसरी महिलाओं को उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। शक्ति स्व-सहायता समूह की अध्यक्षा एवं गांव की सरंपच सगनी तुलावी कहती हैं कि इस कार्य के पीछे हमारा उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सैनिटरी पैड उपयोग करने के लिए जागरूक करना है, ताकि उन्हें विभिन्न बिमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने बताया कि उनके गांव में 70 परिवार हैं, आज सभी परिवारों की लड़कियां और महिलाएं सैनिटरी पैड्स का ही उपयोग करती हैं। इसके लिए वह समय-समय पर महिलाओं से मिलकर बातचीत भी करती रहती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समूह की सदस्या रीता वस्त्रकार बताती हैं कि जब वह इस क्षेत्र में रहने आई थी तो यहां की महिलाएं साफ-सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थीं। माहवारी के दौरान गंदा कपड़ा ही उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। ज्यादातर महिलाओं को पीरियड्स और इस दौरान रखने वाली साफ सफाई के बारे में उचित जानकारी भी नहीं थी। लेकिन समय के साथ अब इनमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। यह सब देखकर ही हमारे मन में हमेशा से यह ख्याल रहा कि इन महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। इस संबंध में दुगूकोंदल क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनोज किशोर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर छह महीने में स्कूलों व अन्य जगहों पर जागरूकता शिविर लगाया जाता है, जहां महिलाओं को माहवारी और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं।

आपदा में निंदा के स्थान पर सुझावों का महत्त्व

भारत जहां कई प्रकार की समस्याओं -बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, आतंकवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद इत्यादि से जूझ रहा है वहीं नवम्बर-दिसम्बर 2०19 से चीन से आयातित कोरोना वायरस से संक्र मित कोविड 19 जैसी महामारी से भी जूझ रहा है। देश में मार्च - अप्रैल 2०2० से कोविड 19 ने एक विकट आपदा खड़ी करते हुए महामारी का रुप ले लिया तथा देश के सभी आर्थिक व मानवीय संसाधन इसके उन्मूलन के लिए एकजुट होकर लग गए हैं जिस कारण देश के विकास में भारी अवरोध खड़ा हो गया है। इस मानवीय आपदा में छिछली राजनीति करते हुए देश के प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल सरकार को सुझाव नहीं दे रहे अपितु उसको किसी न किसी भी प्रकार से कठघरे में खड़ा करने की जुगत कर रहे हैं। प्रत्युत्तर में सत्ताधारी दल भी राजनीतिक तरीके से उनको उत्तर दे रहा है अर्थात यह आ बैल मुझे मार वाली राजनीति हो रही है।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने उत्तरप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी को बाकायदा पत्र लिखकर नसीहत देते हुए कहा कि वह कोरोना नियंत्रण मुहिम में जुटे तंत्र का मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम निरर्थक आरोप लगा कर उनका मनोबल गिराना तो नहीं चाहिए। राजनीतिक दलों ने तो बेशर्मी की चादर ओढ़ी हुई है। वे इस नसीहत पर गौर करेंगे, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। वर्तमान आपदा के समय केन्द्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के विजन, प्रबंधन और क्रि यान्वयन की सराहना सारा विश्व कर रहा है।

उत्तरप्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या के बड़े भूभाग को कोरोना संकट से यथा सम्भव सुरक्षित रखना आसान नहीं है। इसका प्रबंधन एक मुश्किल कार्य है। उत्तरप्रदेश का भौगोलिक और जनसांख्यिक विस्तार अधिकतर देशों से अधिक है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बहुत बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है परन्तु प्रदेश के विपक्षी दल बेचैन हैं। वे कभी प्रवासी श्रमिकों, कभी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा कर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयत्न करते रहते हैं उनकी इस नुक्ताचीनी को प्रदेश की आम जनता पसंद नहीं कर रही है क्योंकि उसने प्रत्यक्ष देखा है कि जिस प्रकार अन्य राज्यों से छात्रों तथा प्रवासी मजदूरों को रेलों व बसों में लाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की, लाखों परिवारों को खाना, राशन और नकदी पहुंचाई, यह एक बड़ा अभियान था तो कुछ गड़बडि?ां तो मानवजनित होगी ही। कुछ लोग सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित रह गए पर उनकी तादाद नगण्य थी।

कोरोना आपदा राजनीति नहीं बल्कि योगदान करने का विषय है। विपक्षी दलों ने अपने लाखों कार्यकताओं को इस आपदा में नहीं लगाया। सरकार के इस अभियान में बच्चे, शिक्षक, मजदूर, गरीब किसान, व्यवसायी, छोटे व बड़े व्यावसायी व उद्यमी, सफाई कर्मी, पुलिस, चिकित्सक, नर्स, तथा सामाजिक वर्गों ने अपनी हैसियत व

क्षमता के अनुसार योगदान दिया। रामसेतु बनाने में गिलहरी का योगदान भी सराहा गया था। कोरोना जैसी आपदा में आम जनता यह जरुर देख व सुन रही है कि कौन उसकी मदद कर रहा है और कौन नहीं?

व्यापक जनहानि वाली आपदा में लोगों की जीवन शैली व सोचने का दृष्टिकोण बदल जाती है। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य में आत्मरक्षा की भावना और जीने की इच्छा से ही सभ्यता के विकास के लिए प्रेरणा मिली होगी। सामने जब मौत खड़ी हो तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। वर्तमान में भी विश्व भर में कोरोना वायरस से हुए लाखों मौतों ने विश्व का मानव के प्रत्येक क्षेत्र का दृष्टिकोण बदल दिया है। भारत में महाभारत हुआ तो सभी लोकतंत्री व्यवस्थाएं बिखर गई थी और युद्ध हुआ पर युधिष्ठिर भी अपनी जीत के बावजूद व्यथित थे क्योंकि इतने बड़े नर संहार की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वे सत्ता संभालने को तैयार नहीं हुए तथा उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया । इसी प्रकार कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का भी जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया था और वे संन्यास लेने के लिए उद्धत हो गये थे और उनका बहुत सा समय बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार में बीतने लगा था। कोरोना से भी लोगों का सोचने का ढंग बदला है। लोग गरीबों की सहायता कर अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित कर रहे हैं।

समाज में व्यक्तिगत उपभोक्तावाद के स्थान पर आवश्यक वस्तुओं के संयमित उपयोगितावाद का विकास होना शुरू हो गया है। पुलिस व्यवस्था 1861 से एक बदनाम व्यवस्था रही है परन्तु जब से वह कोरोना में चिकित्सकों के साथ खड़ी हुई है तो समाज में पुलिस के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। इसी प्रकार अधिकारियों का भी आम जनता की अधिक से अधिक सेवा का दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहा है। कोरोना का अनुभव भारत में प्रथम अनुभव है परन्तु केन्द्र सरकार के कार्यों की प्रशंसा विश्व स्तर पर हुई है जबकि कई विकसित देशों में कोरोना से हुई मृत्यु की संख्या व दर भारत की दर से कई गुना अधिक है परन्तु भारत के विपक्षी दल अनर्गल टिप्पणियों के द्वारा निराधार आरोप लगा कर भारत की छवि को निरन्तर खराब करते रहने का कर्तव्य निभा रहे हैं। इसी प्रकार कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपनी राज्य की व्यवस्था की अनदेखी कर केन्द्र सरकार पर आक्र मक रहते है और टकराव की स्थिति उत्पन्न करते रहे हैं जिनसे केन्द्र व राज्य सरकारों के संबंधों में भी दरार गहरी होती जा रही है। आपदा के समय ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वर्ष 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट कहा था कि इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ही हमारी राष्ट्रनेता हैं और हम सब तथा पूरा देश उनके साथ हैं। आपदाएं जीवन छीनती हैं परन्तु एक बड़ा अनुभव देती हैं। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र

व्यापक जनहानि वाली आपदा में लोगों की जीवन शैली व सोचने का दृष्टिकोण बदल जाती है। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य में आत्मरक्षा की भावना और जीने की इच्छा से ही सभ्यता के विकास के लिए प्रेरणा मिली होगी। सामने जब मौत खड़ी हो तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। वर्तमान में भी विश्व भर में कोरोना वायरस से हुए लाखों मौतों ने विश्व का मानव के प्रत्येक क्षेत्र का दृष्टिकोण बदल दिया है। भारत में महाभारत हुआ तो सभी लोकतंत्री व्यवस्थाएं बिखर गई थी और युद्ध हुआ पर युधिष्ठिर भी अपनी जीत के बावजूद व्यथित थे क्योंकि इतने बड़े नर संहार की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वे सत्ता संभालने को तैयार नहीं हुए तथा उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया ।

(अध्याय 2) में लिखा है कि अकस्मात अर्थ संकट हो जाने पर तत्काल कोष संचय करना चाहिए। कोरोना महामारी में करोड़ों अरबों रुपये प्रतिदिन ही व्यय हो रहे हैं। सरकार व निजी क्षेत्र की सारी आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ गई हैं व राजकोष बढ़ाने की आवश्यकता है। विपक्षी दल आम जनता को भुखमरी की आशंका से भयभीत करके अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो स्वाभाविक है। कोरोना की आपदा में जब उद्योग धंधे नहीं चलेंगे और जनसंख्या निर्बाध रुप से बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसमें सरकार कितना भी आर्थिक पैकेज दे दे। देश में अन्न भंडार भरा पूरा था इसलिए गरीबों को अन्न मुफ्त में बांट दिया गया। कोरोना जैसी विकट आपदा के समय तथ्यपरक सुझाव देकर स्थिति से मुकाबला करने की आवश्यकता होती है न कि आक्र ामक निंदा करके देश की स्थिति कानून व्यवस्था बिगाड? की। भारतीय समाज समझदार है जिसने इस आक्र ामकता को स्पष्ट रुप से नकार दिया तथा ऐसी राजनीति करने वाले अपनी औचित्यहीन टिप्पणियों को एकदम अप्रभावी होता देखते रह गए। मौका मिलने पर लोग इन राजनीतिक दलों को जवाब भी देंगे। सामाजिक शिष्टाचार भी इस महामारी के कारण बदल गया है।

बचपन की उपेक्षा आखिर कब तक?

संपूर्ण विश्व में ह्यसार्वभौमिक बाल दिवसह्न 20 नवंबर, को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इस दिवस को ह्लअंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवसह्व भी कहा जाता है। बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय बाल संवेदना तथा बच्चों के कल्याण, शिक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बच्चों का मौलिक अधिकार उन्हें प्रदान करना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा मुख्य रूप से हैं। विश्वस्तर पर बालकों के उन्नत जीवन के ऐसे आयोजनों के बावजूद आज भी बचपन उपेक्षित, प्रताड़ित एवं नारकीय बना हुआ है, आज बच्चों की इन बदहाल स्थिति की जो प्रमुख वजहें देखने में आ रही है वे हैं-सरकारी योजनाओं का कागज तक ही सीमित रहना, बुद्धिजीवी वर्ग व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, माता-पिता की आर्थिक विवशताएं, समाज का संवेदनहीन होना एवं गरीबी, शिक्षा व जागरुकता का अभाव है।

सार्वभौमिक बाल दिवस पर बच्चों के अधिकार, कल्याण, सम्पूर्ण सुधार, देखभाल और शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। दुनिया में सभी जगहों पर बच्चों को देश के भविष्य की तरह देखते थे। लेकिन उनका यह बचपन रूपी भविष्य आज अभाव एवं उपेक्षा, नशे एवं अपराध की दुनिया में धंसता चला जा रहा है। बचपन इतना डरावना एवं भयावह हो जायेगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्या कारण है कि बचपन बदहाल होता जा रहा है? बचपन इतना उपेक्षित क्यों हो रहा है? बचपन के प्रति न केवल अभिभावक, बल्कि समाज और सरकार इतनी बेपरवाह कैसे हो गयी है? यह प्रश्न सार्वभौमिक बाल दिवस मनाते हुए हमें झकझोर रहे हैं।

सरकारों को कानूनों और नीतियों को बदलने और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए व्यापक प्रयत्नों की अपेक्षा है। बच्चों को जीवित रहने और विकसित करने के लिए आवश्यक पोषण भी जरूरी है। साथ ही, बच्चों को हिंसा और शोषण से बचाना आवश्यक है। इसने बच्चों को अपनी आवाजें सुनने और अपने समाजों में भाग लेने में सक्षम बनाया जाना आदि जरूरतों को देखते हुए इस दिवस की प्रासंगिकता है। जब हम किसी गली, चैराहे, बाजार, सड़क और हाईवे से गुजरते हैं और किसी दुकान, कारखाने, रैस्टोरैंट या ढाबे पर 4-5 से लेकर 12-14 साल के बच्चे को टायर में हवा भरते, पंक्चर लगाते, चिमनी में मुंह से या नली में हवा फूंकते, जूठे बर्तन साफ करते या खाना परोसते देखते हैं और हम निष्ठुर बन रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों व गरीबी के मार से बेहाल होकर इस नारकीय कार्य करने को विवश है। कूड़ों के ढेर से शीशी, लोहा, प्लास्टिक, कागज आदि इकट्ठा करके कबाड़ की दुकानों पर बेचते हैं। इससे प्राप्त पैसों से वह अपने व परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन सार्वभौमिक बाल दिवस जैसे आयोजनों के बावजूद कब तक हम बचपन को इस तरह बदहाल, प्रताड़ित एवं उपेक्षा का शिकार होने देंगे।

आज का बालक ही कल के समाज का सृजनहार बनेगा। लेकिन कमजोर नींवों पर हम कैसे एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? हमारे देश में भी कैसा विरोधाभास है कि हमारा समाज, सरकार और राजनीतिज्ञ बच्चों को देश का भविष्य मानते नहीं थकते लेकिन क्या इस उम्र के लगभग 25 से 30 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी के जरिए उनका बचपन और उनसे पढने का अधिकार छीनने का यह सुनियोजित षड्यंत्र नहीं लगता? यह कैसी विडम्बना है कि जब इस उम्र के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, खानदानी व्यवसाय के नाम पर एक पूरी पीढ़ी को शिक्षा, खेलकूद और सामान्य बाल सुलभ व्यवहार से वंचित किया जा रहा है और हम अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर हकीकत में हम उन्हें पैसा कमाकर लाने की मशीन बनाकर अंधकार में धकेल रहे

हैं। पारिवारिक काम एवं आर्थिक बदहाली के नाम पर अब बचपन की जरूरतों को दरकिनार कर खुलेआम बच्चों से काम कराया जा सकता है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने इन स्थितियों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। कुछ बच्चें अपनी मजबूरी से काम करते हैं तो कुछ बच्चों से जबरन काम कराया जाता है। यदि गौर करें तो हम पाएंगे कि किसी भी माता-पिता का सपना अपने बच्चों से काम कराना नहीं होता। हालात और परिस्थितियां उन्हें अपने बच्चों से काम कराने को मजबूर कर देती हैं। पर क्या इसी आधार पर उनसे उनका बचपन छीनना और पढने-लिखने की उम्र को काम की भट्टी में झोंक देना उचित है? ऐसे बच्चे अपनी उम्र और समझ से कहीं अधिक जोखिम भरे काम करने लगते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसी जगह काम करते हैं जो उनके लिए असुरक्षित और खतरनाक होती है जैसे कि माचिस और पटाखे की फैक्टरियां जहां इन बच्चों से जबरन काम कराया जाता है। इतना ही नहीं, लगभग 1.2 लाख बच्चों की तस्करी कर उन्हें काम करने के लिए दूसरे शहरों में भेजा जाता है। इतना ही नहीं, हम अपने स्वार्थ एवं आर्थिक प्रलोभन में इन बच्चों से या तो भीख मंगवाते हैं या वेश्यावृत्ति में लगा देते हैं।

देश में सबसे ज्यादा खराब स्थिति है बंधुआ मजदूरों की जो आज भी परिवार की समस्याओं की भेंट चढ़ रहे हैं। चंद रुपयों की उधारी और जीवनभर की गुलामी बच्चों के नसीब में आ जाती है। महज लिंग भेद के कारण कम पढ़े-लिखे और यहां तक कि शहरों में भी लड़कियों से कम उम्र में ही काम कराना शुरू कर दिया जाता है या घरों में काम करने वाली महिलाएं अपनी बेटियों को अपनी मदद के लिए साथ ले जाना शुरू कर देती हैं। कम उम्र में काम करने वाले बच्चे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। साथ ही उनकी सेहत पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, कभी-कभी उनका शारीरिक विकास समय से पहले होने लगता है जिससे उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों को न पारिवारिक सुरक्षा दी जाती है और न ही सामाजिक सुरक्षा। बाल मजदूरी से बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता ही है, देश भी इससे अछूता नहीं रहता क्योंकि जो बच्चे काम करते हैं वे पढ़ाई-लिखाई से कोसों दूर हो जाते हैं और जब ये बच्चे शिक्षा ही नहीं लेंगे तो देश की बागडोर क्या खाक संभालेंगे? इस तरह एक स्वस्थ बाल मस्तिष्क विकृति की अंधेरी और संकरी गली में पहुँच जाता है और अपराधी की श्रेणी में उसकी गिनती शुरू हो जाती हैं। वर्तमान संदर्भ में आधुनिक पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन शैली पर यह एक ऐसी टिप्पणी है जिसमें बचपन की उपेक्षा को एक अभिशाप के रूप में चित्रित किया गया है। सच्चाई यह है कि देश में बाल अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चे अपराधी न बने इसके लिए आवश्यक है कि अभिभावकों और बच्चों के बीच बर्फ-सी जमी संवादहीनता एवं संवेदनशीलता को फिर से पिघलाया जाये। फिर से उनके बीच स्नेह, आत्मीयता और विश्वास का भरा-पूरा वातावरण पैदा किया जाए। श्रेष्ठ संस्कार बच्चों के व्यक्तित्व को नई पहचान देने में सक्षम होते हैं। अतः शिक्षा पद्धति भी ऐसी ही होनी चाहिए। सरकार को बच्चों से जुड़े कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए एवं बच्चों के समुचित विकास के लिये योजनाएं बनानी चाहिए। ताकि इस बिगड़ते बचपन और भटकते राष्ट्र के नव पीढ़ी के कर्णधारों का भाग्य और भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। ऐसा करके ही हम सार्वभौम बाल दिवस को मनाने की सार्थकता हासिल कर सकेंगे।

सार्वभौमिक बाल दिवस पर बच्चों के अधिकार, कल्याण, सम्पूर्ण सुधार, देखभाल और शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। दुनिया में सभी जगहों पर बच्चों को देश के भविष्य की तरह देखते थे। लेकिन उनका यह बचपन रूपी भविष्य आज अभाव एवं उपेक्षा, नशे एवं अपराध की दुनिया में धंसता चला जा रहा है। बचपन इतना डरावना एवं भयावह हो जायेगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्या कारण है कि बचपन बदहाल होता जा रहा है? बचपन इतना उपेक्षित क्यों हो रहा है? बचपन के प्रति न केवल अभिभावक, बल्कि समाज और सरकार इतनी बेपरवाह कैसे हो गयी है? यह प्रश्न सार्वभौमिक बाल दिवस मनाते हुए हमें झकझोर रहे हैं।

हिन्दू धर्म और स्त्री स्वतंत्रता

हिन्दू धर्म को समझने के लिए उसके प्राचीनतम और आधारभूत धर्मग्रन्थ अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद परम प्रमाण माने गए हैं। इन चारों वेदों में उद्धृत पवित्र मन्त्र वास्तव में ईश्वर की वाणी है, जिनके प्रति सभी हिन्दु धर्मावलंबियों की अगाध श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है। सृष्टि के अनेक रहस्यों को उद्घाटित करता ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है, जिसमें मण्डल, सूक्त और ऋचाएं वर्णित हैं। गद्य और पद्य दोनों से अलंकृत दूसरा यजुर्वेद में यज्ञ कर्म की प्रधानता का उल्लेख मिलता है। उपासना का प्रवर्तक तीसरा सामवेदएक गेय ग्रन्थ है, जो भारतीय संगीत का मूल आधार है। वहीं चौथे अथर्ववेद में गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाज शास्त्र, कृषि विज्ञान, आदि अनेक विषयों से संबंधित ज्ञान के भण्डार भरे हुए हैं।

चारों वेदों में स्त्री और पुरुष से संबंधित अनेक अभिधारणाएं वर्णित हैं, जो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के सबसे पुख्ता प्रमाण कहे जा सकते हैं। वेदों में एक ओर जहां स्त्री को पृथ्वी, ऋक, वीणा तन्त्री, नदी का दूसरा तट, रात्रि, उषा, विद्युत, ज्वाला, प्रभा, लता, पंखुड़ी, धीरता, श्रृद्धा, विद्या, सेवा, क्षमा के रुप में अलंकृत किया गया है, वहीं इनके संपूरक रुपों में पुरुष को धुलोक, साम, वीणा-दंड, नदी का प्रथम तट, दिवस, प्रभात, मेघ, अग्नि, आदित्य, वृक्ष, कर्म, सत्व, स्वाभिमान के प्रतीक रुपों में वर्णित किया गया है। इस तरह वेदों में दोनों स्त्री व पुरुष अपने अपने संपूरक प्रतीकों के सामंजस्य से सौर जगत, सृष्टि का सामगान, जीवन के संगीत की निःसृत झंकार, वैयक्ति और सामाजिक विकास का अविरल प्रवाह के सृजन द्वारा मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। उपनिषदों में वर्णित महामुनि याज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी के मध्य संवाद इस बात के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि हिन्दु धर्म में स्त्रियों के अध्ययन के साथ साथ यज्ञ और सार्वजनिक आयोजनो में अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वैदिक काल की गार्गी, सुलभा, मैत्रयी, कात्यायनी आदि सुशिक्षित स्त्रियों का वर्णन किया जो ऋषि- मुनिओं की शंकाओं का समाधान करती थी। वेदों में स्त्री को विदुषी बनने का और अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार गुणशाली वर चुनने का अधिकार भी था।

यह कहा जा सकता है कि भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर बनी स्थिति में युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। स्त्री स्वतंत्रता वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अपने अधिकारों में आए बदलावों के तदनरूप परिवर्तित होती रही है। लेकिन

चारों वेदों में स्त्री और पुरुष से संबंधित अनेक अभिधारणाएं वर्णित हैं, जो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के सबसे पुख्ता प्रमाण कहे जा सकते हैं। वेदों में एक ओर जहां स्त्री को पृथ्वी, ऋक, वीणा तन्त्री, नदी का दूसरा तट, रात्रि, उषा, विद्युत, ज्वाला, प्रभा, लता, पंखुड़ी, धीरता, श्रृद्धा, विद्या, सेवा, क्षमा के रुप में अलंकृत किया गया है, वहीं इनके संपूरक रुपों में पुरुष को धुलोक, साम, वीणा-दंड, नदी का प्रथम तट, दिवस, प्रभात, मेघ, अग्नि, आदित्य, वृक्ष, कर्म, सत्व, स्वाभिमान के प्रतीक रुपों में वर्णित किया गया है। इस तरह वेदों में दोनों स्त्री व पुरुष अपने अपने संपूरक प्रतीकों के सामंजस्य से सौर जगत, सृष्टि का सामगान, जीवन के संगीत की निःसृत झंकार, वैयक्ति और सामाजिक विकास का अविरल प्रवाह के सृजन द्वारा मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। उपनिषदों में वर्णित महामुनि याज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी के मध्य संवाद इस बात के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि हिन्दु धर्म में स्त्रियों के अध्ययन के साथ साथ यज्ञ और सार्वजनिक आयोजनो में अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वैदिक काल की गार्गी, सुलभा, मैत्रयी, कात्यायनी आदि सुशिक्षित स्त्रियों का वर्णन किया जो ऋषि- मुनिओं की शंकाओं का समाधान करती थी। वेदों में स्त्री को विदुषी बनने का और अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार गुणशाली वर चुनने का अधिकार भी था।

हिन्दु धर्म के मूल में स्त्री स्वतंत्रता सदैव स्थापित रही है। वैदिक युग में स्त्रियों की सुदृढ़ सम्मानजनक स्थिति और धार्मिक व सामाजिक कार्यों में स्वतंत्रता, शिक्षा का

अधिकार, सम्पत्ति में समानता का अधिकार और सभा व समितियों में उनका स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेना उनकी वेदकालीन स्वतंत्रता के प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वैदिक काल में कोई भी धार्मिक कार्य नारी की उपस्थिति के बिना शुरू नहीं होता था। उक्त काल में यज्ञ और धार्मिक प्रार्थना में यज्ञकर्ता या प्रार्थनाकर्ता की पत्नी का होना आवश्यक माना जाता था। ऋग्वेद में वैदिक काल में नारियां बहुत विदुषी और नियम पूर्वक अपने पति के साथ मिलकर कार्य करने वाली और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होती थी। पति भी पत्नी की इच्छा और स्वतंत्रता का सम्मान करता था।

हिन्दू धर्म के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां समान रूप से आदर और प्रतिष्ठित रही हैं। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उनका महान योगदान रहा वेदों में वर्णित स्त्री की देवी, विदुषी, वीरांगना, वीरों की जननी, आदर्श माता, कर्तव्यनिष्ट धर्मपत्नी, सद्गृहणी, सम्राज्ञी, संतान की प्रथम शिक्षिका, ज्ञान-विज्ञान दाता, सन्मार्ग प्रदान करने वाली उपदेशिका, मयार्दाओं का पालन करनेवाली, सत्य और प्रेम का प्रकाश फैलानेवाली, धनुर्विद्या में निष्णात होकर राष्ट्र रक्षा में भाग लेने वाली, पूज्या, स्तुत्या, रमणीया, आह्वान-योग्य, सुशीला, बहुश्रुता, यशोमयी जैसी अनेक उपमाएं उसकी अत्यंत गौरवास्पद स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। अब नारी वैदिक युग के दैवी पद से उतरकर सहधर्मिणी के स्थान पर आ गई थी। धार्मिक अनुष्ठानों और याज्ञिक कर्मो में उसकी स्थिति पुरूष के बराबर थी। कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी नहीं किया जाता था। श्रीरामचन्द्र ने अश्वमेध के समय सीता की हिरण्यमयी प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया था। यद्यपि उस समय भी अरून्धती, (महर्षि वशिष्ठ की पत्नी), लोपामुद्रा (महर्षि अगस्त्य की पत्नी), अनुसूया (महर्षि अत्रि की पत्नी) आदि नारियाँ दैवी रूप की प्रतिष्ठा के अनुरूप थी तथापि ये सभी अपने पतियों की सहधर्मिणी ही थीं। महाभारत युद्ध के बाद नारी का पतन होना शुरू हुआ। इस युद्ध के बाद समाज बिखर गया, राष्ट्र राजनीतिक शून्य हो गया था और धर्म का पतन भी हो चला था। युद्ध में मारे गए पुरुषों की स्त्रीयां विधवा होकर बुरे दौर में फंस गई थी। राजनीतिक शून्यता के चलते राज्य असुरक्षित होने लगे। असुरक्षित राज्य में अराजकता और मनमानी बढ़ गई। इसके चलते नारियां सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण की शिकार होने लगी। फिर भी यह दौर स्त्रियों के लिए उतना बुरा नहीं था जितना की मध्य काल में दिखाई देता है।

संस्थानिक रूप से कहें तो मध्यकाल से स्त्रियों की वैदिक और उत्तरवैदिक स्वतंत्रता अवनति की ओर बढ़ती दिखने लगी थी। सम्भवतः यहीं से पुरुष अहं को पहुंचने वाली चोट के दर्शन होने लगते हैं और अपनी पुरुष सत्तात्मकता को प्रतिष्ठित कर पाने की चेष्टा पुरुष समाज करने लगता है। इसके लिए स्त्री स्वतंत्रता पर सबसे पहला प्रहार दिखाई देने लगता है, जब उन पर विभिन्न तरह से निर्योग्यताओं का आरोपण किया जाने लगा था। यहां से स्त्री की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर लगाम लगने लगी थी। पुरुष के साथ चलने वाली स्त्री मध्य काल में पुरुष की सम्पत्ति की तरह समझी जाने लगी। इसी सोच ने स्त्री स्वतंत्रता को सामाजिक स्तर पर समाप्त कर दिया परन्तु धार्मिक दृष्टि से सोचें तो तब भी पतनी और पुत्री की धार्मिक मयार्दा का पतन भी नहीं हुआ। उनकी वैदिक अनिवार्यता हमेशा बनी रही। हां यह अवश्य है कि मध्य काल में नए नए जन्मे तथाकथित धर्मों ने नारी को धार्मिक तौर पर दबाना और शोषण करना शुरू किया था।

धर्म और समाज के बनाए अपने झूठे नियमों ने स्त्री स्वतंत्रता का गला घोंटते हुए उसको पुरुष से निम्न घोषित कर उसे उपभोग की वस्तु बनाकर रख दिया। वैदिक युग की नारी धीरे-धीरे अपने देवीय पद से नीचे खिसकर मध्यकाल के सामन्तवादी युग में दुर्बल होकर शोषण का शिकार होने लगी। सामाजिक स्तर पर धर्म के नाम पर स्त्री को मध्यकालीन पुरुषों ने स्वयं के ऊपर निर्भर बनाने के लिए उसे सामूहिक रूप से पतित अनधिकारी बताया। नारी के अवचेन में शक्तिहीन होने का अहसास जगाया गया जिसके चलते उसे आसानी से विद्याहीन, साहसहीन कर दिया गया। उसके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाकर पुरुष को हर जगह बेहतर बताकर धार्मिक और सामाजिक स्तर पर स्त्री स्वतंत्रता की परिभाषा बुरी तरह छिन्न भिन्न हो गई। एक दौर आया जब स्त्री समाज, देश और धर्म के लिए अनुपयोगी साबित कर दी गई और अपने जीवन यापन, अस्तित्व और आत्मरक्षा के लिए पूर्णतः पुरुष पर निर्भर बना दी गई।

इन भयों और दहशत के माहौल ने हिन्दु धर्म में भी पर्दाप्रथा, बाल विवाह प्रथा और नारियों को शिक्षा से दूर रखने का चलन जैसी कुरीतियों को जन्म दे दिया। प्रेम, ममता, करुणा, सृजनात्मकता में ईश्वरत्व के सबसे निकट मानी जाने वाली हिन्दु स्त्रियां पुरुषों के उपभोग और मनोरंजन की वस्तु समझी जाने लगीं। इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि 11 वीं शताब्दी से 19 वीं शताब्दी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यह समय हिन्दू स्त्रियों की स्वतंत्रता, सम्मान, विकास, और

सशक्तिकरण के अंधकार का युग था। मुगल शासन, सामन्ती व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का विनष्ट होना, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने हिन्दू स्त्रियों की स्वतंत्र अस्तिथ्व पर प्रहार करके उसे लहूलुहान कर दिया था। इससे अप्रत्यक्ष रुप से भारत का निजी व सामाजिक जीवन भी कहीं न कहीं कलुषित हो गया था।

उन्नीसवीं सदीं के पूर्वार्द्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजाराम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द विद्यासागर तथा केशवचन्द्र सेन ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री पुरूष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक तथा बहु विवाह पर रोक की आवाज उठायी। इसी का परिणाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम,1829,1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,1891 में एज आफ कन्सटेन्ट बिल,1891, बहु विवाह रोकने के लिये वेटिव मैरिज एक्ट पास कराया। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ। वर्षों के नारी स्थिति में आयी गिरावट में रोक लगी। आने वाले समय में स्त्री जागरूकता में वृद्धि हुई और नये नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिनकी मुख्य मांग स्त्री शिक्षा, दहेज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार, महिला शिक्षा का माँग की गई। ब्रिटिश काल से भारत में स्त्रियों के पुनरोत्थान की शुरूआत हुई। ब्रिटिश शासन की अवधि में हमारे समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। औद्योगीकरण, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक आन्दोलन व महिला संगठनों का उदय व सामाजिक विधानों ने स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार की ठोस शुरूआत हुई। इसके प्रभाव बाद में स्पष्ट रुप से देखे भी गए।

दूसरे कुछ धर्मों की बात की जाए तो जैन धर्म में भी स्त्रियों को धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति दी गयी है। इसी तरह बौद्ध साहित्य के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ थेरीगाथा में नारी स्वतंत्रता प्रकट करने वाला प्रथम गंथ का दर्जा मिला हुआ है। बुद्ध विश्व के पहले धर्मगुरु थे, जिन्होंने स्त्रियों को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा का अधिकार देकर भिक्षुणी बनने का अवसर दिया और पहली बार एक पृथक और स्वतंत्र भिक्षुणी संघ की स्थापना की। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ की स्थापना एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिससे स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनके व्यक्तित्व के सवोन्मुखीं विकास को अभिव्यक्ति मिली।

ीवन की सर्जक, राष्ट्र की मार्गदर्शक, समाज का विकास करनेवाली और परिवार को सँभालनेवाली, इन सब के अनूठे मेल की प्रतिमा स्त्री की धार्मिक व सामाजिक स्वतंत्रता की स्थिति में इक्कीसवीं सदी तक आते-आते बहुत अधिक सुधार हुआ है। स्त्रियों ने शैक्षिक, राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम गढ़े हैं।

गरीबी रेखा को पुनर्निर्धारित करने का समय अब आ गया है

भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या में भारी कमी देखने में तो आई है परंतु क्या उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मकान की सुविधायें ठीक तरीके से उपलब्ध हो पा रही हैं एवं क्या सरकार द्वारा इन मदों पर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को गरीबी आंकने का पैमाने में शामिल किया जाता है अथवा केवल उनकी आय में हुई वृद्धि के चलते ही उन्हें गरीबी रेखा के स्तर से ऊपर मान लिया गया है। इस प्रश्न पर विचार किया जाना जरूरी है। आईये, सबसे पहिले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों से सम्बंधित कुछ आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

भारत में वर्ष 1947 में 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। जबकि अब वर्ष 2020 में देश की कुल आबादी का लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। 1947 में देश की आबादी 35 करोड़ थी जो आज बढ़कर 136 करोड़ हो गई है। देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की आय में वृद्धि के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी देखने में आई है। उसके पीछे मुख्य कारण देश में विभिन्न वित्तीय योजनाओं को डिजिटल प्लैट्फॉर्म पर ले जाना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई जन-धन योजना ने इस संदर्भ में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। जब यह योजना प्रारम्भ की जा रही थी तब कई लोगों द्वारा यह सवाल उठाए गए थे कि देश में पहिले से ही इस तरह की कई योजनाएँ मौजूद हैं, फिर इस एक और नई योजना को शुरू करने की क्या जरूरत है। आज समझ में आता है कि जन-धन योजना के अंतर्गत करोड़ों देशवासियों के खाते खोले गए, कुल लगभग 41 करोड़ खाते विभिन्न बैंकों में खोले गए हैं, विशेष रूप से महिलाओं के 22 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनके खातों में आज सीधे ही सब्सिडी का पैसा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित किया जा रहा है। मनरेगा योजना की बात हो अथवा केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की बात हो, पहिले ऐसा कहा जाता था कि केंद्र से चले 100 रुपए में से शायद केवल 8 रुपए से 16 रुपए तक ही अंतिम हितग्राही तक पहुँच पाते हैं, परंत आज हितग्राहियों के खातों में सीधे ही राशि के जमा करने के कारण बिचोलियों की भूमिका एकदम समाप्त हो गई है एवं हितग्राहियों को पूरा का पूरा 100 प्रतिशत पैसा उनके खातों में सीधे ही जमा हो रहा है। यह वित्तीय समावेशन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ है।

पूरे विश्व में ही गरीबी रेखा को परिभाषित करने का एक लम्बा इतिहास रहा है। परंतु, भारत उन अग्रणी देशों में रहा है जिन्होंने गरीबी की रेखा को सबसे पहिले परिभाषित किया था। वर्ष 1960 से ही भारत एवं विश्व बैंक की इस सम्बंध में आपस में चर्चा चलती आई है, और भारत द्वारा गरीबी रेखा की जो परिभाषा विकसित की गई थी, उसी के इर्द गिर्द विश्व बैंक ने भी एक डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आय को ही गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया था, जो बाद में समय के साथ बढ़ते बढ़ते दो डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय तक पहुंच गई। इस प्रकार, विश्व बैंक ने समय समय पर गरीबी रेखा की परिभाषा में ही सुधार किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहता आया है कि विभिन देशों के निवासियों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से उनकी आय में वृद्धि होते रहना आवश्यक है, अतः गरीबी रेखा की परिभाषा में भी विश्व बैंक द्वारा सुधार किया जाता रहता है।

भारत में भी शुरू शुरू में प्रति व्यक्ति कितनी केलोरी (शहरी एवं ग्रामीण इलाकों

में निवास कर रहे लोगों के लिए अलग अलग केलोरी की आवश्यकता निर्धारित की गई थी) की आवश्यकता होती है, उस केलोरी को प्राप्त करने के लिए किस खाद्य सामग्री का उपभोग करना होगा एवं इस खाद्य सामग्री को खरीदने के लिए कितनी प्रति व्यक्ति आय आवश्यक होगी, उस आय को ही गरीबी रेखा माना गया था। बाद में, खाद्य सामग्री का उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की टोकरी में कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी शामिल किया गया था। इस नई टोकरी में शामिल समस्त वस्तुओं पर कितना खर्च होना है, कम से कम उतनी आय प्रति व्यक्ति तो होना ही चाहिए, जिसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था। उस समय यह सोचा गया था कि चूंकि अस्पताल एवं स्कूलों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है अतः स्वास्थ्य एवं बच्चों की पढ़ाई के लिए गरीब व्यक्तियों को कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसी कारण से उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की टोकरी में स्वास्थ्य पर खर्च एवं बच्चों की पढ़ाई पर खर्च को शामिल नहीं किया गया था। परंतु आज की स्थिति को देखते हुए गरीबी रेखा को निर्धारित करते समय खाद्य सामग्री एवं उपभोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं के अलावा कुछ अन्य मुख्य बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, यथा, देश में शिक्षा का स्तर कितना है, इस सम्बंध में विशेष सुविधाएं किस प्रकार उपलब्ध हैं और इसका कितना विकास हुआ है। दूसरे, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति कैसी है एवं क्या ये सुविधाएं सभी नागरिकों को आसानी से उपलब्ध हैं। तीसरे, लोगों को रहने के लिए मकान की सुविधायें किस स्तर पर उपलब्ध हैं। आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मकान की सुविधाएं यदि आसानी से उपलब्ध नहीं हैं तो इन्हें भी आवश्यक उपभोग वाली वस्तुओं की टोकरी में शामिल किया जाना चाहिए। इससे गरीबी रेखा उच्च स्तर पर निर्धारित होगी और इस सीमा से कम आय वाले व्यक्तियों को भी सरकार द्वारा बनाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही यदि सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मकान आदि के लिए मुफ़्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं तो इन्हें इन सुविधाओं का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आय में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इन वयक्तियों को गरीबी रेखा के ऊपर माना जा सके। केवल उस व्यक्ति की आय से गरीबी रेखा का आंकलन करने के तरीके को अब बदलने का समय आ गया है। वैश्विक स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण सामान्यतः कम आय आधारित देशों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जहां आवश्यक उपभोग वाली वस्तुएं तुलनात्मक रूप से कुछ सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती हैं। इस प्रकार गरीबी रेखा भी कम आय के साथ लिंक हो जाती है। जबकि मध्य आय श्रेणी के देशों में इतनी आय में शायद आवश्यक उपभोग वाली वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाएं। भारत भी पहिले कम आय श्रेणी के देशों में गिना जाता था परंतु अब भारत इस श्रेणी से बाहर निकलकर कम मध्यम आय श्रेणी के देशों में गिना जाता है। उक्त कारणों के चलते, वैश्विक स्तर पर अब तो गरीबी रेखा में और भी सुधार कर चार डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय को गरीबी रेखा बनाए जाने की चचाएं की जाने लगी हैं। हालांकि यह परिभाषा कम आय वाले देशों के लिए समस्या खड़ी कर सकती है क्योंकि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय के स्तर को इतना उंचे लेवल पर ले जाना शायद मुश्किल होगा अतः इन देशों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। परंतु यदि सभी देश एक जैसी परिभाषा को लागू नहीं करते हैं तो फिर विभिन्न देशों की बीच, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के सम्बंध में, आपस में तुलना करना कठिन हो जाएगा।एक और बात पर भी विचार किया जा सकता है कि क्या विश्व बैंक एवं विभिन्न देशों द्वारा निर्धारित की जा रही गरीबी रेखा अलग अलग नहीं हो सकती है? विभिन्न देश ही क्यों, आप एक ही देश के ग्रामीण इलाकों एवं शहरी इलाकों में अलग अलग खर्च एवं आय का स्तर पायेंगे। साथ ही, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी देश में गरीबी के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। यदि इस प्रकार की योजनायें ग्रामीण इलाकों में अधिक मुस्तैदी से चलायी जाती हैं तो वहां गरीबी का स्तर कम दिखने को मिलेगा। जैसे भारत में ग्रामीण इलाकों में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम बहुत मजबूत हो गया है, जहां अनाज सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में वास्तविक गरीबी कम हो गई है। शिक्षा क्षेत्र में भी काफी सुधार देखने में आ रहा है क्योंकि हाल ही में सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट की दर में काफी कमी आई है।

अगर विशेष रूप से भारत की बात की जाय तो यहां तीन चीजें विश्व के अन्य देशों की तुलना में एकदम अलग हैं झ एक तो हमारे देश के गावों में निवास करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरे, कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। तीसरे, अनौपचारिक सेक्टर में बहुत बड़ी तादाद में लोग कार्यरत हैं, जहां कार्यरत लोगों की आय नियमित नहीं हैं। कृषि क्षेत्र में तो यह सामान्य बात है। कृषि क्षेत्र की एक खासियत यह भी है कि भारत में कृषि क्षेत्र में आय बदलती रहती है। अतः अन्य देशों से तुलनात्मक अध्ययन सही प्रकार से नहीं हो पाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विभिन्न देशों द्वारा भी गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए बहुसंकेतक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। जिसमें प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा सम्बंधी मानदंडो को भी शामिल करना चाहिए। आय को तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से आंका जा सकता है, रोजगार बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी पर अन्य सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मकान आदि, किस स्तर पर उपलब्ध हैं, यह भी देखना होगा।

इनमें शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के अंतर का भी ध्यान रखना होगा।

हालांकि भारत में अनौपचारिक सेक्टर में कार्य कर रहे लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान हाल ही में किया गया है। इसे लागू करने के लिए एक विनियामक संस्था भी स्थापित की जा रही है। साथ ही कृषि मजदूरों के लिए ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार के अवसर निर्मित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी उक्त वर्णित मानदंडो को शामिल करते हुए यदि गरीबी रेखा की परिभाषा बदली जाती है तो देश में विशेष योजनाएं बनाकर गरीबी को तेजी से दूर किया जा सकता है।

बच्चों के अश्लील वीडियो का घिनौना धंधा

सीबीआई ने बच्चों के अश्लील वीडियो और फोटो बेचने वाले अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पदार्फाश किया है। इस मामले में मुंबई के एक टीवी कलाकार को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी ने अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशियाई देशों में एक हजार से अधिक लोगों को ग्राहक बनाया हुआ था। वह सोशल साइट इंस्टाग्राम पर अश्लील साम्रगी भेजकर मोटी कमाई करता था। किशोर बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए फिल्मी स्टार के रूप में पेश आता था। सीबीआई ने इसे पास्को एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। दिल्ली में भी इसी प्रकार की एक घटना हुई थी जिसमें 27 किशोर दोस्त सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर समूह बनाकर अपने साथ पढ़ने वाली छात्राओं से सामूहिक बलात्कार की षड्यंत्रकारी योजना बना रहे थे। सभी दक्षिण दिल्ली के चार-पांच महंगे विद्यालयों में पढ़ते हैं और 11वीं व 12वीं के छात्र होने के साथ अति धनाढ्य परिवारों से थे। साफ है, मोबाइल में इंटरनेट और सोशल साइटें बच्चों का चरित्र खराब करने का बड़ा माध्यम बन रही हैं।

विदेशी कंपनियां अकूत धन कमाने के लालच में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिये भारतीय बच्चों, किशोर व युवकों को पोर्नोग्राफी के जाल में फंसाकर न केवल उनका भविष्य बर्बाद कर रही हैं, बल्कि साइबर अपराधी बनाकर उनके पूरे जीवन पर कालिख पोतने का काम कर रही हैं। ये सब कंपनियां ऑनलाइन चाइल्ड सेक्स ट्रेफिकिंग को बढ़ावा दे रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि किशोरों को अश्लील फिल्में दिखाकर बच्चे और सगे-संबंधी नाबालिग ही इनकी करतूतों का शिकार हो रहे हैं।

आज सूचना तकनीक की जरूरत इस हद तक बढ़ गई है कि समाज का कोई

भी क्षेत्र अछूता नहीं है। कोरोना-काल में बच्चों को डिजीटल माध्यम से पढ़ने का जो बहाना मिला है, उसमें इंटरनेट पर डेटा की खपत से पता चला है कि चाइल्ड पोर्नाग्राफी की बीमारी भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। आज दुनिया में करीब 4.5 अरब लोगों की इंटरनेट तक पहुंच हो गई है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएमएआई) के सर्वे के अनुसार 2019 में भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या करीब 45.1 करोड़ है। यह संख्या देश की आबादी की 36 फीसदी है। इनमें से 38.5 करोड़ उपभोक्ता 12 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और 6.6 करोड़ 11 वर्ष या इससे कम आयु समूह के हैं। इनमें से ज्यादातर अपने परिजनों की डिवाइस पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 16-20 वर्ष के आयु समूह के युवा सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग करते हैं। देश में 25.8 करोड़ पुरुष और शेष महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं।

भारत में इंटरनेट डेटा की खपत इसके सस्ते होने की वजह से भी बढ़ रही है। पिछले चार साल में डेटा की खपत 56 गुना बढ़ी है, वहीं दरों में 99 प्रतिशत कमी हुई है। इकोनॉमिक सर्वेक्षण के अनुसार 2016 में डेटा की दरें 200 रुपए प्रति जीबी थी, जो 2019 में घटकर 12 रुपए प्रति जीबी तक आ गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एक पोर्न वेबसाइट ने बताया है कि भारत में 2018 में औसतन 8.23 मिनट पोर्न वीडियो देखे गए, वहीं 2019 में यह अवधि बढ़कर 9.51 मिनट हो गई। यह आंकड़ा सिर्फ एक वेबसाइट का है, जबकि दुनिया में पोर्न संबंधी 150 करोड़ वेब पेज सक्रिय हैं। इनमें 28 करोड़ वीडियो लिंक हैं। ये पोर्न वेबसाइट जिन 20 देशों में सबसे ज्यादा देखी गईं, उनमें भारत का स्थान तीसरा है। दरअसल इसी साल ह्यनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड, एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रेनह्न नाम के संगठन ने बालयौन शोषण से जुड़ी जानकारियां चाहीं थीं। संगठन को कुल 1.68 करोड़ सूचनाएं मिलीं। इनमें 19.87 लाख भारत से, 11.5 लाख पाकिस्तान और 5.5 लाख सूचनाएं बांग्लादेश से मिली थीं।

बच्चों के संदर्भ में मिली यह जानकारी अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि ये वे आंकड़े हैं जिनकी सूचना उपलब्ध हो गई है। परंतु इनमें वे आंकड़े नहीं हैं, जिनकी सूचना नहीं मिल पाई है। साफ है, बेटियों से दरिन्दगी की एक बड़ी वजह पोर्न साइट्स की बिना बाधा के उपलब्धता है। ऐसे में जो विद्यार्थी इंटरनेट पर पढ़ाई के बहाने पोर्न देखने में लग जाते हैं, उनके पालक सामान्य तौर से ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वे जिनके भविष्य के सपने बुन रहे हैं, वे स्वयं किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं। ऐसे में उन अभिभावकों के बच्चों को ज्यादा भटकने का अवसर मिल रहा है, जिनके माता-पिता दोनों नौकरी में हैं। ऐसे में यह निगरानी रखनी मुश्किल है कि बच्चे मोबाइल पर देख क्या रहे हैं?

इस कोरोना- काल में यह बात मीडिया में तेजी से उठ रही है कि शैक्षिक संस्थान लंबे समय तक बंद रहने की स्थिति में पढ़ाई-लिखाई के लिए ऑनलाइन विकल्पों को स्थाई बना दिया जाए? लेकिन यह प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है कि पढ़ाई-लिखाई के दौरान बच्चे मोबाइल पर कौन-सा पाठ पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस अकेलेपन में दिमाग में विकृतियां पनपने की आशंकाएं कहीं ज्यादा हैं। प्रारंभ में यह आकर्षण थ्रिल या रोमांच की तरह लगता है लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता विकार रूप में बदलने लगता है।ऐसे में बच्चों को नैतिक मूल्यों से जुड़े पाठ, पाठ्यक्रम से तो गायब कर ही दिए हैं, घरों में भी दादा-दादी या नाना-नानी इन पाठों को किस्सों-कहानियों के जरिए पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं रह गए हैं। यदि नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने की बात कोई शिक्षाशास्त्री करता भी है तो उसे पुरातनपंथी कहकर नकार दिया जाता है। अब नई शिक्षा नीति में जरूर कुछ इस तरह के पाठ जोड़ने की पैरवी हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश निर्धारित करने को कहा है। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक संसदीय समिति भी बनाई है। यह समस्या इसलिए विकट होती जा रही है, क्योंकि इंटरनेट और सोशल प्लेटफॉर्म प्रदाता कंपनियां इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कारगर पहल करने को तैयार नहीं हैं। कंपनियां अक्सर इस तरह के मामले उठते हैं तो उस बाबत यह कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं कि वह ऐसी किसी आपत्तिजनक तस्वीर या सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं देती है। ज्यादा हुआ तो जो आपत्तिजनक सामग्री अपलोड हो जाती है, उसे हटाने का अश्वासन दे देती हैं। लेकिन कंपनी के ऐसे दावे भरोसे के लायक नहीं होते हैं क्योंकि ऐसी सामग्री की पुनरावृत्ति होती रहती है। हकीकत यह है कि किशोर-बच्चों के लिए इंटरनेट घातक साबित हो रहा है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में नियंत्रण की जरूरत कहीं अधिक बढ़ गई है। इसका आधार यही है कि सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लील करतूतें अब नैतिक मयार्दा के उल्लंघन और सभ्य समाज की संरचना के लिए गंभीर चुनौती के रूप में पेश आने लगी हैं, इसलिए इन पर अंकुश जरूरी है।

लव जिहाद और राणा जैसे बयान दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करते है

रात हलाला नेक है, उठते नहीं सवाल ! राम नाम की दक्षिणा,पर क्यों कटे बवाल !!

लव जिहाद और राणा जैसे बयान दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करते है। यह किसी एक राज्य, देश या समुदायों तक सीमित नही बल्कि विश्व्यापी समस्या बनता जा रहा है और इस कुचक्र का शिकार मासूम लड़कियां ही नहीं अब हम सब होते जा रहें है। धर्म के ठेकेदार हमेशा ऐसे मौकों को अपना हथियार बनाते है। गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देकर ऐसी घटनाएं करवाना इनके नापाक कारनामों का आधार होती है.

वर्तमान दौर में ये बात अक्षरशः सही साबित हो रही है कि कुछ दक्षिणा लेकर भी बदनाम हो गए, कुछ पूरी रात हलाला कर भी नेक निकले. बहुत से कवियों ने, शायरों, साहित्यकारों ने इस देश से पैसे और पहचान कमाई. मगर कुछ लोग साम्प्रदायिकता का जहर घोलकर अपने कद को बड़ा करने की कोशिश में लगे रहते है और जात-पात एवं धर्म के झगड़ों को बढ़ावा देकर कवि धर्म को दांव पर लगा देते है. मुनव्वर राणा कई बार अपनी हरकतों और ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। मोदी सरकार आने के बाद तो ये हर जगह मजहब के पहलुओं को ढूंढ़ने में लगे रहते है।

इन जैसे तथाकथित बुद्धिजीवियों का दम अब धर्मनिरपेक्षता के मुखौटे में घुटने लगा है। यही वजह है कि वे मोदी राज में अपना मुखौटा उतार कर अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। उनमें हिन्दुओं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है, इसका अंदाजा उनके बयान और उनके लिखे शब्दों से लगाया जा सकता है। ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों में ये विवादित शायर मुनव्वर राणा भी शामिल है। आतंकवाद और बलात्कार जैसी घटनाओं को हिन्दू-मुस्लिम का चौला पहनाकर देश विरोधी चालें चलना गद्दारी का पुख्ता सबूत है-

खा इसको गाये उसे, ये कैसे इंसान !
रहते भारत में मगर, अंदर पाकिस्तान !!
मिट्टी-पानी भोगते, लूटे चैन बहार !
सौरभ ऐसे लोग ही, होते सदा गद्दार !!

मुनव्वर राणा के फ्रांस हमले को सही बताए जाने के बाद मुल्कभर में उनकी आलोचना हो रही है. मुनव्वर राना ने कहा कि आप विवाद को जन्म देकर लोगों को उकसा रहे हैं. मोहम्मद साहब का कार्टून बना कर उसे कत्ल के लिए मजबूर किया गया, अगर उस स्टूडेंट की जगह मैं भी होता तो वही करता जो उस स्टूडेंट ने किया. उन्होंने आगे कहा कि मजहब मां-बाप की तरह होता है, अगर कोई आपके मां-बाप का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है तो उसका कत्ल करना गुनाह नहीं. इतना ही नहीं उन्होंने भगवान राम और माता सीता को लेकर कहा भी कहा कि कोई अगर भगवान राम या माता सीता का विवादित कार्टून बनाएगा तो मैं उसका भी कत्ल कर दूंगा.

मुनव्वर राणा के इस बयान के बाद उन्हें तमाम आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा. क्या इन सब बातों के लिए पूरी दुनिया को धर्म और मजहब का चौला पहनाकर कत्ले आम के लिए उकसाना सही है. आतंकवाद तो आतंकवाद होता है. इंसान के बिना धर्म का कोई मतलब नहीं हो सकता. ये बात मुनावर राणा को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए. अपने मतलब और स्वार्थ सीधी के लिए पूरी कायनात को फूंकना इन्होने कहाँ से सीखा, समझ नहीं आता? क्या हिंदुस्तान को भी इनकी गलत बयानबाजी के लिए ऐसी ही सजा देनी चाहिए जिनकी बात ये करते हैं. अगर भारत एक धर्म- निरपेक्ष राज्य न होकर पूर्णतः एक तरफा होता तो इनको ये बात कब की समझ आ जाती. ऐसे लोग घर-घर में आग लगाने का काम करते है. यहाँ की मिटटी में पल बढ़कर ऐसा करना हमारे संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध जरूर है-

घर-घर में कैसी लगी, ये मतलब की आग !
अपनों को ही डस रहे, बने विभीषण नाग !!
जातिवाद और धर्म का, ये कैसा है दौर !
जय भारत, जय हिन्द में, गूँज रहा कुछ और !!

मजहब मां-बाप की तरह होता है, अगर कोई आपके मां-बाप का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है तो उसका कत्ल करना गुनाह नहीं, जैसी बातें भारत में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के लिए सीधा जिम्मेवार है तभी ये एक सम्प्रदाय दूसरे धर्म की लड़कियों को अपना शिकार बनाते है। वह भी अपनी विस्तारवादी सोच की वजह से। सब जानते है कि लव जिहाद आज आतंकवाद की तरह हमारी वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा में विष घोल रहा है लेकिन अफसोस की ऐसे गम्भीर विषय पर बुलंद आवाज नहीं उठती।

इसमें गलती हम सबकी भी है, सेक्युलर बनने की चाह में हम अपने ही धर्म पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज तक नही उठाते है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? चलिए एक दफा मान लिया हिन्दू-मुस्लिम भगवान ने किसी को नहीं बनाया बल्कि इंसान बनाया। इसके बाद भी सिर्फ एक समुदाय सहन करता जाएं और दूसरा विस्तार करे यह सोच तो कतई सही नहीं। एक अपने धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाएं तो कट्टरवादी और दूसरा कुछ भी कर लें, फिर भी वह गंगा-जमुनी तहजीब का खेवनहार। क्या अजीबोगरीब परिभाषाएं लिखी और गढ़ी जाती है हमारे देश में।

क्यों आज देश के नामचीन कवि/साहित्यकार चुप है? मैं ये नहीं कहता कि मुन्नवर राणा जैसे बड़काऊ लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया जाये. इस मुद्दे पर बहस तो होनी चाहिए. सही को सही और गलत को गलत तो बताया जाये. ये बिलकुल भी सही नहीं कि एक कुछ भी करे और दूसरा चुप रहें. साफ और स्पष्ट बहस हो. किसी को बेवजह गुमराह करना कहीं से न्यायोचित नहीं। लव जेहाद और ऐसी कट्टरता एक ऐसा ही कुचक्र है। अगर धर्म परिवर्तन नहीं रुका तो समाज में ऐसी घटनाएं घटित होगी। फिर मुगल काल और आधुनिक युग में अंतर क्या रह जाएगा? ये सवाल उन ढोंगी सेकुलरिज्म के ठेकेदारों से भी आखिर उन्हें अपने ही धर्म को कमजोर करके हासिल क्या होगा? पैसे के लिए अपने धर्म को ही कमजोर करना तो गद्दारी होती है। ऐसे में जो अपने धर्म का नहीं हो सकता, फिर तो शायद वह किसी का नही हो सकता-

कब गीता ने ये कहा, बोली कहाँ कुरान !
करो धर्म के नाम पर,धरती लहूलुहान !!
मंदिर-मस्जिद से भली,एक किताब दुकान।
एक साथ है जो रखें, गीता और कुरान !!

लव जिहाद और राणा जैसे बयान दो समुदाय के बीच नफरत पैदा करते है। यह किसी एक राज्य, देश या समुदाय तक सीमित नही बल्कि विश्व्यापी समस्या बनता जा रहा है और इस कुचक्र का शिकार मासूम लड़कियां ही नहीं अब हम सब होते जा रहें है। धर्म के ठेकेदार हमेशा ऐसे मौकों को अपना हथियार बनाते है। गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देकर ऐसी घटनाएं करवाना इनके नापाक कारनामों का आधार होती है. प्रेम और आतंकवाद को धर्म की दीवारों में फंसाकर देश धर्म को कमजोर करना कतई उचित नहीं है. एक अच्छे और सच्चे कवि-साहित्यकार का पहला धर्म वहां मिट्टी के प्रति वफादारी और राज्य में अमन-चैन लाना होता है. खैर इन सबके बावजूद मेरी तो अंतिम इच्छा यही है कि-

लाज तिरंगें की रहे, बस इतना अरमान !
मरते दम तक मैं रखूँ, दिल में हिन्दुस्तान !!
तभी इस मिट्टी का कुछ ऋण अदा होगा और जीना सार्थक होगा.

24 अक्टूबर 1775 ई० पर खास संकलन

और

कुमुद रंजन सिंह

तुमने किया ना याद कभी भूल कर हमें ।
हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया ।।

आज मुगल सल्तनत के आखिरी हुक्मरान शहंशाह ए हिन्द बादशाह मिर्जा अबूजफर सिराजुद्दीन मुहम्मद बहादुर शाह जफर का यौम ए पैदाइश (24 अक्टूबर) है. उनके वालिद अकबर शाह सनी और मां लालबाई थीं । हालांकि वो एक कमजोर हो चुकी सल्तनत के फरमारवां थे, लेकिन अवाम के दिलों में उनकी बड़ी अकीदत और मोहब्बत थी । बहादुर शाह जफर हिन्द के वो बादशाह हैं जिनकी ताजपोशी 2 बार हुई थी पहली लालकिले में मुगल वारिस की बदौलत और दूसरी हिन्दोस्तां में 1857 की क्रांति का सरदार बनाकर । बहादुर शाह जफर के बारे में जब मैंने सबसे पहली बार पढ़ा तो उनकी तस्वीर देख मैंने अंदाजा लगाया कि वे कोई साधु या फकीर रहे होंगे, क्योंकि उनके चेहरे से किसी बादशाह का रौब नहीं बल्कि एक फकीर की आजिजी ही झलकती है। मगर वो हिंदुस्तान के बादशाह थे। उनके लिए मेरे दिल में इस बात को लेकर इज्जत है कि उन्हें अपनी अवाम से बहुत मुहब्बत थी। इस बात को लेकर दिलचस्पी है कि वे बहुत बड़े शायर थे, लेकिन इस बात को लेकर बहुत दुख भी है कि अंग्रेजों ने उन्हें बंधक बनाने के बाद रंगून (बर्मा) की जेल में डाला और उनके सामने उनके ही दो बेटों के कटे हुए सिर पेश किए । जब उनके सामने थाल लाया गया। हडसन ने तश्त पर से गिलाफ हटाया। कोई और होता तो शायद गश खा जाता या नजर फेर लेता । लेकिन जफर ने ऐसा कुछ नहीं किया। थाल मे रखे जवान बेटों के कटे सिरों को इत्मीनान से देखा। हडसन से मुखातिब हुए और कहा...

'वल्लाह... नस्ले 'तैमूर' के चश्मो चराग मैदाने जंग से इसी तरह सुर्खरू होकर अपने बाप के सामने आते हैं। हडसन तुम हार गए और हिंदुस्तान जीत गया।'

अब यहां सुर्खरू लफ्ज देखिए इसका शाब्दिक मतलब है लाल मुंह लेकिन ये कामयाब के लिए बोला जाता है. यानी मुगल शहजादे शहीद हुए यानी कामयाब हुए उनका चेहरा खून से सुर्ख है ।

1857 की पहली जंग ए आजादी में क्रांतिकारियों ने दिल्ली की और कूच किया और अंग्रेजों को पूरे हिन्दोस्तां से खदेड़ने के मंसूबे बनने लगे । क्रांतिकारियों ने (जिनमें हर मजहब के लोग थे) बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर, नेता और बादशाह इसरार किया था । सारे क्रांतिकारी लाल कि ले पहुंचे और बहादुर शाह जफर से लीड करने की गुजारिश की. 82 साल के शहंशाह ने कहा....

"न तो मैं बादशाह हूँ और ना बादशाहों की तरह तुम्हें कुछ दे सकता हूं . बादशाहत तो अर्सा हुआ मेरे घर से जा चुकी. मैं तो एक फकीर हूं जो अपने बच्चों को लिए तकिये* में बैठा है" (*तकिया फकीर के घर को कहते हैं इसीलिए बाज मोहल्लों के नाम तकिये पर होते हैं)

लेकिन क्रांतिकारी ज़िद पर अड़ गए और बहादुर शाह को उनकी बात माननी पड़ी लेकिन बदकिस्मती से उनकी वो कोशिश कामयाब ना हो सकी । आसमान ने अपना रंग बदला, अंग्रेजों ने 14 सितंबर को कश्मीरी गेट तोड़ कर दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर के उन्हें इस पूरे हंगामे का ज़िम्मेदार ठहराया गया और हुमायूं के मकबरे में उन्हें कैद कर लिया गया । जब जफर को कैद कर लिया गया तो अंग्रेजों ने उनकी बोहोत तौहीन की । एक अंग्रेज ऑफिसर बहादुर शाह जफर से मिलने आया कि देखें अकबर-औरंगजेब जैसे महान बादशाहों का बेटा कैसा है? उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर कोई चीज बना रही है जिस से बदबू उठ रही है और एक बूढ़ा थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा है.अंग्रेज ऑफिसर उनके पास गया और एक जोरदार थप्पड़ मारा और फख्र करता हुआ निकल गया. बूढ़ा शहंशाह इसी तरह बैठा रहा । ये इनकी तौहीन के जरिये हिन्द के लोगों में खौफ पैदा करना चाहते थे कि देखो, हम तुम्हारे बादशाह का ये हाल कर सकते हैं तो तुम्हारी क्या बिसात है! चूंकि जफर शायर थे, इसलिए उन्हें कैद करने के बाद अंग्रेजों ने शायरी के जरिए ही उन्हें अपमानित करना चाहा। अंग्रेजों की ओर से कहा गया —

दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की ।
बस जफर बस चल चुकी अब तेग हिंदुस्तान की ।।

(दमदमी एक तोप का नाम था, जो विशाल गोला फेंकने के लिए मशहूर थी) जफर कहां सुनने वाले थे, उन्होंने फरमाया —

गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की ।
तख़्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की ।।

किस्मत कहूँ या उनके ऊपर किए हुए जुल्म की इंतेहा से हडसन को उसके किए की सजा मिलने में ज्यादा वक़्त नहीं लगा था और लखनऊ के बागी 11 मार्च, 1858 को बेगम कोठी में हुए एक मुकाबले में उसको मार गिराने में कामयाब रहे थे. लेकिन यह किस्मत बस वहीं ठहर गई थी. बाद में फातेह अंग्रेजों ने जफर के खिलाफ राजद्रोह व हत्याओं के आरोप लगाये और 19 सुनवाई, 21 गवाहों और 100 से ज्यादा फारसी और उर्दू के सबूतों को पेश करने के बाद 27 जनवरी से 09 मार्च, 1858 तक

मुकदमे के 41 दिन लंबे नाटक के बाद कहा की गिरफ्तारी के समय दिए गए वचन के मुताबिक बर्मा निर्वासित करके उनकी जान बख्श दी जा रही है. जफर बूढ़े हो चुके थे और अंग्रेजों के कैदी थे, लेकिन उनकी शायरी ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की । ब्रिटिश हुकूमत को इस बात का डर था कि अगर जफर को भारत की किसी जेल में कैद किया गया तो लोग उनके नाम पर दोबारा एकजुट हो जाएंगे । बहादुर शाह को काले पानी की सजा हुई. जब उन्हें रंगून ले जाया जा रहा था तो पूरी दिल्ली सड़कों पर खड़ी थी और अपने शहंशाह को आखिर विदाई दे रही थी. कोई ऐसी आँख नहीं थी जिसमें आंसू नहीं था. अकबर ए आजम और औरंगजेब आलमगीर का पोता आज अपने ही बाप दादा की विरासत से बे दखल हो रहा था, 17 अक्टूबर 1858 को बाहदुर शाह जफर मकेंजी नाम के समुंद्री जहाज से रंगून पहुंचा दिए गये थे ,शाही खानदान के 35 लोग उस जहाज में सवार थे ,कैप्टेन नेल्सन डेविस रंगून का इंचार्ज था , उसने बादशाह और उसके लोगों को बंदरगाह पर रिसीव किया और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हुकूमत के बादशाह को लेकर अपने घर पहुंचा । बहादुर शाह जफर कैदी होने के बाद भी बादशाह थे, इसलिए नेल्सन परेशान था, उसे ये ठीक नही लग रहा था कि बादशाह को किसी जेल खाने में रखा जाये । इसलिए उसने अपना गैराज खाली करवाया और वहीँ बादशाह को रखने का इंतजाम कराया बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को इस गैराज में गए और 7 नवंबर 1862 को अपनी चार साल की गैराज की जिंदगी को मौत के हवाले कर के ही निकले , बहादुर शाह जफर ने अपनी मशहूर गजल इसी गैराज में लिखी थी ....

लगता नहीं है दिल मिरा उजड़े दयार में ।
किस की बनी है आलम-ए-ना-पाएदार में ।।

कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें ।
इतनी जगह कहाँ है दिल-ए-दाग-दार में ।।

काँटों को मत निकाल चमन से ओ बागबाँ ।
ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में।।

बुलबुल को बागबाँ से न सय्याद से गिला।
कि स्मत में कैद लिक्खी थी फस्ल-ए-बहार में।।

एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान,
कांटे बिछा दिए हैं दिल-ए-लाल-ए-जार में।

उम्र-ए-दराज माँग के लाये थे चार दिन ।
दो आरजू में कट गये दो इन्तेजार में ।।

दिन ज़िन्दगी खत्म हुए शाम हो गई ।
फैला के पांव सोएंगे कुंज-ए-मजार में ।।

कितना है बदनसीब जफर दफ्न के लिए ।
दो गज जमीन भी ना मिली कू ए यार में ।।

बहादुर शाह के खादिम अहमद बेग के अनुसार 26 अक्तूबर से ही उनकी तबीयत नासाज थी और वो मुश्किल से खाना खा पा रहे थे. दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 2 नवंबर को हालत काफी बुरी हो गई थी. 3 नवंबर को उन्हें देखने आए डॉक्टर ने बताया कि उनके गले की हालत बेहद खराब है और थूक तक निगल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है. 6 नवंबर को डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गले में लकवा मार गया है और वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं. 7 नवंबर को बादशाह की खादमा परेशानी के हाल में नेल्सन के दरवाजे पर दस्तक देती है , बर्मी खादिम आने की वजह पूछता है तो खादमा बताती है बादशाह अपनी जिन्दगी के आखिरी साँस गिन रहा है गैराज की खिड़की खोलने की फरमाईश ले कर आई है, बर्मी खादिम जवाब में कहता है, अभी साहब कुत्ते को कंघी कर रहे है, में उन्हें डिस्टर्ब नही कर सकता, खादमा जोर जोर से रोने लगती है, आवाज सुन कर नेल्सन बाहर आता है, खादमा की फरमाइश सुन कर वो गैराज पहुँचता है । बादशाह के आखिरी आरामगाह में बदबू फैली हुई थी ,और मौत की खामोशी थी, बादशाह का आधा कम्बल जमीन पर और आधा बिस्तर पर, नंगा सर तकिये पर था लेकिन गर्दन लुढ़की हुई थी, आँखे बाहिर की तरफ निकली हुई थी, और सूखे होंटो पर मक्खियाँ भिनभिना रहीं थी । नेल्सन ने जिन्दगी में हजारो चेहरे देखे थे लेकिन इतनी बेचारगी किसी के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी । वो बादशाह का चेहरा नही बल्कि दुनिया के सबसे बड़े भिखारी का चेहरा ज्यादा लग रहा था और उनके चेहरे पर एक ही फरमाइश थी, आजाद साँस की । हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की जिन्दगी खत्म हो चुकी थी ..कफन दफन की तय्यारी होने लगी । शहजादा जवान बख्त और हाफिज मोहम्मद इब्राहीम देहलवी ने गुस्ल दिया । बादशाह के लिए रंगून में जमीन नही थी तो सरकारी बंगले के पीछे दफन कर दिया की गयी और बादशाह को खैरात में मिली मिट्टी के निचे डाल दिया गया । उस्ताद हाफिज इब्राहीम देहलवी के आँखों को सामने 30 सितम्बर 1837 के मंजर दौड़ने लगे, जब 62 साल की उम्र में बहादुर शाह जफर तख़्त नशीं हुए थे, वो वक़्त कुछ और था और ये वक़्त कुछ और था । इब्राहीम देहलवी सुरह तौबा की तिलावत करते है , नेल्सन कबर को आखिरी सलामी पेश करता है और इस तरह सात नवंबर 1862 को बहादुर शाह ने वफात पाई और मुगल सल्तनत का आफताब ए इकबाल हमेशा हमेशा के गुरूब हो गया. बदनसीब बहादुर शाह जफर को अपने ही यार के कूचे में दो गज जमीन भी नहीं मिली । लोगों के दिल में उनके लिए कितनी इज्जत है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में जहां कई जगह सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, वहीं पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफर पार्क कर दिया गया है। "अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दफ़्न कर जमीन को बराबर कर दिया था ताकि कोई पहचान नहीं रहे कि उनकी कब्र कहां है. इसलिए उनकी कब्र कहां है इसे लेकर यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता. "बहादुर शाह जफर चाहते थे कि उन्हें दिल्ली के महरौली में दफ्न किया जाए लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी. जब 1882 में बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल की मौत हुई तब तक बहादुर शाह जफर की कब्र कहां थी, ये किसी को याद नहीं था. इसीलिए उनके शव को अंदाजन उसी जगह एक पेड़ के करीब ही दफना दिया गया.

"1903 में भारत से कुछ पर्यटक बहादुर शाह जफर की मजार पर जा कर उन्हें याद करना चाहते थे. इस वक़्त तक लोग जीनत महल की कब्र की जगह भी भूल चुके थे. स्थानीय गाइड्स ने एक बूढ़े पेड़ की तरफ इशारा किया था. वो लिखते हैं "1905 में मुगल बादशाह की कब्र की पहचान और उसे सम्मान देने के पक्ष में रंगून में मुसलमान समुदाय ने आवाज उठाई. इससे जुड़े प्रदर्शन कई महीने चलते रहे जिसके बाद 1907 में ब्रिटिश प्रशासन ने इस बात पर राजी हुआ कि उनकी कब्र पर पत्थर लगवाया जाएगा. ये तय हुआ कि इस पत्थर पर लिखा जाएगा, 'बहादुर शाह, दिल्ली के पूर्व बादशाह, रंगून में 7 नवंबर 1862 में मौत, इस जगह के करीब दफ्न किए गए थे.' बाद में उसी साल जीनत महल की कब्र पर भी पत्थर लगवाया गया. 1991 में इस इलाके में एक नाले की खुदाई के दौरान ईंटों से बनी एक कब्र मिली जिसमें एक पूरा कंकाल मिला था. रंगून में बहादुरशाह जफर के मजार के ट्रस्टी यानी प्रबंधक कमेटी के एक सदस्य और म्यांमार इस्लामिक सेंटर के मुख्य कंवेनर अलहाज यूआई लुइन के अनुसार "जो कब्र मिली जिसके बारे में स्पष्ट तौर से न सही लेकिन सारे लोगों ने यह मान लिया कि बहादुरशाह जफर की असली कब्र यही है. इसके कई कारण हैं. वो कहते हैं, "हालांकि बहादुरशाह जफर को मुसलमानों के रीति रिवाज के अनुसार दफनाया गया लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझ कर यह कोशिश की कि उनके कब्र का कोई निशान न रहे." लेकिन उनका ताज आज भी लंदन के रॉयल कलेक्शन में रखा हुआ मुगल सल्तनत की अजीम दास्ताँ बयाँ कर रहा है । जफर वो बादशाह हैं जो मौत के बाद भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं ।

क्या शरीर में घुसपैठिया बना रह सकता है नया कोरोना वायरस?

विलियम पेट्री, संक्र ामक रोग प्रोफेसर वर्जिनिया विश्वविद्यालय का एक धांसू लेख अर्थस्काई वेबसाइट पर आया है जिसमें उन्होंने नए कोरोना वायरस के शरीर में घुसपैठिया बन लम्बे समय तक बने रहने और उसके जिद्दी प्रवृत्ति की संभावनाओं की पड़ताल की है। आइए उस लेख के प्रमुख बिन्दुओं से वाकिफ होते हैं। कई विषाणुओं के बारे में जानकारी है कि वे मानव शरीर में लम्बे समय तक सुषुप्त पड़े रहते हैं और कुछ इतने जिद्दी होते हैं कि एक बार शरीर में घुस भर जाएं तो जाने का नाम नहीं लेते। ये महीनों या फिर वर्षों तक भी अपना अड्डा जमाए रह सकते हैं मगर मानव शरीर में इनके सुरक्षित ठिकाने कहां कहां हैं? वे ऐसी जगहें होती हैं जहां शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का वश नहीं चलता।

ऐसी जगहों में प्रमुख तो केन्द्रीय स्नायु तंत्र (सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम) ही है तथा मनुष्य के वृषण और आंखें हैं। इन्हें 'इम्यून प्रिविलेज्ड साईट' कहते हैं यानी रोग प्रतिरक्षा तंत्र से मुक्त क्षेत्र। ऐसा इसलिए कि जब भी शरीर के किसी भी हिस्से में घुसपैठिए रोगाणुओं का आक्र मण होता है तो शरीर की आक्र ामक प्रतिरक्षा प्रणाली उन हिस्सों पर बड़ी तीव्र प्रतिक्रि या करती है और इसके चलते संबंधित शरीर के अंग कभी कभी प्रभावित भी हो जाते हैं। उनका कमोबेश डैमेज भी हो सकता है। आप ही सोचिए अगर आंख, स्नायुतंत्र और शुक्र ाणुओं में डैमेज हुआ तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। इसलिए ही प्रवृत्ति ने इन कुछ खास अंगों के लिये विशेष व्यवस्था कर रखी है। मगर यहां तक रोगाणु पहुंच लेते हैं और अड्डा जमा लेते हैं। ऐसे रोगाणुओं की प्रवृत्ति भी भिन्न होती है। कुछ तो बहुत चुप्पा प्रवृत्ति के होते हैं और लम्बे समय तक प्रच्छन्न बने रहते हैं। अवसरवादी होते हैं। अपना सुअवसर देख रोग प्रगट कर देते हैं। महीनों वर्षों बाद भी। तब तक सुषुप्त पड़े रहते हैं। दूसरी तरह के बड़े हठी होते हैं जो रोग के प्रगटीकरण के साथ भी जल्दी जाने का नाम नहीं लेते। सुषुप्त (लेटेन्ट) विषाणुओं का पूरा जीनोम ही शरीर में बिना रोग प्रगटीकरण के पड़ा रह सकता है। यह मानव जीनोम में हिलमिल जाता है। एचआईवी ऐसा ही है। मनुष्य के कोशा नाभिक में ये स्वयं के डीएनए की प्रतिवृत्तियां बनाते रह सकते हैं जिन्हें इपिसोम कहा जाता है। चिकन पाक्स सुषुप्त विषाणु का सटीक उदाहरण है जो मनुष्य की प्रतिरोधक प्रणाली से निर्मूलन के बाद भी दशकों बाद पुनः सक्रि य हो हर्पेस जोस्टर बीमारी को जन्म दे देता है। यह तो अच्छा रहा कि चिकेन पाक्स और हर्पेस जोस्टर की रोकथाम के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। लेटेन्ट वायरस किसी को भी जीवन भर के लिए संक्र मित किए रह सकते हैं, जैसे हर्पेस वायरस। यह विषाणुओं का बड़ा परिवार है जिनका जेनेटिक मैटेरियल डीएनए का होता है न कि नये कोरोना वायरस की तरह जो आरएनए वायरस लिए होता है। ये वायरस मुंह और जननांगों और चिकेनपाक्स के रोगों को उत्पन्न करते हैं। अन्य कई रोग भी उपजाते हैं। रिट्रोवायरस भी सुषुप्त वायरस की श्रेणी में हैं जिनमें एचआईवी एड्स उत्पन्न करता है और अपने जीनोम की प्रतिकृकृति मनुष्य के डीएनए में प्रविष्ट कर देता है। यहां यह वर्षों सुषुप्त पड़ा रहकर मनुष्य के डीएनए की प्रतिवृत्तियों और कोशिका विभाजन के साथ खुद भी वृद्धि करता रहता है।इन विषाणुओं पर मनुष्य की रोग प्रतिरक्षण व्यवस्था बेअसर हो रहती है। क्योंकि इनके सुषुप्त रहने और उस दौरान वायरल प्रोटीन का उत्पादन न होने से प्रतिरक्षा प्रणाली इन घुसपैठियों को पकड? में चूक जाती है। सौभाग्य से नया कोरोना वायरस इस श्रेणी में नहीं है। हालांकि कुछ मरीजों के वीर्य में कोरोना वायरस पाए जाने की रिपोर्ट है मगर अभी भी यह सुनिश्चित नहीं हो सका है कि क्या संभोग से मनुष्य के वीर्य के जरिये नए कोरोना वायरस का प्रसार हो सकता है?मगर इबोला वायरस मनुष्य के कई इम्यून प्रिविलेज्ड साईट्स - अंडकोष, आंख, सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम और गर्भनाल में सुषुप्त बना रह सकता है। इबोला के पुरुष मरीजों का हर तीन माह पर वीर्य की जांच वायरस उपस्थिति को चेक करने के लिये डब्ल्यू एच ओ रिकमेन्ड करता है और उन्हें एक वर्ष तक यौन संसर्ग की मनाही है। नए कोरोना वायरस के बारे में अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

हालांकि कोविड 19 के कुछ रोगियों में खांसी, सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी काफी दिनों तक देखी जा रही है मगर अभी इस वायरस को लेटेन्ट मानने के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। अभी तक नये कोरोना वायरस की उपस्थिति गर्भनाल, आंत, खून, और श्वसन प्रणाली में पाई गई है। गर्भनाल के जरिए संक्र मण गर्भस्थ शिशु में पहुंच सकता है। यह बीमारी के बाद भी खून, नासिका गुहा और मुंह के तालू में महीनों बना रह सकता है। आरंभिक अवलोकनों से संकेत मिल रहे हैं कि नया कोरोना वायरस - सार्स सीओवी 2 मनुष्य के इम्युनिटी प्रिविलेज्ड साइट्स में लम्बे समय तक आश्रय ले सकता है मगर यह सुषुप्त नहीं रह सकता। हो सकता है आगे के अध्ययनों में स्थिति और स्पष्ट हो सके। तब तक चौकस रहिये, न तो खुद संक्र मित होईए और न किसी को संक्र मित करिये।

भारत में तेजी से फैलते नफरती तत्वों पर अंकुश अनिवार्य

देश में गत कुछ दिनों से नफरती तत्वों के हौंसले बुलंद हैं तथा कभी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी बयान बिना सोचे समझे दे देता है। कभी भारत में इस्लामोफोबिया की बात की जाती है। कभी सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि जान बूझकर कोरोना संक्रमण फैला कर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी समान नागरिक संहिता को लेकर अनर्गल बयान दिए जाते हैं।

कुछ विपक्षी अपरिपक्व राजनेता, कट्टरपंथी मजहबी नेता इस प्रकार के नफरत वाले बयान देते हैं जिससे देश में एक वैमनस्य का वातावरण बन सके और वे अपनी मजहबी व राजनीतिक रोटियां सेंक सकें। जो लोग मोदी फोबिया से ग्रस्त हैं, वे देश के सद्भाव को साम्प्रदायिकता में बदलने की कोशिश करते रहते हैं।

देश में इस्लामोफोबिया के झूठ को प्रचारित किया जाता है। केन्द्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्लामोफोबिया बढ़ने के आरोपों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बदनाम करने की साजिश बताया है। नकवी के अनुसार गत पांच वर्षो में देश के मुसलमानों को केन्द्रीय योजनाओं का जितना लाभ मिला है, उतना 70 वर्षो में कभी भी नहीं मिला। मोदी सरकार ने दो करोड़ लोगों को मुफ्त घर बनवा कर दिया उनमें 31 प्रतिशत (62 लाख) घर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिला। जिन हजारों गांवों में बिजली पहुंचाई गई, उनमें 39 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम बहुल गांव हैं। किसान सम्मान निधि पाने वाले 22 करोड़ किसानों में भी 33 प्रतिशत (7.50 करोड़) से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। आठ करोड़ उज्जवला योजना के लाभार्थियों में से 37 प्रतिशत (3 करोड़) व 24 करोड़ मुद्रा योजना के लाभाथियों में से 36 प्रतिशत (8.64 करोड़) मुसलमान हैं। गरीब नवाज स्वरोजगार योजना के तहत पांच वर्षो में 10 लाख से अधिक अल्पसंख्यकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तीन करोड़ 50 लाख से अधिक छात्र व छात्रओं को छात्रवृति दी गई जिससे अल्पसंख्यक लड़कियों का ड्रापआउट रेट जो पांच साल पहले 72 प्रतिशत था, वह कम होकर 32 प्रतिशत हो गया। अतः भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ने के आरोप मनगढ़ंत तथा तथ्यों से परे हैं। अब अल्पसंख्यकों का प्रयोग राजनीतिक हथियार अर्थात वोट बैंक के रुप में पूर्व की भांति नहीं किया जाता। विश्व में 206 देश कोरोना के संकट से निपटने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे है। ऐसी आपदा के समय भारत का पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान भारत विरोधी अभियान चला कर भारत में पल रहे अपने पिट्ठुओं की मार्फत भारत विरोधी बयान जारी करवा रहा है। पाकिस्तान अभी भी भारत की सीमाओं पर बम बारी कर रहा है तथा कश्मीर में अपने पालतू आतंकवादी भेज रहा है। भारत इन कार्यवाहियों का मुंह तोड़ जबाब दे रहा है। एक समूह के कुछ कट्टरवादी मजहबी कुछ लोगों की गलतियों के लिए किसी एक पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इससे न तो समुदाय का भला होगा और न ही व्यापक रुप में देश का भला हो पाएगा। पाकिस्तान आतंकवादी रुपी घातक वायरस फैलाने में लगे हुआ है। पाकिस्तान की अपनी प्राथमिकता कोरोना का वायरस नहीं है बल्कि आतंकवाद है। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अपनी नफरत तथा निकृष्टता का परिचय देने का कोई मौका नहीं छोड़ता।

भारत के प्रति नफरत ही पाकिस्तान की वह खुराक है जिसके बल पर वह जिंदा है। वह भारत के प्रति नफरत की खेती बंद कर देगा तो खाएगा क्या और जिएगा कैसे? इस समय भारत में सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम फर्जी व असत्य खबरों के बड़े अड्डे बन चुके हैं। भारत सरकार को ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह जैसे सख्त मुकदमे दर्ज करवा कर टिवटर, फेसबुक, वाट्सएप इत्यादि पर सक्रिय नफरती तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने चाहिए। सरकार फर्जी, अधकचरी और अपुष्ट खबरों के प्रसार व प्रचार में लिप्त तत्वों के लिए कमजोर व असहाय कभी भी नहीं दिखनी चाहिए। जिन घटनाओं में सुरक्षा बलों के कई कई जवान भी शहीद हो जाते हैं उन घटनाओं को भी सेक्यूलर का लबादा ओढ़े लोग कुछ न कुछ बहाना बना कर आंतकियों को महिमा मंडित करते हैं। सरकार को प्रत्येक तरह के नफरती तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

कानून के शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कानून के शासन की कमजोरी के कारण दिल्ली में शाहीनबाग में सौ दिन से अधिक कब्जा करके कुछ लोग जबरदस्ती बैठे रहे। मीडिया उनको पूरे पूरे दिन प्रचारित करता रहा और देश की सरकार बौनी नजर आई है। देश को आगे बढ़ाने व विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे नफरत फैलाने वालों को सख्त सजा दे कर सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए।

सौंदर्य समस्याओं का करें होम ट्रीटमेंट से समाधान

कभी कभी ग्लोइंग और स्मूद त्वचा होने के बावजूद कुछ छोटी छोटी समस्याएं त्वचा पर आती रहती हैं जिनसे परेशानियां बढ़ जाती हैं। इनको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही जरूरत है महंगे इलाज की। बस होम टिप्स आजमाएं और टेंशन फ्री हो जाएं।

नाखूनों पर दाग

नाखूनों पर अक्सर नेल पेंट लगाने से पीले धब्बे पड़ जाते हैं। महिलाएं इसलिए नेल पेट रिमूव करने के बाद पुनः नया नेल पेंट लगा लेती हैं क्योंकि बिना पेट के नाखून गंदे दिखते हैं। नाखूनों को हैल्दी और धब्बे रहित रखने के लिए नाखूनों को कुछ समय के लिए बिना नेल पेंट छोड़ दें। दाग हल्के करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सिरका या डिटर्जेंट मिलाकर 2० मिनट तक नाखून उसे घोल में रखें। आपको लाभ महसूस होगा। दूसरा तरीका है नाखूनों पर नींबू का छिलका रगड़ें। इससे समस्या दूर हो जाएगी।

अगर गर्दन की त्वचा ढीली पड़ जाए

गर्दन की त्वचा चेहरे की त्वचा से अधिक नाजुक होती है और इसमें फैट सेल्स भी कम होते हैं। फैट सेल्स कम होने के कारण त्वचा ढीली दिखने लगती है। ढीलेपन के साथ साथ त्वचा में रूखापन, फाइन लाइंस, रंग में अंतर, उम्र से पहले झुर्रियों का पडऩा आदि समस्याएं होती हैं क्योंकि अक्सर हम अपने चेहरे की त्वचा पर अधिक ध्यान देते हैं और गर्दन के प्रति लापरवाह रहते हैं। इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है गर्दन की सफाई, मास्क लगाना, रगडऩा जिससे मृत त्वचा निकल जाए और रक्तसंचार ठीक रहे। अंत में माश्चराइजर लगाना न भूलें। धीरे धीरे त्वचा में निखार आता जाएगा।

जब पड़ें कोहनी व घुटना काले

अक्सर हम कोहनी और घुटने की सफाई पर ध्यान कम देते हैं। जब कोहनी और घुटने का रंग अधिक काला लगने लगता है तो यह समस्या बड़ी लगती है। तब हम पूरी आस्तीन की कमीज और फुल लैंथ लोअर्स पहनना पसंद करते हैं ताकि हम उसे छिपा सकें। कोहनी और घुटने पर कालापन मृत त्वचा जमने के कारण आता है। अगर हम नहाते समय शरीर के इन अंगों को थोड़ा रगड़ कर साफ करें तो समस्या नहीं आती। ब्यूटी एक्सपर्टस के अनुसार इसका इलाज है उस स्थान पर नींबू रगड़ें। धोने के बाद उस पर तिल का तेल लगाएं। लाभ मिलेगा। शरीर के इन अंगों पर भी माश्चराइजर लगाते रहें ताकि रगड़ कर साफ करने पर त्वचा सख्त न हो और त्वचा में नमी बनी रहे।

जब हों आंखों के चारों ओर डार्क सर्कल्स

नींद पूरी न होने से, उचित आहार की कमी से और तनाव से आंखों के चारों ओर डार्क सर्कल्स अपना स्थान बना लेते हैं जिससे चेहरे की सुंदरता प्रभावित होती है। इन्हें दूर करने के लिए खीरे के टुकड़े काट कर प्रतिदिन आंखों पर 1० से 15 मिनट तक रखें या 1० मिनट के लिए टी बैग्स रखें। लाभ मिलेगा। आंखों के हल्के व्यायाम करें ताकि रक्त संचार सुचारू रहे। आंखें बंद कर उंगलियों के पोरों को हल्के हल्के गोल गोल घुमाएं और आंखें बंद कर थोड़ा आराम करें।

जब पैरों पर हो टैनिंग

अक्सर हम पैरों को ढक कर नहीं रखते। चप्पल व सैंडिल में पैर खुले रहते हैं जिससे उन पर बाहरी वातावरण, धूप-मिट्टी का सीधा प्रभाव पड़ता है और पैरों पर टैनिंग हो जाती है। इसका इलाज है प्रतिदिन नहाते समय पैरों की सफाई करें। इसके अतिरिक्त प्यूमिक स्टोन से इन्हें एक दिन छोड़ कर रगड़ें। बाद में सुखा कर माश्चराइजर लगाएं। रात्रि में भी पैरों को धोकर फुट क्रीम से मालिश करें ।